निस्तार हक

जीने का अधिकार

वृक्षमित्र

मोहन हीराबाई हीरालाल

निस्तार हक

जीने का अधिकार

जीवन बचाओ

मोहन हीराबाई हीरालाल

वृक्षमित्र
चन्द्रपुर/गडचिरोली

प्रकाशन वर्ष	:	2004
संपादक	:	मोहन हीराबाई हीरालाल
संपादन सहयोग	:	"संवाद" जबलपुर की ओर से जयंत वर्मा एवं अनिल कर्णे द्वारा
प्रकाशक	:	"वृक्षमित्र" चन्द्रपुर/गडचिरोली
पता	:	चिद्दरवार हॉस्पिटल के पास, शेंडे प्लॉट, रामनगर चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) - 442401 फोन नं. 07172-258134
सहयोग राशि	:	50/- (पचास रुपये मात्र)

NISTAR HAQUE : JEENE KA ADHIKAR
MOHAN HIRABAI HIRALAL

प्रस्तावना

गाँव परिसर में स्थित जल-जंगल-जमीन से जीने के लिए आवश्यक चीजें प्राप्त करने के गाँव समाज के अधिकार यानि निस्तार हक को सभी जानते ही हैं। मध्य भारत में परंपरागत अधिकार के रूप में निस्तार हक को मान्यता है। आजादी के बाद पहले सी.पी. एण्ड बेरार और बाद में पुराने मध्यप्रदेश की सरकारों ने भू-राजस्व संहिता में प्रावधान कर निस्तार हक को कानूनी मान्यता प्रदान की। सी.पी. के जो जिले महाराष्ट्र में शामिल हुये, उनके कारण महाराष्ट्र के भू-राजस्व संहिता में भी सरकार को निस्तार हक के लिए प्रावधान करना पड़ा। नया मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ यह पुराने मध्यप्रदेश के हिस्से होने के कारण निस्तार हक का प्रावधान लगभग पहले जैसा था वैसा ही है। भारतीय वन नीति में "वन में और वन के आस-पास रहने वाले आदिवासी एवं अन्य ग्रामीणजनों का जीवन वन पर निर्भर है एवं उनके अधिकार एवं रियायतों को पूर्ण संरक्षण दिया जायेगा। वन उत्पादन के उपयोग में लोगों की ईंधन, चारा और मकान के लिये आवश्यक लकड़ी की जरूरत को अन्य व्यापारी या औद्योगिक उपयोग की तुलना में प्रथम प्राधान्य होगा। ऐसा कहकर केंद्र सरकार ने निस्तार हक को और ज्यादा मजबूत किया है।"

कानूनी प्रावधान के साथ-साथ निस्तार हक के लिए समुचित व्यवस्था बनाना और उसमें अनुभव के आधार पर बदलाव करते जाना जरूरी था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह एक बड़ी कमी रह गयी है। प्रत्येक राजस्व गाँव का निस्तार-पत्रक बनाकर उसे पटवारी रिकार्ड में रखा गया। लेकिन उसका समुचित नियोजन और व्यवस्था कैसी होगी, इसका विज्ञान एवं तंत्रज्ञान की दृष्टि से विचार भी नहीं किया गया। निस्तार हक वाली वन जमीन व्यवस्थापन के लिए वन विभाग को सौंप दी गई। परिणामस्वरूप लोगों का वनों के साथ जो आत्मिक संबंध था वह खत्म होकर वन तेजी से नष्ट होने लगे।

निस्तार हक, सिर्फ पत्रक में दर्ज है इसलिए प्रत्यक्ष में निस्तार नहीं मिल सकता। अगर निस्तार हक चाहिये तो गाँव परिसर में स्थित वनों का समुचित व्यवस्थापन गाँव वालों को ही करना होगा क्योंकि यह काम सिर्फ सरकार,

कानून तथा वन विभाग द्वारा नहीं हो सकता अब यह स्पष्ट हो गया है। उस वन पर जीने के लिए निर्भर गाँव समाज और वन विभाग मिलकर ही ऐसा कर सकते हैं। यह ध्यान में लेते हुये संयुक्त वन व्यवस्थापन के सरकारी कार्यक्रम में सहभागी होकर गाँव वाले आत्मविश्वास प्राप्त करें और फिर आगे वही वनक्षेत्र कानून से ग्रामवन घोषित कर निस्तार हक के लिए समुचित शाश्वत व्यवस्था निर्माण कर ले। उसी में से वन आधारित चिरस्थायी विकास एवं समृद्धि का मार्ग गाँव के लिए खुल सकेगा। गडचिरोली जिले में 22 गाँवों के साथ "जंगल और लोग" विषय पर अध्ययन करते वक्त सर्वप्रथम निस्तार हक से परिचय हुआ। मेढ़ा (लेखा) गाँव के साथ और अधिक गहराई में जाने का मौका मिला। सन् 2000 में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निस्तार समिति के अशासकीय सदस्य के रूप में काम करते वक्त और ज्यादा बारीकी से अध्ययन हुआ।

संवाद जबलपुर के श्री जयंत वर्मा जी से हुई चर्चा से यह अध्ययन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी उपयोगी हो सकता है इसका एहसास होने पर संवाद जबलपुर तथा वृक्षमित्र, चंद्रपुर/गडचिरोली के संयुक्त तत्वावधान में रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार श्री रम्मू श्रीवास्तव जी के साथ मिलकर सन् 2004 में दो कार्यशालाएं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित की गई। बैतूल (म.प्र.) के अध्ययनशील एडवोकेट श्री अनिल गर्ग जी का सक्रिय सहयोग भी प्राप्त हुआ जिससे निस्तार हक से संबंधित अन्य पहलू उजागर हुए। यह सारी जानकारी और चर्चा मध्य भारत के हिंदी-भाषी क्षेत्र के लिए उपयोगी है यह समझते हुये हमने इसे पुस्तक रूप देकर प्रकाशित करने का संकल्प लिया। जयंत वर्मा जी के अथक परिश्रम एवं सहयोग से यह पूरा हुआ। हम उनके ऋणी हैं।

आशा है ग्रामवासी, ग्रामस्तरीय कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्था, सरकार-प्रशासन एवं अध्ययनकर्ता सभी के लिए यह पुस्तिका उपयोगी सिद्ध होगी।

– मोहन हीराभाई हीरालाल

विषय सूची

संविधान के प्रकाश में निस्तार हक	7
निस्तार हक : विज्ञान एवं तंत्र ज्ञान संबंधित पहलू	9
ग्रामवन	37
निस्तार हक : अर्थ और स्थिति	39
निस्तार से शुरू हुई मेढ़ा (लेखा) गाँव की प्रक्रिया	42
निस्तारी अधिकारों की अनदेखी	47
निस्तार और चराई का हक	63
निस्तारी अधिकारों पर एक नजर	68
भू-राजस्व संहिता 1959 मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ (आबादी तथा दखल रहित भूमि और उसकी उपज में अधिकार)	71
जीने का आधार : निस्तार हक	95
परिशिष्ट	96

संविधान के प्रकाश में निस्तार हक

– जयदत्त वर्मा

भारत के संविधान में देश के शासन के मूलभूत तत्व विस्तार से लिपिबद्ध किये गये हैं। लोक कल्याण की दृष्टि से व्यवस्था बनाने के लिये विधायिका से यह अपेक्षा की गई है कि वह कानून बनाकर इन तत्वों को अमली जामा पहनाये। संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकार दिये गये हैं तथा यह माना गया है कि इन मूल अधिकारों से असंगत कोई भी कानून प्रभाव शून्य होगा। मूल अधिकार न्यायपालिका से प्रवर्तनीय रखे गए हैं।

शासन के मूलभूत तत्वों को भाग-4 में लिपिबद्ध करते हुए यह अपेक्षा की गई थी कि विधायिका इन तत्वों की कसौटी पर अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनाये गये अविश्वास, रोक और लूट के सिद्धांतों पर आधारित तमाम कानूनों को परखेगी तथा उन्हें भाग-4 से संगत बनाया जायेगा। 1956 में राष्ट्रपति को यह अवसर दिया गया था कि वे ब्रिटिश हुकूमतों द्वारा बनाये गये कानूनों की संविधान के भाग-4 सहित सभी प्रावधानों की कसौटी पर परीक्षण करेंगे और उन्हें रद्द या संशोधित करेंगे।

दुर्भाग्य से तत्कालीन सरकार ने यह अवसर गवां दिया और भारतवासियों को गुलाम बनाये रखने के लिये अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनाये गये कानूनों को कानून की पुस्तक में विद्यमान रहने दिया। संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) भाग-4 में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि राज्य अपनी नीतियों का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। चूंकि संविधान का भाग-4 नागरिको के आर्थिक, सांस्कृतिक और नागरिक अधिकारों से संबंधित है इसलिए उसका सीधा सम्बन्ध राजकोष से होता है और राजकोष पर चूंकि विधायिका का नियंत्रण रहता है और कार्यपालिका विधायिका की अनुमति से उसका प्रबंधन करती है इसलिए भाग-4 को कार्यपालिका की परिधि से मुक्त रखा

गया ताकि विधायिका कानून बनाये और कार्यपालिका संसाधनों का प्रबंधन तद्नुसार लोक कल्याण की दृष्टि से करे। भारतीय वन कानून 1927 ब्रिटिश हुकूमत द्वारा वनों की लूट से राजस्व प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पर काबिज होने वाले हुक्मरानों को लूट के लिए बनाये गये कानून भाने लगे और उन्होंने ब्रिटिशकालीन कानूनों को संवैधानिक प्रावधानों से संगत बनाने के अपने दायित्वों की अनदेखी की। नतीजतन भारत के वनप्रांतर में और वनों के इर्द-गिर्द निवास करने वाले करोड़ों ग्रामवासियों/आदिवासियों की जीविका के सामने संकट आ गया।

यह उल्लेखनीय है कि आदिवासी इलाकों को ब्रिटिश हुकूमत ने कानूनों से अछूता रखा था। आदिवासी इलाके अपनी रुढ़ियों और परम्पराओं से ही संचालित होते रहे। आजादी के बाद हमारी लोकतांत्रिक सरकारों ने आदिवासियों के संसाधन छीन लेने के लिए ब्रिटिशकालीन कानून उन क्षेत्रों में भी प्रभावशील बना दिए।

आज वनवासियों को उन वनों से निस्तार के अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जिन वनों में उन्होनें अपने विवेक तथा टिकाऊ जीवनशैली और हजारों वर्ष की अपनी तपस्या से जैव विविधता को जीवित रखा। वनों की परिभाषा जैव विविधता से असंगत नही हो सकती किन्तु भारत के करोड़ों हेक्टेयर वनो से जैव विविधता खत्म करने का पाप भारतीय वन कानून के तहत काम करने वाले वन विभाग द्वारा किया गया।

निस्तार पर इस पुस्तिका का प्रकाशन वनवासियों के जीने के अधिकार को संविधान के प्रकाश में पुन:स्थापित करने की मंशा से किया जा रहा है।

वृक्षमित्र के श्री मोहन हीराबाई हीरालाल पिछले कई वर्षों से इस मुद्दे पर कार्य कर रहे है। बैतूल के युवा अधिवक्ता और समाज सेवी श्री अनिल गर्ग ने भी इस मुद्दे का गहराई से अध्ययन और परीक्षण किया है। उम्मीद है कि यह पुस्तिका निस्तार हक के संबंध में कार्य करने वाले समाज सेवियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

"संवाद" जबलपुर

विज्ञान एवं तंत्र ज्ञान संबंधित पहलू

मोहन हीराबाई हीरालाल

निस्तार पत्रक :

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता 1966 की धारा 160-161 द्वारा निस्तार हक की कानूनी व्यवस्था की गई है। जिसमें निम्न बातों का प्रावधान निस्तार पत्रक में करने के लिए स्पष्ट कहा गया है :-

1. खेती के लिये उपयोगी जानवरों को बिना मूल्य चराई
2. गाँव के जानवरों को चराई के लिए अनुमति देते वक्त लगने वाली शर्ते
3. गाँव के रहने वालों को घरेलू उपयोग के लिये निम्न वस्तुओं में से कोई भी वस्तु बिना मूल्य लेने का अधिकार
   - 3.1 टिम्बर, जलाऊ/लकड़ी या अन्य कोई भी वन उपज
   - 3.2 मुरम, कंकड़, रेत, मिट्टी, पत्थर या अन्य कोई भी लघु वन खनिज
4. ऊपर क्रमांक 3 में उल्लेखित वस्तु प्राप्त करने के लिए नियम एवं शर्ते
5. गाँव के कारीगरों को ऊपर दिये गये क्र. 3.1 और 3.2 में दर्ज की गई ऐसी चीजें जो उनकी कारीगरी के लिये आवश्यक है वह प्राप्त करने देने की सहूलियत।

व्यवस्थापन की योजना/क्या और कैसी है ?

निस्तार पत्रक के साथ-साथ ही गाँव में उपलब्ध सभी अव्याप्त भूमि का निस्तार पत्रक में किये गये प्रावधान की दृष्टि से समुचित व्यवस्थापन हो। इसलिए योजना बनाई जाए ऐसा धारा 161 में स्पष्ट कहा गया है सिर्फ निस्तार पत्रक बनाने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए व्यवस्थापन की योजना भी बनानी होगी। इसकी समझ कानून बनाने वालों को थी, यह स्पष्ट दिखाई देता है। निस्तार हक के व्यवस्थापन के लिए समुचित योजना क्या और कैसी हो ? इस प्रश्न का सही जवाब खोजना हो तो निस्तार हक के विज्ञान एवं तंत्र ज्ञान संबंधित पहलुओं पर विचार करना आवश्यक होगा।

निस्तार हक का कानूनी प्रावधान होते हुए भी प्रत्यक्षत: वह लोगों को नहीं मिल सका क्योंकि कानून की व्यवस्था बनाते वक्त उसके विज्ञान एवं तंत्र ज्ञान से संबंधित पहलुओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। ये हक लोगों को लगातार मिलते रहे ऐसा अगर हम चाहते है तो वह सिर्फ भूमि निस्तार के लिये आरक्षित करने से नहीं होगा। उस भूमि पर स्थित जैवभार का समुचित व्यवस्थापन कैसा और कौन करेगा, यह भी निश्चित करना होगा।

दोषपूर्ण निस्तार चौकसी :

1950 से 1955 के बीच हुई निस्तार चौकसी काफी दोषपूर्ण है इस पूछताछ के समय मानव शास्त्रीय, विज्ञान एवं तंत्र ज्ञान संबंधित पहलुओं का विचार नहीं किया गया। मनुष्य और जानवरों की निश्चित क्या और कितनी आवश्कताएं हैं ? क्या भविष्य में उनमें कुछ बढ़ोत्तरी होने की संभावना है ? वे आवश्यकताएं लगातार पूरी होती रहे इसलिए कौन-कौन सी वनस्पतियाँ, पशु-पक्षी एवं कीड़ें कितने अनुपात में आवश्यक है ? उसके लिए कितनी जमीन आवश्यक होगी ? उपयोग की पद्धति क्या होगी ? इन प्रश्नों पर शास्त्रशुद्ध विचार न करते हुए निस्तार हक की व्यवस्था करने का प्रयत्न असफल साबित हुआ है।

निस्तार हक प्रत्येक गाँव का हक है, इसलिए निस्तार चौकसी भी प्रत्येक गाँव में जाकर गाँव के लोगों के साथ बैठकर होनी चाहिए, यह सरकार ने स्वीकार किया था लेकिन प्रत्यक्ष में वैसा नहीं हुआ। दुर्गम क्षेत्र, पीने के पानी एवं रहने की जगह की असुविधा आदि कारणों से चौकसी करने वाले लोगों को प्रत्येक गाँव में जाकर पूछताछ करना संभव नहीं हुआ। सरसरी तौर पर 14 गाँवों के लिए एक जगह बैठकर पूछताछ की गई, ऐसा गडचिरौली तहसील निस्तार चौकसी रिपोर्ट में दर्ज है। सरसरी तौर पर 14 याने अति दुर्गम आदिवासी क्षेत्र में तो उससे भी ज्यादा गाँव के लिये कहीं एक जगह बैठकर चौकसी का काम निपटाया गया होगा, इस कारण चौकसी का काम काफी दोषपूर्ण रहा है।

अशास्त्रीय आँकड़ों से वन-बंदोबस्त :

जमींदारी नष्ट करने का कानून बनने पर 1950 - 1955 में जमींदारों के कब्जे में स्थित वन भूमि, संरक्षित वन आदि श्रेणी के सरकार ने जमा कर लिये। निस्तार चौकसी द्वारा निस्तार पत्रक तैयार कर इस वन भूमि पर निस्तार हक सुनिश्चित किये

गये। सरकार ने संरक्षित वनों को आरक्षित वन बनाने के लिये भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कार्यवाही शुरू की। जिसके लिये 1963 में वन-बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त कर काम शुरू हुआ। इस अधिकारी ने प्रत्येक गाँव के लिये अलग-अलग आदेश देने का काम 1973 में पूरा किया। इस काम के लिये मनुष्यों तथा जानवरों की प्रत्येक गाँव की निस्तार संबंधी क्या आवश्यकताएं है, यह तय करने हेतु वन-बंदोबस्त अधिकारी ने दो पैमानों को उपयोग किया। वे निम्न है :-

- जानवरों को चराई के लिये कितनी भूमि आवश्यक है इस हेतु महाराष्ट्र शासन राजस्व एवं वन विभाग, शासकीय निर्णय क्र.एल.एन.डी.-1070- 11309 -ए, दिनांक 13-04-1970 का संदर्भ देकर ऐसा कहा गया कि 100 जानवरों की चराई के लिए 76 एकड़ भूमि पर्याप्त है अर्थात् एक जानवर के लिये लगभग 0.75 एकड़ जमीन चराई निस्तार के लिये रखनी होगी, ऐसा माना गया।
- मनुष्य की निस्तार आवश्यकता के लिए कितनी जमीन जरूरी है, इस हेतु महाराष्ट्र शासन, राजस्व विभाग एवं वन विभाग पत्र क्र. बी. एफ. एस./ 2063/18418, दिनांक 20-05-1969 का संदर्भ देकर कहा गया कि गाँव द्वारा व्याप्त क्षेत्र के यानी "गाँव में स्थित कुल कृषि भूमि की आधी भूमि यदि मनुष्यों की निस्तार आवश्यकता के लिए रखी जाती है, तो पर्याप्त है।"

गडचिरौली तहसील निस्तार चौकसी रिपोर्ट सरकार ने 1956 में प्रकाशित की। जिसमें कहा गया है कि वैन गंगा नदी से लगे हुए पूर्व खाली हिस्से में से एक जानवर के लिये एक एकड़ और आदिवासी, जंगल, पूर्व जमींदारी क्षेत्र में से दो से चार एकड़ जमीन प्रति जानवर चराई के लिए आवश्यक है, ऐसा मानकर निस्तार पत्रक तैयार किये गये है। कहाँ प्रति जानवर दो से चार एकड़ और कहां 0.75 एकड़! पैमानों के बीच का यह अंतर कौन से वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा निकाला गया यह जानकारी प्राप्त नहीं है।

मनुष्यों के निस्तार हेतु कितनी जमीन आवश्यक है यह तय करते वक्त तो कमाल ही हो गया। जानवरों के लिए निस्तार का विचार करते वक्त कम से कम प्रति जानवर कितनी जमीन आवश्यक है इसका विचार किया गया, लेकिन मनुष्यों के बारे में ऐसा प्रति मनुष्य की आवश्यकता पर विचार करना जरूरी नहीं समझा गया। प्रत्येक गाँव का कृषि भूमि क्षेत्र जनसंख्या के अनुपात में एक जैसा नहीं

होता। ऐसा होते हुए भी कृषि भूमि जितनी है उससे आधा क्षेत्र मनुष्यों के निस्तार हेतु पर्याप्त मानना कौन से वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा प्रमाणित है यह स्पष्ट नहीं होता।

मनुष्यों की निस्तार आवश्यकता के पैमाने तय करते वक्त भविष्य में बढ़ने वाली जनसंख्या पर विचार करना भी आवश्यक नहीं माना गया। इसके अलावा निस्तार की जमीन एवं जंगलों के सही उपयोग की दृष्टि से कैसे व्यवस्थापन किया जायें यह तय करने की जरूरत महसूस नहीं की गई। इससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि संपूर्ण वन-बंदोबस्त की कार्यवाही गलत पैमाने से की गई। जिस कारण उस पर आधारित व्यवस्था भी गलत होकर उपयोगी नहीं रही।

शास्त्र शुद्ध आँकड़े एवं व्यवस्थापन हेतु अध्ययन :

सभी लोगों, कारीगरों तथा पशु-पक्षियों को सिर्फ आज ही नहीं कल भी लगातार निस्तार मिलता रहें, इस हेतु क्या उपाय करने होंगे ? व्यवस्था, रचना एवं पद्धति क्या होगी ? यह अध्ययन किसी भी बंद प्रयोगशाला में संभव नहीं। प्रत्यक्ष जीवन जी रहे लोगों के साथ मिलकर सहभागी पद्धति से यह अध्ययन कैसे करें, इसका भी शोध करना होगा। ऐसे अध्ययन के लिये तैयार समाज जहां है ऐसे गाँव से तथा उनके साथ अध्ययन करने के लिए जिनकी तैयारी है, ऐसे अध्ययन समूह या संस्थाएं जहां है वहीं से ऐसे अध्ययन शुरू हो सकेंगे।

ऐसे अध्ययन के लिये गाँवों की अव्याप्त जमीन को उपलब्धतानुसार तीन भागों में वर्गीकृत करना पड़ेगा। जिस गाँव परिसर में-

अ. अव्याप्त (अनआक्युपाइड)क्षेत्र जनसंख्या की तुलना में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है।

ब. अव्याप्त (अनआक्युपाइड) क्षेत्र जनसंख्या की तुलना में नपा-तुला ही है।

स. अव्याप्त (अनआक्युपाइड) क्षेत्र जनसंख्या की तुलना में कम है।

इन तीनों तरह के प्रतिनिधि गाँव के अध्ययन हेतु चुने जायेंगे इस ओर ध्यान देना होगा।

लोग निस्तार के लिए क्या और कितना इस्तेमाल करते है इसकी सही जानकारी प्रश्नावली के माध्यम से भरकर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। लोग दैनिक जीवन में जिन चीजों को उपयोग करते हैं उनका नाप तौल अंदाज से कभी भी सही नहीं हो सकता। साल भर प्रत्यक्ष नाप तौल कर रिकार्ड रखने से ही सही जानकारी प्राप्त हो सकती है।

पर्यावरण-संतुलन एवं सही विकास के लिये प्राकृतिक संसाधनों का योग्य व्यवस्थापन अत्यंत आवश्यक है ऐसा व्यवस्थापन जन सहभागिता के बगैर संभव नहीं है। निस्तार के लिए आरक्षित भूमि का व्यवस्थापन जन सहभागिता से कैसे किया जायेगा इसके भी प्रयोग करने होगें।

ऐसे प्रयोगों के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 28 "ग्राम वन" का प्रावधान अत्यंत उपयुक्त है। "ग्रामीणों की सहभागिता से वन व्यवस्थापन" "ग्राम परिसर विकास कार्यक्रम" तथा "एकात्मिक वॉटरशेड विकास कार्यक्रम" आदि सरकारी कार्यक्रमों का भी उपयोग हो सकता है।

"व्यवस्थापन शास्त्र" में मनुष्य ने अब काफी प्रगति की है वन एक काम्पलेक्स सजीव एकक (बायो यूनिट) है उसका समुचित व्यवस्थापन किसी एक या कुछ लोगों द्वारा मिलकर करना असंभव है। कुछ पेड़ों पर अलग परिस्थितियों में प्रयोग कर निकाले गये निष्कर्ष के आधार पर अगले वर्ष की कार्य योजना बनाकर काम करने की पद्धति भी बदलनी होगी, ऐसा शास्त्रीय अध्ययन कह रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर जीने के लिये निर्भर तथा सतत् उसके संपर्क में रहने वाला समाज ही सहभागी पद्धति से उसका अच्छा व्यवस्थापन कर सकेगा, ऐसे संकेत अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों से मिल रहे हैं। सूक्ष्म बदलाव जानने में सक्षम एवं तदनुसार तुंरत आवश्यक निर्णय लेने की क्षमता जिसमें है, ऐसी व्यवस्था ही सर्वोत्कृष्ट मानी जा रही है। अंग्रेजी में इसे "एडाप्टिव मैनेजमेंट सिस्टम" कहते हैं। व्यवस्थापन की यही अत्याधुनिक वैज्ञानिक पद्धति निस्तार व्यवस्था के लिए भी स्वीकार्य होगी।

ग्यारह गाँवों का नमूना अध्ययन :

1955 में हुई निस्तार चौकसी के बाद 1992 में वन-बंदोस्बस्त किया गया। गलत आँकड़ों का इस्तेमाल कर किये गये इस वन-बंदोबस्त में गडचिरौली जिले के गाँव की वन भूमि पर जो निस्तार अधिकार थे उन्हें बड़ी मात्रा में कम किया गया। यह निस्तार नीति पर विचार करते वक्त 1992 में हुआ। इस घटना का दुरगामी परिणाम क्या हुआ और आगे क्या होगा, इस पर विचार अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करने के लिए आवश्यक शासकीय दस्तावेजों में उपलब्ध प्रत्येक गाँव की जानकारी शासन द्वारा नियुक्त निस्तार समिति द्वारा मांगी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह जानकारी समिति को प्राप्त नहीं हो सकी।

दुख:द स्थिति चित्र :

जो जानकारी शासन द्वारा नियुक्त समिति को भी नहीं मिल सकी, वह प्राप्त करने में एक अशासकीय सदस्य को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। हमनें गडचिरौली जिले की धानोरा तहसील में स्थित ग्यारह गाँवों की जानकारी प्राप्त की। इस जानकारी का विश्लेषण करने के बाद सामने आया दृश्य अत्यंत दुखदायी एवं भविष्य में आने वाले सकंट की सूचना देने वाला है।

अध्ययन का स्वरूप :

1995 में हुई निस्तार चौकसी की रिपोर्ट के अनुसार आज गडचिरौली जिले में स्थित 379 गांवों का सर्वे नहीं होने के कारण निस्तार चौकसी नहीं हुई थी। इस वजह से इन गांवों के निस्तार पत्रक भी नहीं बनाए गये थे, जिन गांवों की चौकसी होकर निस्तार पत्रक बनाए गये। उन्हें तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया –

1. **सरप्लस :-** ऐसे गाँव जहां निस्तार के लिए आवश्यकता से ज्यादा वन क्षेत्र उपलब्ध है।
2. **सेल्फसफीशियेंट :-** ऐसे गाँव जहां निस्तार के लिए न्यूनतम आवश्यक वन क्षेत्र उपलब्ध है।
3. **डेफीसिट :-** ऐसे गाँव जहां निस्तार के लिए न्यूनतम आवश्यक वन क्षेत्र भी उपलब्ध नहीं है।

गडचिरोली जिले के गांवों की वर्गीकृत समूहानुसार संख्या 1955 में इस प्रकार थी –

क्र.	1955	सरप्लस	सेल्फसफीशियेंट	डेफीसिट
1.	जलाऊ/लकड़ी एवं टिम्बर की दृष्टि से	1086 (78.29%)	37 (2.66%)	264 (19.03%)
2.	चराई की दृष्टि से	1036 (74.69%)	28 (2.01%)	323 (23.28%)

इस अध्ययन का नमूना अधिकतम प्रतिनिधिक रखने की कोशिश की गई।

अध्ययन के लिए चुने गये ग्यारह गाँवों में यह अनुपात निम्नानुसार है -

क्र.	अध्ययन के नमूना गाँव	सरप्लस	सेल्फसफीशियेंट	डेफीसिट
1.	जलाऊ/लकड़ी एवं टिम्बर की दृष्टि से	7 (63.63%)	1 (9.1%)	3 (27.27%)

अध्ययन की सीमाएं :

यह अध्ययन निस्तार से संबंधित सभी मुद्दों हेतु होना आवश्यक था। उदा. चराई, जलाऊ/लकड़ी, घर एवं कृषि औजारों के लिए लगने वाली छोटी इमारती लकड़ी, अनाज, पानी तथा कारीगरों को लगने वाला कच्चा माल आदि सभी मुद्दें ध्यान में लेकर ऐसा अध्ययन किया जाना जरूरी था, लेकिन वन अधिकारियों की उप समिति द्वारा सिर्फ जलाऊ/लकड़ी संबंधी आवश्यकता और उत्पादकता के आँकड़े उपलब्ध हो सके इस कारण उन्हीं सीमाओं में यह अध्ययन किया गया।

अध्ययन में इस्तेमाल की गई जानकारी और उनके स्त्रोत :

क्र.	जानकारी	स्त्रोत
1.	प्रति व्यक्ति/वर्ष जलाऊ/लकड़ी की आवश्यकता - 0.27 मैट्रिक टन	वन अधिकारियों के निस्तार उप समिति की रिपोर्ट
2.	प्रति हेक्टेयर/वर्ष जलाऊ/लकड़ी की वन से उत्पादकता - 0.2 मैट्रिक टन	वन अधिकारियों के निस्तार उपसमिति की रिपोर्ट
3.	निस्तार हक है ऐसा वन क्षेत्र - 1955	रेवेन्यू रिकार्ड में स्थित गाँव के निस्तार पत्रक
4.	निस्तार हक कम किया गया वन क्षेत्र - 1992	महाराष्ट्र शासन, राजपत्र दिनांक 11-03-1993 भाग 4-अ
5.	निस्तार हक है ऐसा वन क्षेत्र - 1992	(3) - (4)
6.	जनसंख्या 1955 और 1992	जनगणना 1551 और 1991 पर आधारित आँकड़े

अध्ययन के दो कदम :

अध्ययन के पहले कदम में हमने 1992 में हुए वन-बंदोबस्त के कारण निस्तार हक जहां है, ऐसे वनों की स्थिति में क्या अंतर आया है, यह देखने की कोशिश की। दूसरे कदम में इन परिवर्तनों का 1992 में जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता के संदर्भ में विचार कर क्या चित्र दिखाई देता है और उससे उन गांवों के वर्गीकरण में क्या परिवर्तन आया, यह देखने की कोशिश की। उनमें से जो जानकारी सामने आई वह इस प्रकार है -

अध्ययन के आँकड़े :

1. निस्तार हक सहित वनक्षेत्र - 1955 और 1992 (कृपया चार्ट क्रमांक-1 देखिए)

   1.1 खरकाड़ी गांव का वनक्षेत्र न कम हुआ न बढ़ा।

   1.2 बचे हुए नौ गांवों के निस्तार हक 1955 की तुलना में 1992 में वन-बंदोबस्त कर जिस अनुपात में कम किये गये उसकी गाँव के अनुसार जानकारी इस प्रकार है -

   पांढरसडा (62.59%), लेखा (57.88%), राजोली (66.87%), परसवाड़ी (83.25%), मरकेगाँव (75.68%), एरंडी (85.02%), हिरंगे (91.67%), काकडयेली (36.33%), जापी (74.14%), मेंढ़ा (लेखा) (91.62%)।

   गाँव के नाम के आगे लिखे आंकड़े निस्तार हक नष्ट किये गये वनक्षेत्र के है।

2. वन उपलब्धता जलाऊ की आवश्यकता और 1992 में निस्तार के लिए रखे गये वन क्षेत्र (कृपया चार्ट क्रमांक 2 देखिये)

   2.1 1955 में काकडयेली सरप्लस था वह 1992 में सेल्फसफीशियेंट में रुपान्तरित हो गया।

   2.2 मेंढ़ा (लेखा), जापी, हिरंगे, एंरडी, मरकेगाँव, परसवाडी सरप्लस थे, वे 1992 में डेफीसिट हो गये। पर्याप्त वन क्षेत्र उपलब्ध नहीं थे इसलिए ऐसा नहीं हुआ। निस्तार संबंधी गलत आँकड़ें लगाकर वन-बंदोबस्त करने के कारण ही ऐसा हुआ है।

FOREST WITH NISTAR RIGHT

Chart No. 1

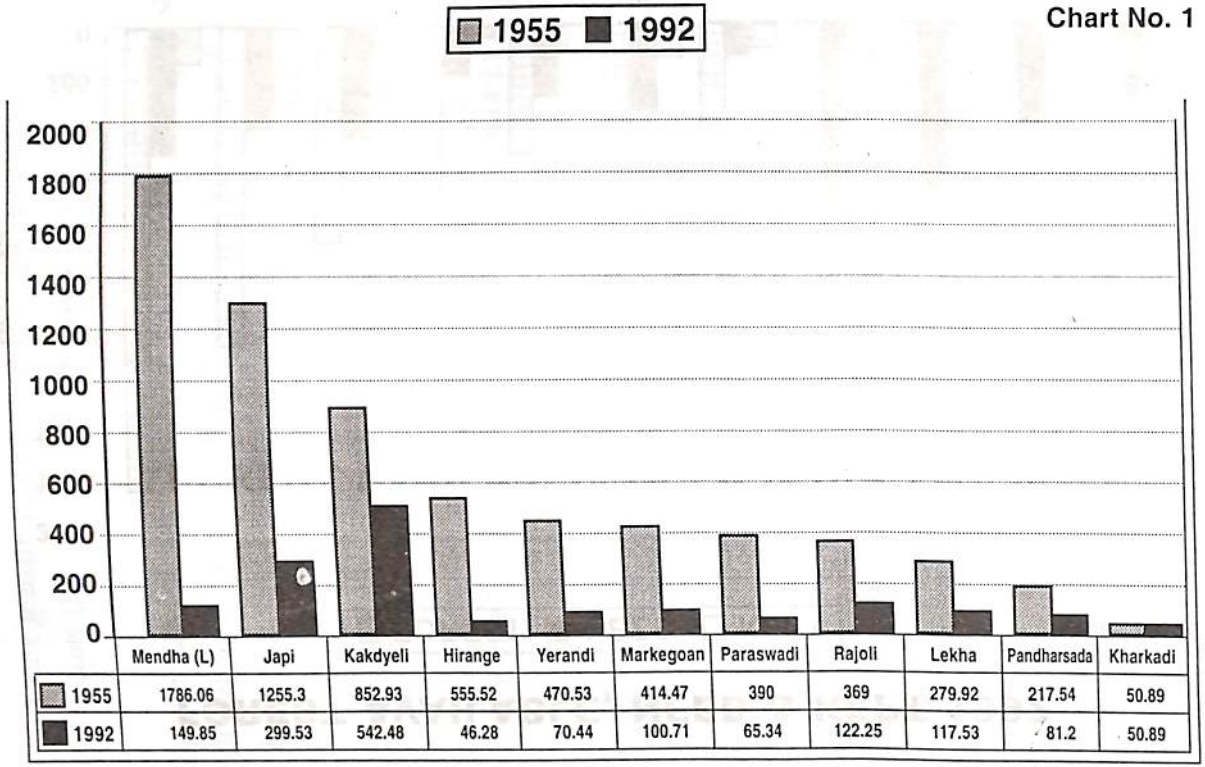

	Mendha (L)	Japi	Kakdyeli	Hirange	Yerandi	Markegoan	Paraswadi	Rajoli	Lekha	Pandharsada	Kharkadi
1955	1786.06	1255.3	852.93	555.52	470.53	414.47	390	369	279.92	217.54	50.89
1992	149.85	299.53	542.48	46.28	70.44	100.71	65.34	122.25	117.53	81.2	50.89

FOREST AVAILABLE, NEED & KEPT 1992

Chart No. 2

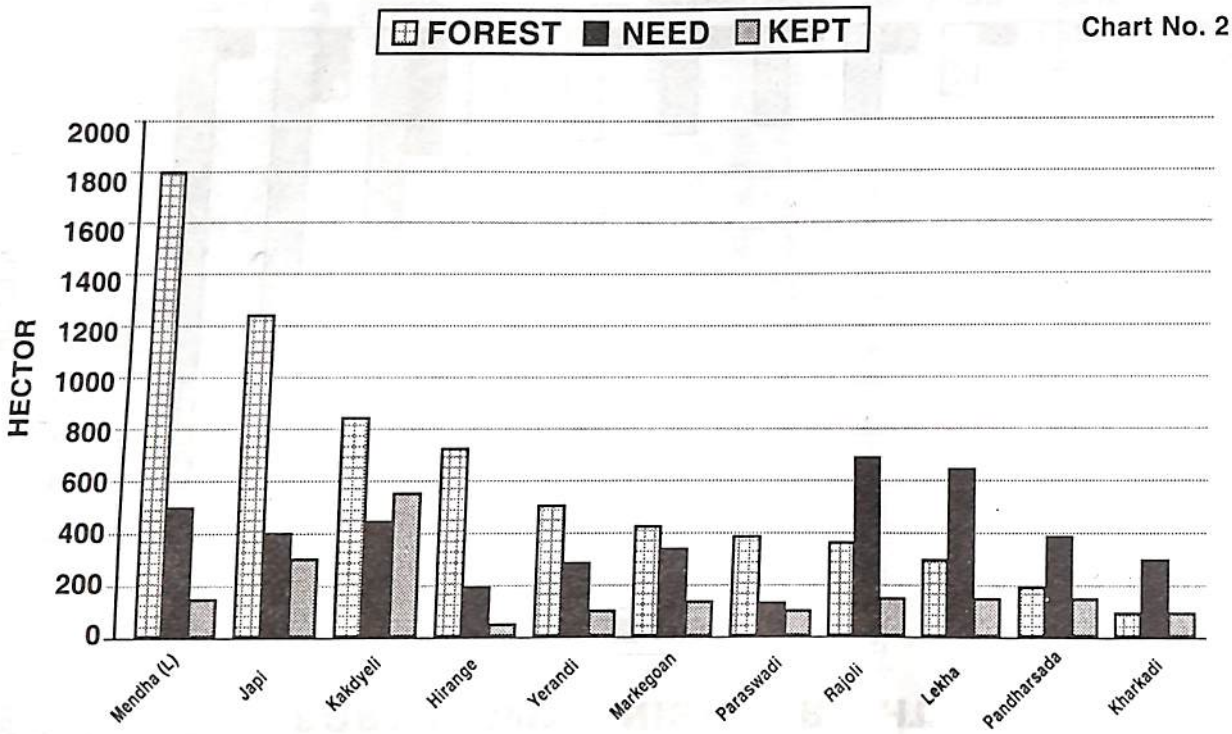

2.3 पांढरसडा 1955 में सेल्फसफीशियेंट था, वह 1992 में डेफीसिट हो गया। इस गाँव की सीमा के अंदर निस्तार विषयक संपूर्ण आवश्यकताएं पूरी कर सकेगा, इतना वन क्षेत्र नहीं है फिर भी 80 हेक्टेयर वन क्षेत्र निस्तार के लिए उपलब्ध है। उस पर निस्तार हक यदि दिये जाते हैं तो निस्तार की कमी कुछ मात्रा में जरूर कम की जा सकती है।

2.4 राजोली, लेखा और खरकाड़ी ये गाँव 1955 में ही डेफीसिट थे। 1992 में ये गांव सुपर-डेफीसिट हो गये हैं। समुचित निस्तार व्यवस्था के अभाव में ये गाँव उससे लगे शासकीय वनों से अपनी आवश्यकताएं गैर कानूनी तरीके से पूरी करने के लिए मजबूर है। अर्थात इस्का विपरीत परिणाम वहाँ के वन व्यवस्थापन पर होगा।

3. 1992 में हुए गलत वन-बंदोबस्त के कारण गांव के निस्तार वर्गानुसार हुआ परिवर्तन (कृपया चार्ट क्रमांक 4 देखिए)

वर्ष	सरप्लस	सेल्फसफीशियेंट	डेफीसिट	कुल
1955	7 (63.63%)	1 (9.01%)	3 (27.27%)	11 (100%)
1992	1 (9.01%)	0(0%)	10(90.90%)	11 (100%)

कारणों की खोज :

डेफीसिट गाँव की संख्या तथा अनुपात में हुई बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी अत्यंत गंभीर है।

3.1 **जनसंख्या - वृद्धि :** यह कारण सच है फिर भी सभी गाँवों के लिये नहीं है। ग्यारह में से तीन गांव पहले से ही डेफीसिट थे। बचे हुए में से सिर्फ एक गांव जो सेल्फसफीशियेंट था सिर्फ वह जनसंख्या वृद्धि के कारण डेफीसिट हुआ है।

3.2 **वन-बंदोबस्त करते वक्त लगाए गये गलत आंकड़े :** बढ़ी जनसंख्या की आवश्यकता भी पूरी कर सकेगा इतना वन क्षेत्र गांव परिसर में उपलब्ध होते हुए भी, केवल गलत पैमाने लगाकर किये गये वन-बंदोबस्त के कारण ही 6 सरप्लस गांव डेफीसिट हो गये हैं, अध्ययन से यह सिद्ध हो गया है।

निस्तार हक : जीने का अधिकार संबंधी गडचिरोली जिला, महाराष्ट्र के ग्यारह गाँवों का नमूना अध्ययन

(चार्ट क्रमांक - 4)

गाँव का नाम	जनसंख्या कोड नं. हेक्टेयर		निस्तार के लिए वन क्षेत्र हेक्टेयर	आरक्षित वन हेक्टेयर	निस्तार के लिए रखा क्षेत्र व्यक्ति	जनसंख्या व्यक्ति		जलावन की आवश्यकता मीट्रिक टन		जलावन की लकड़ी का उत्पादन मीट्रिक टन		सरप्लस/ डेफिसीट मीट्रिक टन		सरप्लस/ डेफिसीट मीट्रिक टन	
	1981	1991	1955	1992	1992	1955	1992	1955	1992	1955	1992	1955	1992	1955	1992
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
मेंढा (लेखा)	541	78	1788.06	1639.21	149.85	200	367	54.00	99.09	357.61	29.97	303.61	-69.12	1518.5	-345.60
जापी	769	263	1255.3	955.77	299.53	200	300	54.00	81.00	251.06	59.90	197.06	-21.10	985.30	-105.50
काकडयेली	543	175	852.93	310.45	542.48	228	315	62.56	85.05	170.51	108.49	109.02	23.44	545.10	117.20
हिरंगे	353	132	555.52	509.24	46.28	140	165	37.80	44.55	111.10	9.25	73.20	-35.30	366.50	176.50
येरंडी	524	170	470.53	400.09	70.44	181	205	48.87	55.35	94.00	14.08	-45.13	-41.27	226.15	-205.60
मारकेगाँव	539	79	414.47	313.76	100.71	180	250	48.60	67.50	82.89	20.14	34.29	-47.36	171.45	-236.80
पारसवाड़ी	545	177	390	324.66	65.34	150	171	40.50	16.17	78.00	13.06	37.50	-3.11	187.50	-165.55
राजोली	526	171	369	246.75	122.25	430	480	16.10	129.60	73.80	24.45	-42.30	-105.15	-211.50	-525.75
लेखा	527	77	279.92	62.39	117.53	260	421	70.20	113.67	55.98	23.50	-14.22	-90.17	-17.10	-450.85
पांढसड़ा	587	183	217.54	136.34	81.2	140	275	37.80	74.25	43.50	14.85	5.70	-59.40	28.50	-297.00
खरकाड़ी	530	68	50.89	0.0	50.89	150	220	40.50	59.40	10.17	10.17	-30.33	-49.23	-151.65	-246.15

FOREST LAND WITH NISTAR RIGHTS IN GADCHIROLI DISTRICT

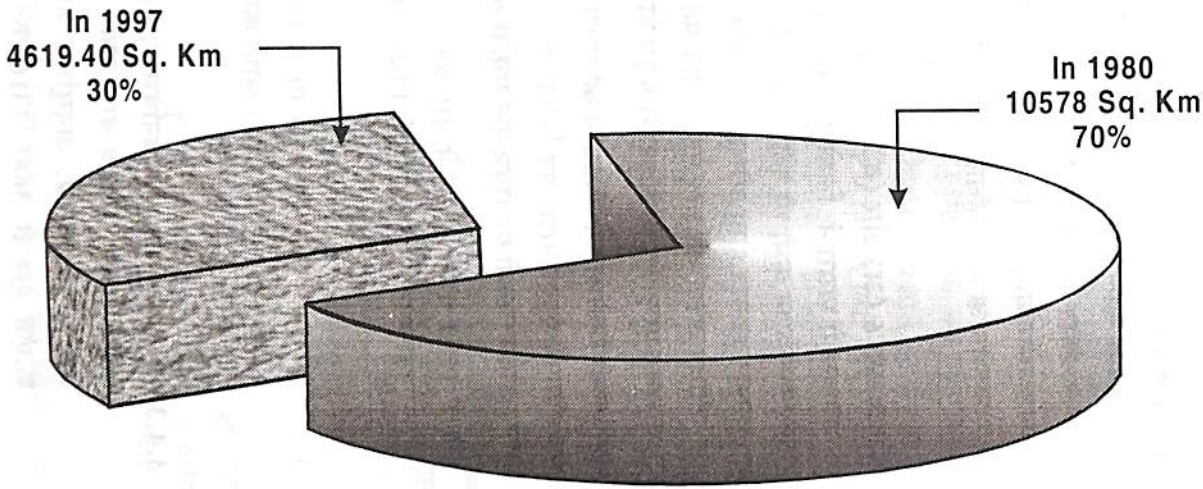

3.3 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 और धारा 6 के प्रावधानों पर ठीक अमल नहीं होना :

3.3.1 गलत आंकड़े लगाकर की जा रही निस्तार नीति पर दूरगामी विपरीत प्रभाव डालने वाली कार्यवाही, जिनका जीवन इस निस्तार प आधारित है ऐसे लोग रोक सकते थे। लेकिन धारा 6 और 4 के अनुसार मातृ भाषा में, यानी गोंडी भाषा में हर गांव की जानकारी लोगों तक नहीं पहुँचाई गयी, जिस कारण लोग कार्यवाही नहीं रोक सके।

3.3.2 धारा 6 (अ) और (ब) पर ही योग्य अमल नहीं किया गया। निस्ता पत्रक में खसरा नं. लिखे होने के बावजूद प्रत्यक्ष वन क्षेत्र में जमीन प डिमार्केशन कभी भी नहीं किया गया, जिससे वन-बंदोबस्त के कारण क्या बदलाव होगा और उसका अपने जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है यह लोगों को ज्ञात नहीं हुआ। यह लोगों को ज्ञात हो एवं वे सही समय पर उचित कदम उठा सके इसकी कोशिश ही नहीं की गई।

3.4 गडचिरौली जिले के वन-बंदोबस्त को राजपत्र में प्रकाशित करने पर रोक का शासकीय निर्णय, कारणों का निराकरण किये बिना ही बदल दिया गया। ऐसा नहीं होता तो भी यह संकट टल सकता था।

3.4.1 1989 में ही लोगों ने इस वन-बंदोबस्त का विरोध किया था। गडचिरौली तथा आरमोरी विधान सभा सदस्यों ने भी इस पर तीव्र आपत्ति उठाई थी।

3.4.2 परिणाम स्वरूप मुख्य सचिव (महाराष्ट्र राज्य) तथा अर्थ सचिव ने गडचिरौली जिले में आकर लोगों की और जन प्रतिनिधियों की बात सुनी थी।

3.4.3 सह सचिव, महसूल व वनविभाग, महाराष्ट्र राज्य ने दिनांक 30-11-1989 को श्री सुखदेव बाबू उइके, तत्कालीन विधानसभा सदस्य और समिति प्रमुख, अनुसूचित जाति कल्याण समिति को प क्र.एफ. एल.डी. 3685/9316/फ-2 द्वारा सूचित किया कि -

"गडचिरौली जिले की वन भूमि के संबंध में भारतीय वन अधिनियम 192

की धारा 20 द्वारा अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार ने दिनांक 21-10-1989 के पत्र द्वारा स्थगन आदेश देकर वैसा सभी संबंधितों को सूचित किया गया है।" इतना सब होने के बावजूद जिन कारणों से इस स्थगन के आदेश दिये गये थे उन कारणों का निराकरण किये बगैर ही 11-03-1993 को सरकार ने यह अधिसूचना राजपत्र में जारी कर दी। अगर ऐसा नहीं होता तो यह गलती टाली जा सकती थी।

किसका क्या नुकसान हुआ ? आगे क्या करें ?

सरकारी कानून एवं नीति द्वारा लोगों के निस्तार हक अब भी बरकरार है ऐसा दिखाई देता है। ऐसा होते हुए भी प्रत्यक्ष में निस्तार अधिकारों का दिन ब दिन ह्रास क्यों होता गया ? लोगों को अधिकार के रूप में निस्तार क्यों नहीं मिलता ? अपने गांव के पास के परंपरागत निस्तार हक वाले जंगलों से ही निस्तार लाते वक्त लोग खुद को चोर क्यों समझते है ? निस्तार के लिये वन आवश्यक है, फिर भी वन तेजी से क्यों नष्ट हो रहे हैं? वनों के शाश्वत (सस्टेनेबल) व्यवस्थापन के लिए जनसहभागिता आवश्यक है, फिर जनसहयोग क्यों नहीं मिलता ? इसके लिए किसी एक को ही जवाबदार मानना गलत होगा। प्रत्येक को अपनी क्या गलती हुई, इसकी खोज करके भविष्य की रणनीति तय करनी होगी।

लोगों का क्या नुकसान हुआ ?

- ✔ मालगुजारी एवं जमींदारी नष्ट करने का कानून 1950 में पारित हुआ। मालगुजार एवं जमींदारों के कब्जे में स्थित परंपरागत निस्तार हक वाले सभी जंगल तथा जमीन सरकार ने जमा की है। उसके बाद 1953-1956 में निस्तार चौकसी की गयी तब लोगों ने जागृत रहकर चौकसी में हिस्सा नहीं लिया।
- ✔ निस्तार हक वाले जंगल गांव के कब्जे में रहने चाहिए, ऐसी मांग नहीं हुई, आग्रह करना तो दूर रहा। सरकार ने इन जंगलों के व्यवस्थापन एवं उपयोग के संबंध में अनेक परिवर्तन किये, लेकिन उस पर विचार करके, वे योग्य है या अयोग्य ऐसी राय बनाकर, उनका सामूहिक प्रस्तुतीकरण लोगों ने नहीं किया।
- ✔ सही या गलत, जो निस्तार पत्रक बनाए गये, उनकी लोगों ने कभी भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की।

- अधिकार के रूप में निस्तार मिलना चाहिए ऐसा आग्रह न रखते हुए चोरी के मार्ग को स्वीकार करने में ही लोगों ने सुविधा महसूस की, दूसरे का कुछ भी हो अपना मतलब सार्थक हुआ, ऐसा दृष्टिकोण रखकर लोग काम चलाते रहे। वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी आर्थिक भ्रष्टाचार को सुविधाजनक मानकर चोरी को ही प्रोत्साहन दिया। लोग भी अधिकार के लिए संघर्ष का मार्ग स्वीकारने की बजाय प्रलोभन की बली चढ़ गये।
- लोगों के निस्तार हक के जंगलों में भी ठेकेदार या सरकार ने कटाई की, तब लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। उल्टे पैसों की लालच में खुद का निस्तार वन भी काटा और लकड़ी ट्रकों में भरकर बाहर ले जाने के लिये उनकी मदद की।
- त्वरित संकुचित स्वार्थ के लिए लोगों ने खुद के भविष्य का या आगे आने वाली पीढ़ी के जीने के अधिकार का भी विचार नहीं किया।

सरकार की क्या गलती हुई ?

- योग्य निस्तार चौकसी होने के लिए और कौन-कौन से विषयों का ज्ञान एवं कुशलता जरूरी है, इसका विचार किए बगैर सिर्फ राजस्व विभाग की तरफ चौकसी का काम सौंपकर सरकार ने गलती की। समाजशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, मानव वंश शास्त्र, वानिकी एवं पारिस्थितिकी शास्त्र (इकोलॉजी) आदि विषयों के जानकारों को चौकसी के काम में सहभागिता करना जरूरी था लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
- निस्तार चौकसी करने वाले अधिकारियों ने प्रत्येक गांव में जाकर गांव की बैठक लेकर उनकी मातृभाषा में निस्तार चौकसी का काम नहीं किया। अनपढ़ गांव वालों को चौकसी के काम में सहभागी कर उनकी राय, शिकायत आदि दर्ज कराने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। उल्टे अनपढ़ गांव वाले सहभागी न हो सके ऐसी कार्यपद्धति अपनाई गई।
- तैयार किया गया निस्तार पत्रक गाँव वालों को कभी भी समझाकर नहीं बताया गया। निस्तार पत्रक और नक्शे दस्तावेजों में ही रह गये। प्रत्यक्ष भूमि पर उनका चिन्हींकरण (डीमार्केशन) कभी भी नहीं किया गया। भूमि पर चिन्हींकरण का काम नहीं होने से अपने निस्तार अधिकार के जंगल कौन से हैं यह जानकारी लोगों में नहीं रही। भूमि पर निस्तार हक किस सीमा तक कहाँ और किसलिए है इसकी जानकारी सरकार को भी नहीं रही।

- ऐसे निस्तार हक के वनों को समुचित वैज्ञानिक व्यवस्थापन करने की दृष्टि से तथाकथित प्रयत्न के रूप में सूक्ष्म कार्य योजना बनाने की कभी कोशिश भी नहीं की गई। निस्तार वनों की उपयोगिता लगातार बनी रहे इसलिए उनके चक्रीय (रोटेशनल) उपयोग की योजना नहीं बनाई गई।
- निस्तार हक वाले वनों का जन सहभागिता से नियोजन, संवर्धन एवं व्यवस्थापन करने के लिए समुचित कार्यक्रम पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया।
- लोगों के निस्तार अधिकारों को महत्व न देते हुए एक तरफ नगदी पैसों के रूप में मिलने वाले राजस्व को ही प्रधानता दी गई तो दूसरी ओर उद्योगपति एवं इंण्डस्ट्रीज को लगने वाले कच्चे माल में दीर्घकालीन बड़ी छूट देकर राजस्व और प्राकृतिक संसाधनों का अपरिमित नुकसान किया।
- लोगों को प्रत्यक्ष में निस्तार हक लगातार मिलते रहें इसलिए समुचित व्यवस्था योजना न बनाते हुए वन-बंदोबस्त (फॉरेस्ट सेटलमेंट) की कागजी कार्यवाही की गई और उसमें अवैज्ञानिक आंकड़े लगाकर बड़ी मात्रा में लोगों के निस्तार हक हटाकर आरक्षित वर्ग घोषित करने की बड़ी गलती सरकार ने की है।
- प्रति व्यक्ति और पशुओं के निस्तार की आवश्यकता तथा उसके लिए समुचित वन-भूमि क्षेत्र का निर्धारण तथा इसके लिए आंकड़े तय करते समय किसी भी वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल नहीं किया गया। आंकड़े तय करने की प्रक्रिया में लोगों को सहभागी न करते हुए गलत आंकड़े उन पर थोप दिए गए।

लोग आगे क्या करें ?

- अपने गाँव से लगे हुए जल, जंगल और जमीन के समुचित व्यवस्थापन की जिम्मेदारी गांव समाज ने स्वीकार की, तो ही उन्हें निस्तार हक मिल सकता हैं, यह लोगों को समझना होगा।
- चंद्रपुर और गडचिरोली जिले की निस्तार नीति का अध्ययन कर समुचित सुझाव देने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मा. सहारिया जी, आयुक्त, नागपुर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति द्वारा दिए सुझावों का अध्ययन कर उस पर अमल करने प्रयास जरूरी है।

मनुष्य तथा पशुओं के लिए निस्तार हेतु कितनी जमीन आरक्षित रखें इसके आंकड़े तय करने के लिए मित्र एवं विशेषज्ञों के सहयोग से लोग खुद गांव स्तर पर कार्य सुधार काम शुरू करें। जन सहभागिता से वैज्ञानिक आंकड़े तय होने तक 1956 में निस्तार के लिए आरक्षित किया गया क्षेत्र कम न करने दें। गलत आंकड़े लगाकर किया गया वन-बंदोबस्त और उसे आधार मानकर की गई आरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही नामंजूर करें।

राजस्व एवं वनविभाग के कर्मचारियों को गांव में बुलाकर निस्तार पत्रक में दर्ज अपने निस्तार अधिकार कहां है यह प्रत्यक्ष रूप से समझ ले तथा पत्थर लगाकर चिन्हींकरण करें। गांवों के लिए रखा गया निस्तार क्षेत्र कम हो तो गांव से लगी हुई अन्य उपलब्ध वन या राजस्व भूमि पर गांव के निस्तार हक आरक्षित कराने के लिए जिलाधिकारी को भू-राजस्व संहिता में दिये गये प्रावधान के अनुसार आवेदन दें तथा उस पर होने वाली कार्यवाही में सक्रिय रूप से सहभागी रहें।

सरकार क्या करें ?

महाराष्ट्र में चंद्रपुर और गडचिरोली जिले में निस्तार नीति पर अध्ययन के लिये गठित सरकारी समिति की रिपोर्ट तुरंत मंजूर कर उस पर अमल करें। म.प्र. और छत्तीसगढ़ में भी सहारिया समिति के सुझावों पर अमल किया जाये।

मनुष्यों और पशुओं के निस्तार के लिए कितनी जमीन आरक्षित रखें इस संबंध में आंकड़े वैज्ञानिक आधार पर पुनर्निर्धारित होने तक 1955-1956 में तैयार किये गये निस्तार पत्रकों में निस्तार हक कम न करें। इस वैज्ञानिक अध्ययन में स्वयं सेवी संस्थाओं तथा ग्रामवासियों की भी सहभागिता हो।

1988 की भारतीय वन नीति में दर्शायेनुसार वन में तथा वन के पास रहने वाले लोगों के वनोपज पर निस्तार अधिकार को व्यापारिक एवं औद्योगिक उपयोग की तुलना में प्रथम प्रधानता दें।

भू-राजस्व संहिता द्वारा प्राप्त अधिकारों को उपयोग करते हुए जिलाधिकारी निस्तार पत्रक के साथ-साथ उसके लिए आवश्यक समुचित योजना भी तैयार करें। ऐसा करते समय लोग तथा उनके साथ कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं को भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल करें।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 28 के अनुसार "ग्राम वन" घोषित कर वह गांव समाज के हाथ में सौंपने के लिए सरकार ग्राम वन के नमूना नियम (मॉडल रूल्स) एवं मार्गदर्शक तत्व सुनिश्चित करें। इस सीमा में स्वयं के नियम स्वयं तय करने का गांव समाज का अधिकार राज्य सरकार स्वीकार करें तथा स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से उस पर अमल करें।

महाराष्ट्र राज्य सरकार की सहाय्या समिति द्वारा सुझाई गई निस्तार संबंधी प्रस्तावित निराकरण योजना :

महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग निर्णय क्रमांक एस./30/2000/ प्रक्र. 215/फ/-/6 दिनांक 10-11-2000 तथा समपत्र दिनांक 10-05-2001 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सरकार ने चंद्रपुर तथा गडचिरोली जिलों की निस्तार नीति का अध्ययन कर उपाय सुझाने के लिए निम्न समिति का गठन किया -

1. आयुक्त, नागपुर विभाग, नागपुर	अध्यक्ष
2. जिलाधिकारी, चंद्रपुर	सदस्य
3. जिलाधिकारी, गडचिरोली	सदस्य
4. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चंद्रपुर	सदस्य
5. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला परिषद, गडचिरोली	सदस्य
6. श्री मोहन हीराबाई हीरालाल, संयोजक "वृक्षमित्र" गडचिरोली/चंद्रपुर	अशासकीय सदस्य (जिला गडचिरोली)
7. डॉ. ए.पी.पिल्लई, प्राचार्य एस.पी. विधि महाविद्यालय, चंद्रपुर	अशासकीय सदस्य (जिला चंद्रपुर)
8. वन सरंक्षक, उत्तर चंद्रपुर वनवृत्त	सदस्य
9. वन सरंक्षक, दक्षिण चंद्रपुर वनवृत्त	सदस्य

10. प्रादेशिक व्यवस्थापक, वनविकास महामंडल, उत्तर चंद्रपुर	सदस्य
11. उप वन संरक्षक (नियोजन), उत्तर चंद्रपुर वनवृत्त	सदस्य सचिव

इस समिति ने जून 2002 में सरकार को अपनी रिपोर्ट दी, समिति द्वारा प्रस्तावित निराकरण के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं -

प्रस्तावित निराकरण योजना

(अ) निस्तार :

चंद्रपुर एवं गडचिरोली जिले की निस्तार नीति का अध्ययन कर सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा गठित समिति ने निस्तार संबंधी पूर्व इतिहास, निस्तार की प्रचलित पद्धति तथा निस्तार संबंधी समस्याओं पर विचार कर निराकरण योजना के लिये सुझाव दिये है। गांव की आवश्यकतानुसार और उपलब्धता की सीमा में निस्तार के लिये आवश्यक वन उपज लगातार मिलती रहे ऐसी समुचित कानूनी व्यवस्था अगर होती है तो लोगों को गांव से लगे हुए वन क्षेत्र के प्रति अपनत्व की भावना का निर्माण होगा जिससे व्यापारिक दृष्टि से होने वाली गैर कानूनी जंगल कटाई पर गांव समाज का नियंत्रण रहेगा और वन संवर्धन का काम ज्यादा प्रभावी होगा। लगातार निस्तार मिलता रहें इसलिए लोगों का वन व्यवस्थापन के काम में सहभागिता करना सहज संभव हैं। निस्तार के लिए निराकरण योजना सुझाते वक्त समिति ने नीचे दर्शाए गये मार्गदर्शक तत्व ध्यान में लिये है।

मार्गदर्शक तत्व :

1. भारतीय संविधान में दी हुई राजकीय, सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी। वनों में एवं वनों के आसपास रहने वालें गांव वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति होने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा उन्हें अन्य समाज की बराबरी में आने का मौका मिल सकेगा।

2. भारतीय संविधान की धारा 21 के अनुसार प्राप्त जीने का मूलभूत अधिकार यानी आवश्यक अनाज, पानी, जलाऊ /लकड़ी, चारा, खेती के लिए औजार एवं घर के लिए जरूरी लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, मुरम, गिट्टी आदि गांव परिसर से बिना मूल्य या उचित दर से प्राप्त करना आदिवासी एवं ग्रामीण जनता का परंपरागत अधिकार है। उसका संरक्षण कर समुचित व्यवस्था करना।

3. भारत सरकार की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वन व्यवस्थापन के मुख्य उद्देश्यों में से एक मुख्य उद्देश्य वनों की उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखकर ग्रामीण एवं आदिवासी जनता की जलाऊ लकड़ी, चारा, गौण वन उपज तथा मकान के लिये जरूरी छोटी इमारती लकड़ी की आवश्यकता पूरी करना है। वनों में और वनों के आसपास रहने वाले आदिवासी एवं अन्य गरीबों का जीवन वनों के साथ जुड़ा हैं, उनके परंपरागत अधिकार एवं आवश्यकताओं का पूरी तरह संरक्षण किया जायेगा। जलाऊ लकड़ी, गौण वन उपज और छोटी इमारती लकड़ी की निजी जरूरतों को अन्य उपयोग की तुलना में प्राथमिकता देना, ये वस्तुऐं उन्हें सुविधाजनक स्थानों पर स्थित डिपों से उचित दर पर उपलब्ध कराना यह वन व्यवस्थापन के उद्देश्य हैं।

4. सार्वजनिक संपदा के जल, जंगल, जमीन जैसे आधारभूत प्राकृतिक संसाधनों का समुचित व्यवस्थापन लोगों की सहभागिता द्वारा करना।

5. गांव समाज और ज्यादा स्वावलंबी बने और उसकी स्वशासन की दिशा में प्रगति हो इसलिए राज्य सरकार और सभी लोगों द्वारा प्रयत्न करना।

6. सभी निर्णय प्रक्रियाओं में पुरूषों महिलाओं की सहभागिता रहें ऐसी योजना एवं पद्धति अपनाना।

प्रस्तावित योजना :

पहले गांव से लगा हुआ वन क्षेत्र निस्तार के लिए आरक्षित रखा जाता था। इस में राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकार वाले वन क्षेत्रों का समावेश होता था, उनमें से कुछ क्षेत्र समय-समय पर संरक्षित वन या आरक्षित वन घोषित

किये गये हैं। 1992 में जारी अधिसूचना से पहले के संरक्षित वन कम होकर आरक्षित वनों में बढ़ोत्तरी हुई है। संरक्षित वनों में विस्तार के अधिकार थे और इस प्रक्रिया के कारण संरक्षित वन कम हुए जिससे निस्तार पर प्रभाव पड़ा। इस संबंध में गडचिरोली जिले के नमूना अध्ययन को ध्यान में रखा गया हैं। इसके अलावा वन विभाग की ओर से कुछ क्षेत्र वन विकास वन मंडल को तथा वन्य जीव विभाग को विभाजित किये है। 1956 के पहले की और आज की भौगोलिक सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में काफी परिवर्तन आया है उसका प्रभाव वनोपज के उत्पादन पर हुआ हैं। महाराष्ट्र में स्थित वनों की आज की उत्पादन क्षमता और म.प्र. की निस्तार नीति को ध्यान में लेकर ही निम्न निराकरण योजना प्रस्तावित की गई हैं।

1. ग्राम वन बनाकर ग्राम समाज को सौंपे :-

33 प्रतिशत से ज्यादा वन क्षेत्र जिन गांवों में है, ऐसे गांवों को संपूर्ण वन क्षेत्र भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 28 द्वारा "ग्राम वन" (विलेज फॉरेस्ट) घोषित कर व्यवस्थापन के लिये गांव समाज को सौंप दिया जाये। ग्राम वन बनाते समय सरकारी बंजर भूमि या वन भूमि जो पथरीली-पहाड़ी, झाड़ियों के जंगल, बड़े पेड़ का जंगल या अभिलेख में अन्य किसी नाम से संबोधित होगी ऐसी सभी प्रकार की जमीन जो महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता 1966 की धारा 22 के अंतर्गत चारागाह, जलाऊ/लकड़ी, चराई के लिए आरक्षित रखी गई है, ऐसी भूमि का और भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अनुसार अधिसूचित हुये संरक्षित वनों का प्रथम अंतर्भाव किया जायें। यह क्षेत्र अगर कम पड़ा तो गांव से लगे हुए आरक्षित वनों को भी ग्राम वन बनाते समय ध्यान दिया जायें और उसके अनुसार ग्राम वन घोषित किये जायें इस हेतु जनसहभागिता से शीघ्र नियम बनाने होंगे।

2. प्रथम प्रधानता ग्राम वन को, अगर संभव नहीं तो संयुक्त वन व्यवस्थापन को प्रधानता :-

33 प्रतिशत से कम वन क्षेत्र जिन गांवों में है, ऐसे गांव में जहां ग्राम वन घोषित किये जाये और जहां संभव नहीं वहां महाराष्ट्र शासन निर्णय

क्र. एस.एल.एफ./1091/प्र.क्र. 119/फ-11, दिनांक 16-03-1992 के अनुसार घोषित किया हुआ "ग्रामीणों की सहभागिता से वन व्यवस्थापन" कार्यक्रम पर अमल कर उसमें से मिलने वाला 100 प्रतिशत लाभ गांव वालों को दिया जाये, जो गांव "ग्राम वन" या "ग्रामीणों की सहभागिता से वन व्यवस्थापन" कार्यक्रमों में सहभागी हुये हैं ऐसे गांव की निस्तार की जरूरत उन्हें हस्तांतरित किये गये वन क्षेत्र से ही पूरी करने की अधिकतम कोशिश करें, उसके बाद भी अगर आवश्यकता है तो वह उस गांव की दृष्टि से सुविधाजनक जगहों पर स्थित निस्तार डिपों में उपलब्ध वन उपज से पूरी की जाये। आगे आने वाले समय में 100 प्रतिशत गांव "ग्रामीणों के सहभाग से वन व्यवस्थापन" में सहभागी हो ऐसी कोशिश की जाये।

3. निस्तार व्यवस्थापन में लोगों की सहभागिता न करने के कारण उनमें जिम्मेदारी एवं कर्त्तव्य की भावना निर्माण नहीं हुई। वन जैसे महत्व के संसाधन से लोगों के अलगाव की प्रक्रिया बढ़ती गई। जिससे उत्पादन में कमी आकर जीवनोपयोगी वस्तुओं की कमी महसूस होने लगी और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया, इसे रोकने वन संरक्षण एवं वन व्यवस्थापन में ग्रामीणों का सहयोग लिया जावें। छोटे गांव, पाड़ा, मोहल्ले के सभी लोग मिलकर होने वाली ग्राम सभा को उसके परिसर में स्थित सार्वजनिक जल, जंगल, जमीन के व्यवस्थापन का काम सौंपा जाये।

4. जहां "ग्राम वन" या "ग्रामीणों की सहभागिता से वन व्यवस्थापन" में गांव समाज सहभागी होगा वहां सरकार की अन्य योजनाएं उदाहरण रोजगार गांरटी योजना, रोजगार आश्वासन योजना, मृदा एवं जल संधारण कार्यक्रम, वॉटर शेड विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्राम वनीकरण समृद्धि योजना एवं दूसरी अन्य योजनाओं पर प्राथमिकता से अमल किया जाये।

5. वनों की उत्पादन क्षमतानुसार "निरंतर उत्पादन" (Sustained Yield) इस वैज्ञानिक तथ्य पर उत्पादित होने वाली वन उपज से ही निस्तार दिया जायेगा।

6. 1956 की ग्रामीण जनसंख्या और वर्तमान ग्रामीण जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ग्रामीण जनसंख्या लगभग 2.5 गुना बढ़ गई हैं इससे

उनकी आवश्यकताओं में बढ़ोत्तरी हुई हैं और इसी कारण जलाऊ/लकड़ी के लिये हो रही पेड़ कटाई रोकी नहीं जा सकती। भारतीय वन संर्वेक्षण की 1999 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति 0.31 मैट्रिक टन के अनुसार हर साल 1.7 करोड़ मैट्रिक टन जलाऊ/लकड़ी की आवश्यकता है लेकिन महाराष्ट्र में लगभग 8 लाख मैट्रिक टन जलाऊ/लकड़ी का उत्पादन होता है। इससे ज्ञात होता है कि जलाऊ/लकड़ी अल्प मात्रा में (4.7%) होने के कारण जरूरत पूरी करने के लिए वनों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप वनों की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है, इसे रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों का - जैसे सौर चूल्हा, गोबर गैस, बायो गैस, गैसी फायर, सौर ऊर्जा संयंत्र इस्तेमाल करने की योजनाएं हैं, यह सभी योजनाएं वन क्षेत्र में तथा वन क्षेत्र से लगे हुए गांव में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए वन से 8 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों की विविध योजनाओं पर अमल करने प्राथमिकता दी जायें और ऐसी योजना के अंतर्गत जहां सुविधाएं नहीं है, ऐसे स्थान पर 50% तक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये। जिन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को पहले से सुविधाएं दी जा रही हो उसे 75% बढ़ाकर दिया जाये, इसके लिये सभी शासकीय विभागों को प्रोत्साहित करें, जिससें वनों पर जलाऊ/लकड़ी हेतु आश्रित ग्रामीणों का बोझ कुछ हद तक कम होगा एवं ग्रामीण महिलाओं की समस्याएं भी कम होगी। इसके अलावा जलाऊ/लकड़ी के धुएं से ग्रामीण महिलाओं को मुक्ति मिलने से उनका स्वास्थ्य भी सुधरेगा। परिणामस्वरूप स्वस्थ समाज की स्थापना होगी।

7. चंद्रपुर एवं गडचिरोली जिले में वार्षिक वन उपज उत्पादन तथा ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन करने पर तत्कालीन म.प्र. सरकार की 1956 की निस्तार नीति के अनुसार वन उपज उसी मात्रा में उपलब्ध कराना संभव नहीं। इस कारण उपलब्ध वनोपज की मात्रा तथा ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन कर निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किया गया है।

7.1 समुपयोजन कूप से उत्पादित होने वाली वनोपज पर वन से 8 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित गांव का पहला अधिकार होगा। यह वन उपज निस्तार डिपो से गांव के लोगों को निस्तार दर से उपलब्धता के अनुपात में "प्रथम आए प्रथम पाएं" इस नीति अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी। गांव के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर म.प्र. राज्य में चल रही निस्तार पद्धतिनुसार वनपाल/वनरक्षक के मुख्यालय की जगह आवश्यकतानुसार निस्तार डिपो खोले जायें और इन डिपों से वन उपज लोगों को दी जाएं। गांव के गरीबी रेखा के नीचे, भूमिहीन एवं अल्प भू-धारक को निस्तार के अंतर्गत वनोपज निस्तार दरों से देने को प्रमुखता दी जायें। निस्तार के अंतर्गत दी जाने वाली वनोपज की जानकारी निम्नानुसार है :-

इमारती लकड़ी :

कार्य विवरण	परिमान
कृषि-उपयोगी	8 बल्लियां 45 से.मी. गोलाई वर्ग की तथा 1 तना/ प्रति परिवार/प्रति वर्ष
खेत-माला के लिए	4 बल्लियां 45 से.मी. गोलाई वर्ग की प्रति परिवार 3 साल में एक बार
हल/बखर/तिफन के लिए	3 साल में एक बार 1 नग/प्रति परिवार
मकान मरम्मत के लिए	10 बल्लियां 45 से.मी. गोलाई वर्ग की प्रति परिवार
नये निमार्ण कार्य के लिए	उपलब्धता एवं मांग अनुसार

बाँस :

खेती के लिए उपयोगी (किसानों को)	50 बाँस
खेती के अलावा अन्य उपयोग	25 बाँस
(गैर किसान) बसोड़ के लिए	1500 बाँस

जलावन :

जलाऊ बीट उपलब्धतानुसार तथा मांगानुसार। विनिर्दिष्ट तारीख को उपलब्धता से ज्यादा मांग होने पर उपरोक्त मात्रा में कमी होगी।

1. कुपों के समुपयोजन में से निस्तार के लिए उपलब्ध होने वाली वन उपज की डिपो अनुसार जानकारी, वैसे ही प्रति लाभार्थी मिलने वाले वन उपज मात्रा संबंधित उपवन संरक्षक हर साल 1 जनवरी तक संबंधित संवर्ग अधिकारी को देंगे। संवर्ग अधिकारी उनके अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों से संपर्क साधकर निस्तार अंतर्गत देय विभिन्न वनोपज की मात्रा निश्चित करेंगे। इसके अनुसार निश्चित की गई मात्रा के अधिकार पत्र वे लाभार्थी को जारी करेंगे। यह अधिकार पत्र विशिष्ट निस्तार डिपो के लिए होगा और ऐसे अधिकार पत्र धारक को उपलब्ध मात्रा में वन विभाग द्वारा निस्तार दिया जायेगा।

2. 8 कि.मी. के अंदर स्थित ऐसे गाँव जिन्हें प्रस्तावित निस्तार व्यवस्था अंतर्गत वन उत्पादन उपलब्ध कराये जा रहें हैं, वे गाँव आगे 5 साल के अंदर अगर "ग्रामीणों के सहयोग से वन व्यवस्थापन" कार्यक्रम में सहभागी नहीं होते हैं तो उन्हें निस्तार सुविधा नहीं मिलेगी।

3. बांस कारीगरों को उनके काम के लिए जरूरी है ऐसा बांस तुरंत मिले इसलिए पद्धति में सुधार करना आवश्यक है। ग्रामवन समिति या वन-संरक्षण समिति को उनके क्षेत्र के बांस कारीगरों को, उपलब्धतानुसार एवं वन संवर्धन को नुकसान पहुँचाएं बगैर निकाला गया बांस, बांस के निस्तार दर से बंटवारा करने के लिए तुरंत दिया जाये।

4. महाराष्ट्र शासन महसुल एवं वनविभाग पत्र क्रं. बी.एस.एफ./2063/1841 दि. 20-05-1969 में दिया गया निस्तार के लिए कितनी जमीन आरक्षित रखी जाये इस संबंध के आंकड़े वैज्ञानिक आधार पर पुनर्निर्धारित किये जाये।

5. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की (सन् 1999) रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता 63 किलोग्राम है और महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जलाऊ/लकड़ी की आवश्यकता 318 किलोग्राम है। चंद्रपुर, गडचिरोली में वनव्याप्त

आदिवासी जनसंख्या ज्यादा है ऐसे जिले होने के कारण वनों की उत्पादकता एवं स्थानीय ग्रामीणों की जरूरत को आधार मानकर जानकारी के ऑकड़े इकठ्ठा किये जाये और उस आधार पर चंद्रपुर/गडचिरोली जिलों के लिए भविष्य में निस्तार हेतु समुचित योजना तैयार की जायें।

समुचित योजना बनाने के लिए सरकारी संस्थाओं तथा अशासकीय संस्थाओं की सहायता ली जाये। उदा. रिमोट सेन्सींग एजेन्सी हैदराबाद, सेंटर फॉर इकोलॉजीकल सायन्सेस (बंगलोर), संख्याशास्त्र विभाग (पुणे विद्यापीठ)।

6. वन विभाग के अंतर्गत दिये जाने वाले निस्तार वन उत्पादनों पर लगाये जाने वाले कर, उदा. बल्लियों पर वन-विकास कर 12%, बिक्री कर 8% तथा बिक्री कर पर अधिभार 10%, लगाया जाता है और जलाऊ लकड़ी पर वन विकास कर 12% लगाया जाता है। निस्तार वन उत्पादनों पर लगाये जाने वाले कर रद्द किये जाये, जिससे कि ग्रामवासियों पर ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े।

7. बड़े वृक्षों के जंगल/झाड़ी जंगल, जो राजस्व विभाग के पास है, उस पर पूर्व में निश्चित किये गये निस्तार हक अबाधित रहेंगे। यह क्षेत्र वैकल्पिक वनीकरण के लिए देना हो तो निस्तार हक का क्षेत्र छोड़कर बचा हुआ क्षेत्र वैकल्पिक वनीकरण के लिए दिया जाये। वैसे ही बड़े वृक्षों के जंगल/झाड़ी जंगल वन-विभाग को हस्तांतरित होने के बाद भी उस क्षेत्र पर निस्तार हक बने रहेंगे ऐसा प्रावधान किया जाये।

8. जो क्षेत्र अव्याप्त (अनऑक्युपाईड) है ऐसे क्षेत्रों के वन उपज का निस्तार अंतर्गत व्यवस्थापन जिलाधिकारी द्वारा महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता 1966 की धारा 161 से 167 अनुसार करने का प्रावधान है। इन प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी निस्तार पत्रक तैयार कर अव्याप्त क्षेत्रों के व्यवस्थापन की योजना तुरंत बनाकर उस पर अमल करें।

9. चराई भी निस्तार के अंतर्गत आती है। पशुओं की चराई का बोझ बढ़ जाने के कारण प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं के परिणाम दिखाई नहीं देते। सन् 1987 की पशु-गणनानुसार महाराष्ट्र में 3.43 करोड़ पशुधन है इसमें से

करीब 10% पशु वनों पर आश्रित है। गडचिरोली जिलें में 5.65 लाख और चंद्रपुर जिले में 6.6 लाख गाय-भैंसे है। भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार प्रति जानवर 1.25 मेट्रिक टन चारा लगता है। इसके अनुसार 7.06 लाख मेट्रिक टन गडचिरोली जिले के लिए तो 8.33 लाख मेट्रिक टन चारा चंद्रपुर जिले के लिए लगेगा। लेकिन आज प्रचलित चराई नीति इसके आगे भी शुरू रखी जाये। जिन गाँवों से 5 किलोमीटर के अंदर वनीकरण, मुख्य कूप कटाई इस प्रकार के क्षेत्र आयेंगे वैसे ही सामाजिक वनीकरण की योजनाओं के कारण गाँव के पास जहां वनीकरण किया गया है ऐसे क्षेत्र चराई के लिए बंद रहने वाले है इसलिए इन क्षेत्रों से लगे हुये गाँव के लिए गोठा चराई (स्टाल फिडींग) पद्धति का उपयोग करें।

10. चंद्रपुर एवं गडचिरोली जिले में 8 वन-विभाग आते हैं उनमें से 5 वन-विभागों की कार्य योजना समाप्त हो चुकी है। कार्य योजना समाप्त होने के कारण वहां कूप समूपयोजन के काम तथा अन्य वन-संवर्धन के काम उदा. कटबॅक ऑपरेशन, कूप स्वच्छता, फुटवा एकेरीकरण के काम बंद है उसमें से बड़ी मात्रा में ग्रामवासियों को निस्तार उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन कार्ययोजना ही बंद होने के कारण उसका प्रभाव निस्तार पर हुआ है। इसलिए संबंधित वन विभागों की कार्ययोजना तुरंत लिखकर उसे केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त कर उस पर तत्काल अमल किया जाये।

ग्रामवन

तसनिम अहमद

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 23 में शामिल सभी जमीन सरकार के फायदे के लिए "आरक्षित वन" घोषित करने की जरूरत नहीं। उसमें से कुछ गांव वालों के फायदें के लिये "ग्राम वन" घोषित करना सही होगा। आज भी उनके उन वनों पर व्यापक अधिकार है। ग्राम वन एक तरह से आरक्षित वन है, क्योंकि उसका व्यवस्थापन सरकारी अधिकारियों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन उससे होने वाला अतिरिक्त उत्पादन गाँव समाज को प्राप्त होता है। ग्राम वन यानि भू-राजस्व बंदोबस्त अनुसार गाँव वालों को दी गयी वेस्ट लेड नहीं है, यह सचमुच में जंगल ही है। वन अधिनियम के प्रकरण 3 में ग्रामवन संबंधी प्रावधान किये गये है।

वन अधिनियम अनुसार ग्राम वन घोषित करने की प्रक्रिया "आरक्षित वन" घोषित करने की प्रक्रिया जैसी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रकरण 3, धारा 28, उपधारा (1) के अनुसार राज्य सरकार औपचारिक आदेश द्वारा आरक्षित क्षेत्र एक या एक से ज्यादा गाँवों को जिन्हें उनसे फायदा होना अपेक्षित है - के नाम करती है। पहले से आरक्षित है ऐसे क्षेत्र इस तरह से गाँव के नाम किये जा सकते हैं, या दुबारा कोई क्षेत्र ग्राम वन के रूप में आरक्षित किये जा सकते हैं। दुबारा आरक्षण किया गया होगा तो अधिकारों को लागू करना अधिक सरल होगा, क्योंकि जिस गाँव को ग्रामवन निर्धारित किया जा रहा हो, उस गॉव को अधिकार रहेंगे। अन्य व्यक्ति या संस्थाओं के अधिकारों को ही सिर्फ लागू करना होगा और शायद ही उसकी जरूरत पड़ेगी।

चराई, लकड़ी कटाई आदि के गाँव के अधिकार, दूसरे किसी की संपत्ति के अधिकार ना रहकर, वे गाँव के खुद के नाम है ऐसी संपत्ति के उपभोग के अधिकार होगे। नियम और व्याख्या, जानवरों की संख्या, चराई का समय, कितने पेड़ काटे जायेंगे, जलाऊ के लिए छोटे पेड़ों का कितना क्षेत्र इस्तेमाल किया जा सकता है, यह सभी तत्व वनों के समुचित उपयोग की कार्ययोजना का हिस्सा होगें। ऐसी वार्षिक या अन्य समयबद्ध कार्य योजना तैयार करनी होगी। ऐसी कार्य योजना में

की गयी सिफारिशों को नियम में समाविष्ट किया जा सकता है, जिससे उन्हें कानून की शक्ति (धारा 28, उपधारा 2) प्राप्त होगी और ऐसे वनों का संरक्षण तथा उनमें सुधार यह गाँव स्तरीय संस्थाओं के कर्तव्य होंगे। बाहर यदि किसी को कुछ अधिकार होंगे तो वे छोड़कर वन के सभी खुले क्षेत्र में चराई हो सकेगी और संपूर्ण वार्षिक उत्पादन गाँव को मिलेगा। गाँव स्तरीय अधिकारी हर एक को उनकी कृषि भूमि के अनुपात में वे बाँट देंगे और उसकी जानकारी रखेंगे। बिक्री के लिए कुछ अतिरिक्त उत्पादन बचा होने पर, बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग कैसा करेंगे यह तय करना होगा। सामूहिक उपयोग के भवन, रास्ते, पुल ऐसी चीजों के लिए या जरूरत मंद को सरकारी कर्जा लौटाने के लिए सहायता करने हेतु उनका उपयोग होगा। गाँव वालों को उसमें से थोड़े-थोड़े पैसे ना बांटे जाये।

ग्रामवन के रूप में आरक्षित वन गाँव को सौंपने के लिए ऐसा नहीं कि निजी संपत्ति मानकर उसका मन चाहे वैसा उपयोग करें, समुचे गाँव समाज के फायदे के लिए उन वनों का संरक्षण और व्यवस्थापन किया जाये।

धारा 28, उपधारा (3) में ग्रामवन का प्रावधान इसलिए है कि वनों का संरक्षण तथा अच्छी देखभाल हो।

(इसके लेखक भा.व.से. के एक ज्येष्ठ वन अधिकारी है।)

निस्तार हक : अर्थ और स्थिति

के.के. नावडू

"निस्तार" यह एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ है, "पार जाना, छुटकारा कर लेना, मुक्त होना, कर्ज लौटाना, निर्दोष होना कोई बात जीत लेने के या मात करने के साधन या उपाय" हिंदी में भी इसका यही अर्थ है।

"द लॉ ऑफ एग्रीकल्चर टेनन्सी एंड विलेज सर्विस लैंड इन द सेन्ट्रल प्रॉव्हिन्सेस" ("मध्य प्रांत के टेनन्सी और ग्रामोपयोगी भूमि संबंधी कानून") अपने इस प्रसिद्ध ग्रंथ में श्री आर. एम. हजरनवीस कहते है कि "निस्तार हक यह ब्रिट्रिश कानून के अनुसार सामूहिक उपयोग की जमीन के बारे में अधिकारों के प्रकार का है ऐसा लग सकता है। ब्रिट्रिश कानून के अनुसार यह अधिकार एक या उससे ज्यादा व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के जमीन पर के अधिकार के प्रकार थे। मध्य प्रांत के जिन हिस्सों में जमींदारी व्यवस्था थी, उन हिस्सों में यह हक वाजीब-उल-अर्ज, अर्थात गाँव प्रशासन पत्रिका में दर्ज किये गये थे। "वाजिब-उल-अर्ज" एक अरबी शब्द है। उसका मतलब है, दर्ज करने की जरूरत है।" बेडेन पॉवेल के अनुसार यह गाँव की प्रथा, व्यवस्थापन के नियम की जानकारी है। खास कर सिंध, वायव्य सरहद प्रांत, मध्य प्रांत में ऐसे दस्तावेज किये गये थे।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1954 के इन दोनों प्रावधानों को महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता 1966 में शामिल किया गया है। गाँव समाज के अधिकार कानून से निर्मित ना होकर कानून ने सिर्फ उन्हें मान्यता दी है। भारत के संविधान की धारा 13 (3) के अंतर्गत उनका समावेश होता है। इस जानकारी के तीन हिस्से है -

(अ) गाँव वालों का अपनी जमीन पर अधिकार (अभिलेख)

(ब) गाँव वालों का अन्य किसी की जमीन पर अधिकार (वाजीब-उल-अर्ज) और

(क) अव्याप्त जमीन पर गाँव समाज का अधिकार (निस्तार पत्रक)

इससे यह ज्ञात होता है कि गाँव में जिनके पास जमीन नहीं, उनका भी सामूहिक उपयोग की जमीन पर अधिकार है। कारीगरों को उनके धंधे के लिए

सहूलियत में वनों से चीजें मिलने संबंधी निस्तार हक तो केवल भूमिहीन गाँव वालों से संबंधित है।

मध्य प्रांत में "मध्य प्रांत जमींदारी निर्मूलन कानून 1950" के अनुसार जमींदारी नष्ट की गई। उसके बाद तुरंत रयतवारी व्यवस्था लागू करने के लिए कदम उठाये गये। मध्य प्रांत भू-राजस्व संहिता 1954 बनायी गयी। उसके बाद दो बार राज्य की पुनर्रचना की गयी। इस घटनाक्रम की जानकारी सभी को है।

गाँव समाज को स्वाभाविक एवं कानूनी अधिकारों के कारण जो मिल सकता है और जो प्रत्यक्ष में उसे मिल रहा है, इसमें बहुत अंतर है और वह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 1953-55 में तैयार किये गये निस्तार पत्रक आज के गाँव समाज की जरूरतों के संदर्भ में निरर्थक है। इस दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति के कई कारण है - जनसंख्या में हुई वृद्धि, तेजी से होने वाला शहरीकरण तथा कथित "बंजर (वेस्ट)" जमीन का खेती के लिए मुक्त-हस्त बटँवारा, निस्तार के लिए वैकल्पिक जमीन ना रखते हुये निस्तार हक समाप्त करना आदि। सब से ज्यादा निराश करने वाली बात यह है कि यह प्रक्रिया लगातार शुरू है। 73 वां संविधान संशोधन अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। इस बीच विदर्भ में, खासकर पूर्व मध्य प्रांत में जो जिले थे उनमें, एक विवादास्पद एवं अस्पष्ट स्थिति निर्माण हुई है।

पहले मध्य प्रांत के जिलों का पुनर्सर्वेक्षण करते वक्त यह सारा कचरा साफ किया जा सकता था और अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या की जा सकती थी। परंतु यह सर्वेक्षण दुर्भाग्य से कुछ भी सिद्ध नहीं कर सका।

महाराष्ट्र भू - राजस्व संहिता की धारा 161 लागू करना ही एक मात्र उपाय है। आज तक वह सिर्फ कागजों पर ही रही है।

एक बार यह लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी तो, आज दबी हुई कई समस्याएं सामने आयेगी। गाँव समाज से व्यापक विचार-विनिमय पहली आवश्यकता है। स्वयंसेवी संगठन इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है और उनके सहयोग का उत्साह के साथ स्वागत किया जाना चाहिए।

(लेखक - महाराष्ट्र राज्य सरकार के उप सचिव, राजस्व थे।)

निस्तार से शुरू हुई मेंढ़ा (लेखा) गाँव की प्रक्रिया

देवाजी नवलु तोफा

मेंढ़ा लेखा, लगभग 40 घरों की बस्ती का एक छोटा-सा आदिवासी गाँव। गाँव सीमा के अंदर 1800 हेक्टर जमीन वन क्षेत्र के रुप में दर्ज है। जहां गोंड आदिवासियों का जीवन जंगल से जुड़ा हुआ है। सुबह उठते ही दातौन चाहिए, वह हमें जंगल से ही मिलता है। खाने के लिए फल, फूल, कंद, मूल खेती के औजार के लिए लकड़ी, खाना पकाने के लिए जलावन, गाय-बैल आदि पालतू जानवरों के लिए चारा, मकान के लिए लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, कंकर, बीमारी के लिए दवाई और रात में सोने के लिए खटिया। सभी जंगल पर निर्भर है। मानव शिशु के जीवन की शुरुआत जंगल से प्राप्त बाँस के पालने से होती है और अंत में उसकी अर्थी भी बाँस पर ही उठती हैं।

जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें जंगल से प्राप्त करने का निस्तार हक हमें परंपरागत रहा हैं। जमींदारी के समय परंपरागत निस्तार हक तो मान्य थे लेकिन उसके बदले लोगों को बेगार करनी पड़ती थी क्योंकि जंगल और जमीन जमींदार के थे। आजादी मिलेगी तो यह जंगल और जमीन हमारी यानि लोगों की हो जायेगी तथा निस्तार हक के बदले में बेगार नही करनी पड़ेगी, यही आजादी का मतलब हम आदिवासियों को समझ में आया था। लेकिन देश आजाद हुआ और जंगल-जमीन सरकार की हो गयी। अपने ही जंगल से लाया हुआ परंपरागत निस्तार भी "चोरी" बन गया। वनों की मालिक सरकार और उसका व्यवस्थापन जमींदारो की जगह वनविभाग के हाथ आ गया। ऐसी व्यवस्था में आदिवासियों का "सब कुछ सरकारी और आदिवासियों की भिखारी" जैसी स्थिति हो गयी।

आदिवासी वन विभाग से बहुत डरते थे। सरकारी जंगल से निस्तार लेते तो वन कर्मचारी को कुछ न कुछ देना पड़ेगा, ऐसा मानते थे। 1987 में "वृक्षमित्र" संस्था के मोहनभाई गाँव आये और उन्होनें "जंगल और लोग" विषय पर गाँव वालों के साथ मिलकर अध्ययन करने का प्रस्ताव रखा। ग्राम-सभा में निर्णय लेकर

गाँव इस अध्ययन में शामिल हुआ। अध्ययन में परंपरागत निस्तार हक और शासन द्वारा आजादी के बाद बनाये गये निस्तार पत्रक की बात सामने आयी। कुछ लोगों ने निस्तार पत्रक के बारे में सुना तो था लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। इसी बात को लेकर निस्तार पत्रक की सामूहिक खोज शुरु हुई। किसी ने कहा कि निस्तार पत्रक कभी ग्राम पंचायत में था। हमने वहीं जाकर पूछताछ की लेकिन पता नहीं चला। फिर पटवारी से पूछताछ की। उसके पास निस्तार पत्रक था। हमने उसकी सत्य प्रतिलिपि मांगी। उसने कहा-नहीं दे सकते। गाँव ने चर्चा के बाद सामूहिक रुप से तहसीलदार के पास जाकर निस्तार पत्रक तथा नक्शे की सत्य प्रतिलिपि के लिए लिखित आवेदन देने का निर्णय लिया। आवदेन की दो प्रतियाँ बनाकर एक प्रति तहसील कार्यालय में देकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति - स्वीकृति हस्ताक्षर, तारीख और मुहर के साथ प्राप्त की गयी। मुहर लगाने के लिए कर्मचारी ने पहले तो कुछ आनाकानी की लेकिन गाँव का सामूहिक आग्रह देखकर उन्हें मुहर लगानी ही पड़ी। कुछ ही दिनों में पटवारी ने गाँव में आकर जानकारी दी कि आपके निस्तार पत्रक और नक्शे की प्रतिलिपियाँ तैयार है, आप कार्यालय में आकर ले जाएं।

इस तरह निस्तार पत्रक और नक्शा तो मिला, लेकिन उन कागजों में लिखा और दिखाया गया निस्तार प्रत्यक्ष जमीन पर कहां है ? यह बात समझ में नहीं आयी उसके लिए फिर एक बार लिखित आवेदन देकर पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड को एक साथ उनका रिकार्ड लेकर गाँव में बुलाया। ये दोनों अपना रिकार्ड लेकर आगे-आगे और उनके पीछे सारा गाँव इस तरह से समूचे निस्तार क्षेत्र की पहचान की गयी। कहां क्या कम-ज्यादा है इस की चर्चा भी जगह-जगह रूक कर दी गयी। जिससे लोगों की हिम्मत और आत्मविश्वास भी बढ़ा। गाँव वालों को यह समझ में आया कि हम हमारे ही जंगल से निस्तार ले रहे हैं जो हमारा परंपरागत अधिकार है। पटवारी ने तो सब साफ-साफ बता दिया लेकिन वन-विभाग अभी भी लोगों के अधिकार की बात नहीं मान रहा था। ग्राम सभा ने प्रतिनिधी मंडल के माध्यम से गड़चिरोली जाकर जिलाधिकारी से मिलने का फैसला किया। जिलाधिकारी महोदय ने सहानूभूति के साथ गाँव वालों के कहने पर जब भू-राजस्व संहिता मंगवा कर निस्तार संबंधी प्रावधानों को खुद पढ़ा, तब उन्होंने भी गाँव वालों के कहने की पुष्टि की। जिलाधिकारी महोदय हमारे गाँव आये और वहां बुलायी गयी क्षेत्रीय

बैठक में खुद वन अधिकारियों को यह बात बताये, ऐसा प्रस्ताव गाँव वालों ने रखा। जिला अधिकारी ने प्रस्ताव का स्वागत करते हुये ऐसी बैठक में उपविभागीय अधिकारी खुद जाये और वन विभाग को कानून की जानकारी देते हुये निस्तार हक के बारे में समझायें, ऐसा आदेश दिया। खुद उपविभागीय अधिकारी ने लोगों को साक्षी रखकर वनविभाग को जब कानून का हवाला देते हुये निस्तार अधिकार की बात समझायी, तब कहीं वह उन्हें हजम हो सकी।

निस्तार हक सिर्फ परंपरा से ही नहीं यह तो कानून से भी मान्य है तथा हम हमारे गाँव के जंगल से ही वह ले रहे हैं तो फिर वन कर्मचारियों को पैसा, अनाज आदि क्यों देते हैं, इस पर काफी बाते हुई। आखिर फैसला हुआ कि इस के आगे निस्तार के बदले में कोई भी वनविभाग को पैसा, अनाज, शराब आदि नहीं देगा। एक व्यक्ति को विशेष जिम्मेदारी दी गयी कि वह फॉरेस्ट गार्ड से मिलकर गाँव के निर्णय की जानकारी उसे दे। फॉरेस्ट गार्ड की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी। गाँव का निर्णय सुनकर उसे गुस्सा आया। उसने कहां कि यह सब सरपंच और पुलिस पटेल की तिकड़म है, उन्हें कहना कि वे जंगल में मिले तब उन्हें देख लेंगे। उस व्यक्ति ने यह बात वापस आकर सरपंच, पुलिस पटेल और गाँव वालों को बताई। गाँव वालों ने अध्ययन मंडल में इस पर विचार कर क्या करना है तय कर लिया।

मेंढ़ा (लेखा) गाँव का अपना नारा है - "दिल्ली - मुम्बई में हमारी सरकार, हमारे गाँव में हम ही सरकार।" सरकार वह जो कानून बनाती है। लोकसभा देश के लिए, विधानसभा राज्य के लिए जिस तरह से कानून बनाती है और उस पर अमल करती है उसी तरह गाँव के लिए ग्रामसभा को अपने कानून बनाकर अमल करना चाहिये, ऐसी ही भारतीय संविधान की मंशा है यह समझते हुये ग्रामसभा ने अपने कानून बनाकर उसकी घोषणा की थी। एक कानून था गाँव के सरहद के अंदर, अगर किसी को कुछ भी काम करना है तो वह बगैर ग्रामसभा की अनुमति के नहीं कर सकता। जंगल में थिनींग का काम होना था। फॉरेस्ट गार्ड पैसा और अनाज बंद हो जाने के कारण गुस्से में था ही, उसने बाहर के गाँव से मजदूर लाकर मेंढ़ा (लेखा) के जंगल में काम शुरू करने की योजना बनाई। गाँव वालों को उसकी भनक मिल गयी। जब कभी काम शुरू करने की योजना होगी तब हर घर से एक पुरूष एक महिला काम रोकने के लिए जायेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह द्वारा

बगैर ग्रामसभा की अनुमति काम नहीं करने देंगे ऐसा सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। फिर भी फॉरेस्ट गार्ड ने बाहर के मजदूरों की सहायता से जोर-जबरदस्ती काम शुरू करने की कोशिश की। निर्णयानुसार हर घर से एक पुरूष और एक महिला इकट्ठा हुये और वे जंगल में काम की जगह पहुँचे और थिनींग का काम शुरू करने का विरोध किया। गार्ड को काम रोकना पड़ा। तब लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड को सरपंच तथा पुलिस पटेल के बारे में कहे शब्दों की याद दिलाते हुये कहा कि - सरपंच और पुलिस पटेल आज यहाँ जंगल में तुम्हारे सामने है क्या देखना है देख लो। फॉरेस्ट गार्ड ने अपनी गलती स्वीकार करते हुये पैसा और अनाज बंद होने के कारण गुस्से में ऐसी बात कही यह मान्य किया और उसके लिए क्षमा भी मांगी। तब लोगों ने उससे सवाल पूछा कि जब आपको निस्तार हक की बात मालूम थी तो फिर गाँव वालों से पैसा और अनाज क्यों लेते थे ? उसने जबाब दिया कि "हमने कभी गाँव वालों की जेब में हाथ डालकर पैसा नहीं निकाला या ढोली से खुद अनाज निकालकर नहीं ले गये, लोग खुद देते थे इसलिये हम लेते थे।"

अध्ययन से गाँव वालों को समझ में आया कि गोंड आदिवासियों में गोटुल नाम से एक बहुत अच्छी संस्था थी। इसी गोटुल के इर्द-गिर्द गाँव का संगठन बंधा था। सिर्फ जवान लड़के-लड़कियां वहां आकर खेलते, नाचते है इसलिए हमने बाहर के लोगों की बातों में आकर अपने गोटुल तोड डाले यह बहुत बड़ी गलती हुई। जिससे हम कमजोर हो गये। गाँव वालों ने गोटुल के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया। अपने जंगल से सागौन की लकड़ी लाकर ही गोटुल बनाने की बात सर्वसम्मति से तय हुयी। कुछ लोगों ने डर दिखाया, जमींदारी के समय भी सागौन की लकड़ी लाना मना था, वनविभाग तो इसे कतई नहीं स्वीकारेगा। बहुत बहस के बाद सभी ने यह स्वीकार किया कि सागौन की लकड़ी लाकर ही अपना गोटुल बनायेंगे फिर चाहे उसके लिए उन्हें जेल जाना पड़े या सभी को मरने की नौबत ही क्यों ना आये।

लोगों ने गोटुल के लिए अपने जंगल से सागौन की लकड़ी काटी और चौक में लाकर रखी। वनविभाग को जब पता चला तो उनके एक-एक अधिकारी आते गये उन्होनें गाँव से वही लकड़ी मांगी। वे उसे जप्त करना चाहते थे। गाँव वालों ने मना किया तनाव बढ़ने लगा। गाँव वालों ने एक रात में गोटुल की झोपड़ी बनाकर

खड़ी कर दी। वनविभाग के अधिकारी ट्रक, टैक्टर और सशस्त्र पुलिस के साथ गोटुल को उखाड़कर लकड़ी जप्त करने के लिए गाँव में घुसे। गाँव की जनसंख्या से ज्यादा सशस्त्र पुलिस ने गाँव को घेर लिया। ऐसा प्रसंग आने पर क्या करना है यह गाँव वालों ने पहले से तय कर रखा था। पुलिस, पटेल को छोड़कर सभी पुरुष अपने घरों के अंदर थे गोटुल में सिर्फ महिला और बच्चे बैठे थे। महिलाओं ने पुलिस से कहा कि हमारे जंगल से सागौन की लकड़ी लाकर अपना गोटुल बनाना अगर गुनाह है तो आप हम पर कानूनी कारवाई करें उसका जबाब हम कोर्ट में देगे। कोर्ट में अगर हम गुनाहगार साबित होते हैं तो उसकी सजा भुगतने के लिए हम तैयार है। बंदूक से लैस सिपाही एवं वन अधिकारियों को कानूनी सलाह पंसद नहीं आयी। वे गोटुल उखाड़कर लकड़ी जप्त कर ले जाने की बात पर ही अड़े रहे, तब महिलाओं ने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि - आप अगर बंदूक के आधार पर गोटुल उखाड़ना ही चाहते हैं तो हम उसका विरोध हिंसा से नहीं करेंगे। हमारे पास आप जैसी बंदूक तो नहीं है लेकिन हम डंडा या पत्थर तो मार सकते है, लेकिन हम वैसा भी नही करेंगे। हमें गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन हम आपको गाली भी नही देंगे। लेकिन इतनी बात साफ बता देते है कि अगर आप जबरदस्ती गोटुल उखाड़कर ले जायेंगे तो हम फिर लकड़ी काटेंगे और फिर अपना गोटुल बनायेंगे, आप जितने बार ले जायेंगे हम उतनी बार बनायेंगें। आप हमारे गाँव आते थे तो हम आपको बैठने के लिए खटिया और पीने के लिए पानी देकर आपका आदर सत्कार करते थे लेकिन इसके बाद हम न तो आपको खटिया देंगे ना ही पानी और ना आपका आदर सत्कार करेंगे। इतना सब सुनने के बाद भी बंदूकधारियों को अकल नहीं आयी वे जोर जबरदस्ती गोटुल उखाड़कर लकड़ी ट्रक-टेक्टरों में भर कर ले ही गये। गाँव वाले फिर जंगल में गये, फिर लकड़ी लायी और फिर से दो दिनों के अंदर अपना गोटुल खड़ा कर लिया।

मेंढ़ा (लेखा) का गोटुल उखाड़ ले जाने की बात इलाके में फैली। इलाके के 32 गाँवों में गुस्से की लहर दौड़ गयी। दंतेश्वरी माता के मंदिर के पास 32 गाँवों के प्रतिनिधि इस पर कुछ करने के लिए इकट्ठा हुये। किसी ने प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की बात कही तो किसी ने जुलूस प्रदर्शन द्वारा अपना गुस्सा दिखाने का प्रस्ताव रखा। मेंढ़ा (लेखा) वालों ने कहा - ऐसा करने से क्या

होगा ? कागज दोगे वे उसे कचरे की टोकरी में डाल देंगें। एक दिन जुलूस प्रदर्शन कर चिल्लाओगें, ज्यादा ही गुस्सा दिखाओगे तो मार खाओगे या जेल जाओगे। लोग मेंढ़ा (लेखा) गाँव वालों पर ही गुस्सा हो गये। उन्होंने कहा आप पर अन्याय हुआ इसलिए आगे की रणनीति सुझा रहे हैं और आप कहते हो कि इससे क्या होगा ? फिर क्या करें आप ही बताइयें। मेंढ़ा (लेखा) गाँव वालों ने एक मिसाल सभी के सामने रखी। उन्होंने कहा मछली की ताकत पानी में होती है उसे पानी के बाहर निकाल दो तो वो कमजोर हो जायेगी। जैसे मछली की ताकत पानी में, वैसे ही हमारी ताकत गाँव में है। हम गाँव से बाहर निकल कर विरोध करेंगे तो कमजोर पड़ जायेंगे। हमें विरोध स्वरुप ऐसा काम करना चाहिए, जो हर गाँव में हो सके। जो मेंढ़ा (लेखा) में किया वो ही उचित काम है। कितने गाँव एक ही दिन अपने ही जंगल में खुले आम सागौन की लकड़ी लाकर आपने गाँव का गोटुल बनाने के लिए तैयार है ? 12 गाँव के लोग तैयार हुये। एक ही दिन जब 12 गाँव में गोटुल बनने का काम शुरू हुआ तो बात वनविभाग और पुलिस दोनों के समझ में आयी। वनविभाग ने पुलिस के पास शिकायत करना भी जरुरी नहीं समझा। एक गाँव से गोटुल उखाड़ने पर अगर 12 बनते है तो 12 गाँव से गोटुल उखाड़ने पर कितने बनेगे उनके लिए यह गणित समझना ही काफी था।

एक गाँव में लंगोटी लगाये आदिवासी लोग अपने गोटुल बनाने के काम में व्यस्त थे। दो वन अधिकारी खाकी वर्दी में मोटर साईकिल पर वहां आये कोई आदिवासी ना अपना काम छोड़ कर भागा ना भयभीत हुआ। वन अधिकारी मोटर साईकिल स्टैंड पर लगाकर उनके पास आये और बड़े सौम्य शब्दों में कहने लगे कि - भारत अब आजाद गणराज्य है। जनता ही इसकी असली मालिक है। हम तो नौकर है। यह काम करने से पहले हमें थोड़ा पूछ तो लिया होता। लंगोटी लगाये कार्यरत आदिवासियों ने बिना अपना काम रोके जबाब दिया आप कहते है हम मालिक है और आप नौकर है, कौन सा ऐसा मालिक है जो नौकर से पूछ-पूछ कर काम करता है। बात यहीं खत्म हो गयी। लोगों ने अपना परंपरागत निस्तार हक लड़कर प्राप्त कर लिया है। सिर्फ उसमें एक और कानून जोड़ दिया है। निस्तार का अधिकार तो सभी को है लेकिन मनमानी नहीं, ग्राम सभा से पूछकर उसकी अनुमति से ही वे निस्तार प्राप्त कर सकते है।

निस्तारी अधिकारों की अनदेखी

अखिल गर्ग

संरक्षित वनों की घोषणा को लेकर सबसे महत्वपूर्ण एवं विवादित मुद्दा समाज की दैनंदिनी आवश्यकताएं व्यक्ति और समाज के अधिकार से जुड़ा हुआ है संरक्षित वनों की घोषणा द्वारा सामुदायिक व्यवस्था को समाप्त किए जाने की अंतिम चाल ही चली गई है।

संरक्षित वनों के संदर्भ में सामुदायिक व्यवस्था और उससे जुड़े समाज के परम्परागत अधिकारों से जुड़ा यह मुद्दा जितना महत्वपूर्ण रहा है उतना ही उपेक्षित भी रहा। वन विभाग ने तो हर स्तर पर उपेक्षा की ही विशेषज्ञ और अध्ययनकर्ताओं की भी उपेक्षा का यह मुद्दा शिकार रहा है इस सम्पूर्ण मुद्दे पर विस्तार से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है, फिर भी प्रयास है कि महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए जा सके।

राजस्व कानूनों के तहत "वाजिब उल अर्ज" की व्यवस्था की गई जिन्हें रिकार्ड आफ राईट्स रूढ़ी पत्रक भी कहा जाता है इस व्यवस्था में समाज के, व्यक्ति के अधिकारों और दायित्वों को लेखबद्ध किया जाकर उसका नियंत्रण मालगुजार एवं जमींदारों को सौंपा गया। जहाँ यह व्यवस्था नही थी वहाँ अर्धसरकारी मुलाजिम "गांव पटेल" को यह जिम्मेदारी दी गई मसाहती ग्रामों में ग्राम समाज, समुदाय ही यह व्यवस्था करते और निभातें आये। इस व्यवस्था में ईंधन, लकड़ी, इमारती लकड़ी, कृषि औजारों के लिए लकड़ी, पशुओं की चराई व्यवस्था, गौण खनिजों की व्यवस्था, कब्रस्तान, श्मशान, गोठान, खलियान, पड़ाव, बाजार, खाद के गढ्ढे, मुर्दा मवेशी की खाल निकालने के स्थान, खेल के मैदान स्कूल एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के निर्माण, रास्ते, सड़के, नदी नालों, तालाबों के अधिकार सभी कुछ शामिल रहे। ग्राम की सीमाओं के बाहर के अधिकार या दूसरे ग्राम के लोगों के अधिकार हो उन्हें भी आवश्यकता और उपलब्धता के आधार पर महत्व दिया गया।

इसके साथ ही ग्रामीण दस्तकार बढ़ई, लोहार, अमरिया, बसोड़ आदि की

व्यवसायिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया, वनोपज खासकर लघु वनोपज के संग्रहण को भी अधिकार के रुप में मान्यता दी गई सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ग्राम की टिकाउ व्यवस्था का यह आधार रहा है।

संविधान लागू होने के तत्काल बाद मालगुजारी, जमीदारीं, जागीरदारी उन्मूलन का कार्य प्रारम्भ हुआ और मध्य प्रदेश में भी स्वामित्वाधिकारों के अन्त का कानून 1950 बनाया जाकर लागू किया गया जिसके प्रावधानों के तहत "वाजिब उल अर्ज" की व्यवस्था को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया, व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखकर राजस्व कानूनों के तहत "निस्तार पत्रक" की व्यवस्था को लागू कर हर जिले में निस्तार अधिकारी नियुक्त हुए। हर ग्राम का निस्तार पत्रक बनाया गया और समाज के परम्परागत अधिकारों को, आवश्यकताओं को नए परिप्रेक्ष्य में मान्यता प्रदान की गई।

सामूदायिक संसाधन सरकारी संसाधन बन गए, ग्रामों की समस्त गैरनिजी भूमियाँ संसाधन किसी न किसी रुप मे निस्तार पत्रक के दायरे में आ गए। इस व्यवस्था को संरक्षित वन घोषित किए जाते समय वन विभाग के नियंत्रण में सौप दिया गया। प्रदेश पुर्नगठन 1956 में इस तरह की 94 हजार वर्ग किलोमीटर याने 94 लाख हेक्टयर जमीन वन विभाग के द्वारा ही बताई गई।

इस समय तक निस्तार की दोहरी व्यवस्था लागू थी। वन विभाग द्वारा सुविधा के रुप में उपलब्ध करवाया जाने वाला निस्तार एवं "वाजिब उल अर्ज" बाद में निस्तार पत्रक के रुप में प्रस्तुत प्राप्त निस्तारी अधिकार इनमें एक रुपता लाने के लिए 1957 में राज्य की ओर से पूरे प्रदेश के लिए नई निस्तार नीति की घोषणा की गई और सम्पूर्ण व्यवस्था को अधिकारों से सुविधा बना दिया। इस सुविधा को वैधानिकता के दायरे में लाते हुए संरक्षित वन नियम 1960 बनाकर नियंत्रित कर लिया गया।

राजस्व विभाग ने इस परिवर्तन को स्वीकार नही किया एवं भू-राजस्व संहिता 1959 में लागू करते हुए अध्याय 18 में इसे शामिल कर लिया। वह व्यवस्था आज भी संहिता में उल्लेखित है, कागजों पर लागू है।

1962 में इन संरक्षित वन भूमियों के सीमांकन सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ हुआ ताकि उपयुक्त जमीनों को आरक्षित वन घोषित किया जाकर समाज के सम्पूर्ण

अधिकार समाप्त किए जा सकें इसके बाद आज तक स्थिति सामने है। सर्वेक्षण के दौरान ग्रामीण निस्तार की आवश्यकताओं का ध्यान रखे जाने हेतु दिए गए निर्देशों का पालन नही किया जा सका, "लैण्ड रिफार्म मैनुअल" में दिए गए प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, वन व्यवस्थापन अधिकारियों के लिए 1970 में जारी दिशा निर्देशों में किए गए प्रावधानों को भी नजर अंदाज किया जाता रहा बल्कि वन विभाग ने 1960 के नियमों के विपरीत निस्तार व्यवस्था में नीति बनाई जिसमें दिनों दिन कटौती ही नहीं की बल्कि उनका स्वरुप सुविधा से रियायत के रुप में और फिर अनुदान के रुप में बदल दिया। संयुक्त वन प्रबंधन के तहत इस स्वरुप को भी समितियों की मर्जी पर, समितियों तक सीमित कर दिया गया।

कानूनों की टकराहट

एक अहम सवाल है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं भू-राजस्व संहिता 1959 में से किस कानून का कितना महत्व है और किसी एक मुद्दे पर दोनों ही कानून अलग-अलग प्रावधान को उल्लेखित करते है तब किस कानून को माना जावेगा, महत्व दिया जावेगा, आदेश किए जावेंगे।

इस महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर पूरी की पूरी व्यवस्था की असफलताओं से भरा हुआ है। ब्रिटिश हुकुमत ने 1865 में पहला वन कानून लागू किया उसके पहले जो कानून लागू थे उनके तहत दैनंदिनी आवश्यकताओं को, समाज के परम्परागत अधिकारों को, जंगल से समाज के रिश्तों को मान्यता दी गई पर्याप्त प्रावधान किए गए बाजिबुल अर्ज के रुप में इस व्यवस्था को भी माजगुजार, जमींदार, जागीरदारों के नियंत्रण में सौपा गया ताकि इसे भी "आय का जरिया" बनाया जा सके समाज को नियंत्रित किया जा सके।

ब्रिटिश हुकुमत द्वारा अंतिम रुप से लागू भारतीय वन अधिनियम 1927 आज भी लागू है वहीं आजादी के बाद स्वामित्वाधिकारों के अन्त का कानून 1950 में लागू किया गया। 1954 में भू-राजस्व संहिता लागू की गई और राज्यों के 1956 में हुए पुनर्गठन के बाद 1959 में संशोधित भू-राजस्व संहिता लागू की गई जो कि वर्तमान में भी प्रभावशाली है।

15 सितम्बर 1959 को राष्ट्रपति द्वारा दी गई अनुमति के बाद 21 सितम्बर 1959 को मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित भू-राजस्व संहिता में उन्नीस अध्याय में 264 धाराओं में सम्पूर्ण संबंधित विषयों को समेटा गया। संहिता की प्रवृत्ति के अनुसार मध्य प्रदेश पड़त भूमि कृषिकरण अधिनियम 1966, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखल भूमि अधिनियम 1970, मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना अधिनियम 1984 अपना विशेष महत्व रखते है।

वर्तमान स्थिति में भारतीय वन अधिनियम की धारा 29 जिसमें संरक्षित वन घोषित किए जाने के प्रावधान है धारा 20 अ जिसमें किसी वन भूमि या पड़त भूमि को आरक्षित, रक्षित एवं संरक्षित वन मान लिया गया है, धारा 4 से 19 तक की प्रक्रियाऐं जिसकें तहत धारा 20 के तहत आरक्षित वन घोषित किए जाने की अंतिम कार्यवाही की जाती है पर ध्यान केन्द्रीत करना होगा वहीं धारा 27 के तहत आरक्षित वन एवं धारा 34 अ के तहत संरक्षित वन निर्वनीकरण के प्रावधानों को देखना होगा।

भू-राजस्व संहिता अध्याय 7 में नगरेत्तर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त को लेकर, अध्याय 9 में भू-अभिलेख को लेकर, अध्याय 18 में आबादी तथा दखल रहित भूमि में अधिकार और उसकी उपज को लेकर किए गए प्रावधानों पर ध्यान केन्द्रीत करना होगा।

संविधान में 1992 में 73 वां संशोधन किया जाकर पंचायती राज व्यवस्था को लेकर प्रावधान किए गए। जिसके तहत 1993 में पंचायत कानून बनाया गया अधिसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करते हुए 24-12-1996 को भारत के राजपत्र में "अधिसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान लागू किए गए।"

इन दोनों ही कानूनों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक हैं चूंकि यह कानून ग्रामीण क्षेत्रों अधिसूचित क्षेत्रों के लिए अपना महत्व रखते है।

भारतीय वन अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को वन व्यवस्थापन अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है वहीं धारा 17 के तहत कलेक्टर को अपीलीय अधिकारी की जिम्मेदारी सौपी गई है धारा 7 के तहत वन व्यवस्थापन अधिकारी को जो जांच करनी है उसमें शासकीय अभिलेखों

को भी आधार बनाया जाना है।

भू-राजस्व संहिता के अध्याय 7 में राजस्व सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की प्रक्रिया के दौरान अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर को अधिकार और दायित्व सौंपे गए है वही अध्याय 18 दखल रहित जमीनों के प्रावधानों में भी अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर को पर्याप्त अधिकार एवं दायित्व सौंपे गए है।

भारतीय वन अधिनियम एवं भू-राजस्व संहिता दानों में ही अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर को अधिकार एवं दायित्व सौंपे गए है दोनों में ही भारी अन्तर टकराहट स्पष्ट रुप से सामने है। भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत जिन अधिकारों एवं दायित्वों का अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर ने पालन किया है, उपयोग किया है उन्हें क्या वह भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुन सकता है, उन पर विचार कर सकता है, आदेश पारित कर सकता है और वह आदेश भी पूर्व आदेश के विपरीत पारित कर सकता है यह एक अहम् वैधानिक प्रश्न है। इसी तरह का दूसरा प्रश्न है राजस्व अभिलेखों में उल्लेखित तथ्यों को लेकर है, वन विभाग के जन्म के पहले से जिन तथ्यों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाता रहा है आज भी दर्ज है उन्हें स्वीकार किया जाए या एक अधिसूचना के तहत व्यक्त की गई मंशा को सही मान लिया जाए। अन्य वैधानिक प्रश्न इन्हीं दो प्रश्नों से जुड़े हुए अपना पर्याप्त महत्व रखते है।

दो कानूनों की टकराहट, दोनों ही कानूनों के तहत बनाए गए अधिनियम और नियमों का समानान्तर सृजन एवं कार्यवाही दोनों ही कानूनों की अनेक स्थानों पर अपूर्णता बहुत ही साफ तौर पर सामने है।

राज्य सरकार वन मुख्यालय द्वारा 2 दिसम्बर 2003 को जारी किए गए परिपत्र के अनुसार संरक्षित वन खण्डों की समयबद्ध योजना के तहत जांच प्रस्तावित है जिसके लिए पूर्व में जारी की गई संरक्षित वन खण्डों की अधिसूचनाओं एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी के रुप में 1987-88 में जारी की गई अधिसूचनाओं को आधार बनाया गया है।

वैधानिकता, प्रक्रिया, स्थितियाँ एवं स्वरुप को लेकर बहुत से तथ्य सामने आए है बहुत से तथ्य सामने आएंगे। संरक्षित वन खण्डों की जो प्रारम्भिक अधिसूचनाएं जारी की गई थी उनमें उल्लेखित क्षेत्र में से कुछ वनखण्डों के क्षेत्र को

भारतीय वन अधिनियम की धारा 34अ के तहत निर्वनीकरण की अधिसूचनाऐं जारी की जाकर अन्तरिम किया गया है बहुत सा क्षेत्र बिना अधिसूचना के ही अंतरित कर दिया गया है, बहुत से क्षेत्र को लेकर वन संरक्षण कानून 1980 के तहत गैरवानीकी गतिविधियों के लिए आरक्षित किया जाकर अनुमतियाँ प्रदान की गई है। इन तीनों ही स्थितियों के साथ ही साथ बहुत से क्षेत्र को शासकीय योजनाओं के लिए उपयोग में लाया गया है इस तरह से पूर्व में जारी की गई अधिसूचनाऐं विखण्डित हुई है। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष वस्तुस्थिति को रखा जाना एक विकल्प हो सकता है वैधानिकता के अनुसार तो संशोधित अधिसूचना का जारी किया जाना आवश्यक है।

इसी तरह से 1987-88 में किस जिले के किस अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी को किन किन वन खण्डों की जांच हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारी के अधिकार एवं दायित्व सौंपे गए है इसे भी अधिसूचित किया गया है, इन अधिसूचनाओं के बाद जिलों की सीमाओं में परिवर्तन हुए है, अनुविभाग की सीमाओं में भी परिवर्तन हुए है जिन्हें संशोधित अधिसूचना जारी कर कार्यवाही के स्वरुप को वैधानिकता प्रदान की जा सकती है।

संरक्षित वन खण्डों में किसी व्यक्ति के किसी समुदाय के किसी ग्राम के अधिकारों की जांच वन व्यवस्थापन अधिकारी के द्वारा की जानी है, जिसके परिणाम फिलहाल अनिश्चित है ऐसी स्थिति में इन वन खण्डों को पूर्णतः या अंशतः वन विभाग ने अपने पूर्ण नियंत्रण में नही लिया बल्कि वर्किंग प्लान में शामिल किया जाकर इनके प्रबंन्धन की योजनाओं को भी कार्यरुप में बदल दिया। वर्किंग प्लान में शामिल किए गए क्षेत्र, प्रबन्धन योजना को लेकर भारत सरकार के द्वारा भी अपना हस्तक्षेप वन संरक्षण कानून के तहत कायम किया। इस स्थिति को भी वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष जांच के दौरान सामने लाए जाने की वैधानिक आवश्यकता को अभी तक स्वीकार नही किया जा सका है।

भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान एवं राजस्व विभाग के द्वारा की गई कार्यवाहियों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है चूंकि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा संहिता के तहत अनेक जगहों पर अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन किया है जो कि वर्तमान में वन व्यवस्थापन अधिकारी के रुप में दायित्वाधीन

है। वहीं कलेक्टर को अपील सुनने और उन पर निर्णय दिए जाने हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है जो कि भू-राजस्व संहिता के तहत अनेक प्रावधानों के लिए जिम्मेदार सक्षम अधिकारी के रुप में पहले से ही कार्य करते आए है।

संहिता की धारा 67 के तहत राज्य शासन ने अनेक जिलों और उनके ग्रामों के राजस्व सर्वेक्षण की अधिसूचनाएँ राजपत्र में प्रकाशित की जिनके तहत इन ग्रामों का राजस्व सर्वेक्षण किया गया जिसमें 1958 के पूर्व संरक्षित घोषित वन भूमियों को राजस्व भूमि के रूप में स्वीकार किया जाकर कार्यवाहियाँ की गई इस तरह की अधिसूचाओं और उनके तहत की गई कार्यवाहियों की वैधानिकता को संरक्षित वन घोषित किए जाने कि वैधानिकता के समक्ष लाया जाना होगा।

भू-राजस्व संहिता का अध्याय 18 एवं उसके तहत किए गए प्रावधानों का वर्तमान संदर्भ में सबसे अधिक महत्व है चूंकि ये ही प्रावधान वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाहियो एवं भारतीय वन अधिनियम के साथ सबसे अधिक टकराहट पैदा कर रहे है इन्हीं की वजह से अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर को सौंपी गई जिम्मेदारियों के संदर्भ में सवाल सामने आए है।

धारा 233 के तहत दखल रहित भूमि का अभिलेख बनाए जाने का प्रावधान किया गया जिसके तहत 22 जनवरी 1960 को मध्य प्रदेश राजपत्र में नियम प्रकाशित किए गए उन्हीं के तहत अधिकांश जिलों में गांव की समस्त दखल (आधिपत्य) रहित भूमियों के अभिलेख तीन भागों में तैयार किए गए।

धारा 234 में निस्तार पत्रक को तैयार किए जाने के संबंध में प्रावधान दिए गए। इन प्रावधानों के तहत कलेक्टर को प्रदत्त अधिकार उपखण्डीय पदाधिकारी या अनुविभागीय अधिकारी को प्रदान कर दिए गए जिनके तहत अनुविभागीय अधिकारियों ने निस्तार पत्रक और उसमें निस्तार हेतु आरक्षित रखी गई जमीनों को लेकर लगातार कार्यवाहियाँ की है। इस धारा के तहत 6 जनवरी 1960 को मध्य प्रदेश राजपत्र में नियम भी प्रकाशित किए। इस नियम और उनके तहत आरक्षित रखी गई दखल रहित जमीनों मे से कितनी जमीनें संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित की गई इसका स्पष्ट आंकलन आज तक नहीं किया जा सका।

धारा 235 एवं 236 में निस्तार पत्रक में उपबंध किए जाने वालें विषयों के उपबंधों पर ध्यान दिया जाने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्वामित्वाधिकारों के

अन्त का कानून 1950 के बाद राज्य सरकार के नियंत्रण में आए मालगुजा जमींदारी जंगल या रैय्यतवारी ग्रामों में दर्ज इस तरह के जंगल, बंजर जमीन, पशु की चराई हेतु आरक्षित जमीनें निस्तार पत्रक के प्रारुप में इन्ही पूर्व निर्धारित का के लिए ही आरक्षित रखी गई जबकि इन समस्त जमीनों को 1958 के पूर्व संरक्षित वन घोषित कर दिया गया।

धारा 237 और भी स्पष्ट रुप से इस तथ्य को स्थापित कर रही है कि ग्राम दर्ज समस्त आधिपत्य रहित जमीनों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु आरक्षित रखे जाने प्रावधान लागू किए गए उपधारा "क" में इमारती लकड़ी या ईंधन के लिए रक्षि किए जाने वाले क्षेत्र एवं उपधारा "ख" के तहत चारागाह, घांस, बीड़, या चारे लिए रक्षित रखे जाने वाले स्थानों के प्रावधान है। जिन जमीनों को बंजर बताय गया है वस्तुत: वे जमीनें चारागाह, बीड़ या चारे के लिए प्रयुक्त की जाती रही है।

धारा 233 से 238 तक दिए गए प्रावधानों के तहत जो भी कार्यवाही की ग उसमें और वन विभाग की कार्यवाहियों में टकराहट कदम-कदम पर सामने आ है। जिसे लेकर वन व्यवस्थापन अधिकारी याने अनुविभागीय अधिकारी के सम स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये। चूंकि प्रदेश के अधिकांश भागों में संरक्षित वन क अधिसूचनाएं खसरावार होने की बजाय छायावादी रही थी।

भू-राजस्व संहिता के तहत कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारियों के द्वा दखल रहित जमीनों का निस्तारी प्रयोजन हेतु आरक्षण किया गया। जमीनों क आबादी या काबिल कास्त घोषित किया गया, पट्टे आवंटित किए गए जो कि बा में मालिकाना हक में परिवर्तित कर दिए। इनमें से बहुत सी जमीने संरक्षित व खण्डों के रुप में भी अधिसूचित हुई और उनकी जांच भारतीय वन अधिनियम क धारा 5 से 19 तक अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टरों को ही करनी है। उन्हे निर्णय लेना है, आदेश भी दिए जाने है।

जो भी राजस्व अभिलेख इन प्रावधानों के तहत बनाए गए उनकी वैधानिकता का सवाल भी सामने है मानचित्र अधिकारी अभिलेख, खसरा पांचसाला या अन्य अभिलेखों में संरक्षित वन खण्डों के रुप में अधिसूचित कर दी गई जमीनों को दखल रहित राजस्व भूमि के रुप में ही लगातार 1959 से अब तक स्वीकार किया जाता रहा है। उन्हें प्रमाणिक माना जाए या अप्रमाणिक माना जाए यह सवाल भी वर्तमान दौर में

एक महत्वपूर्ण सवाल के रूप में वन व्यवस्थापन अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के सामने होगा। भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 में 1965 में जोड़ी गई धारा 20अ एवं भू-राजस्व संहिता के तहत 1966 में बनाए गए पड़त भूमि कृषिकरण अधिनियम से लेकर 1970 के अधिनियम उसमें किए गए संशोधन एवं 1984 में बनाए गए अधिनियम की भी वैधानिकता के सवाल को स्पष्ट किया जाना होगा ताकि वन व्यवस्थापन अधिकारी के रुप में अनुविभागीय अधिकारी आवंटित जमीनों को लेकर निर्णय ले सके, आदेश पारित कर सकें।

दखल रहित जमीनों पर 1959 के बाद से काबिज अनेक भूमिहीनों पर अतिक्रमण के प्रकरण बनाए गए जुर्माने किए गए, अतिक्रमण भी हटाए गए, जिनकी अपीलें हुई आदेश हुए। इन सभी में न्यायालयीन कार्यवाहियों की वैधानिकता का भी सवाल सामने होगा चूंकि अगर किसी दखल रहित जमीन को जिसे संरक्षित वन खण्ड के रुप में अधिसूचित तो कर दिया गया था लेकिन वन विभाग का नियंत्रण स्थापित नही हुआ और राजस्व अधिकारियों ने राजस्व भूमि मानते हुए कार्यवाही की और उसी कार्यवाही को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा आदेश भी दिए गए उस स्थिति में वन व्यवस्थापन अधिकारी के सामने क्या विकल्प रह जाता है।

संरक्षित वन खण्ड ग्राम की सीमाओं के अन्दर निर्मित किए गए है जोकि पंचायत कानून खासकर अधिसूचित क्षेत्रों के लिए बने कानून के दायरे में आते है जिन पर कुछ अधिकार संबधित ग्रामसभा को और ग्रामवासियों को देश की संसद द्वारा सौंपे गए है इन संरक्षित वन खण्डों की जांच के बाद अगर उन्हें आरक्षित वन घोषित किया जाता है तो समाज के व्यक्ति के समस्त अधिकार समाप्त हो जावेंगे ग्राम की सभा को संशोधित करना होगा। इस तरह का कदम वन व्यवस्थापन अधिकारी भारतीय वन अधिनियम के तहत तो उठा सकते है लेकिन पंचायत विस्तार कानून के संदर्भ में उक्त कदम की वैधानिकता पर भी ध्यान दिया जाना होगा।

इस तरह के वैधानिक सवालों को लेकर फिलहाल वन मुख्यालय पूरी तरह से मौन साधे हुए है बल्कि 2 दिसम्बर को जारी परिपत्र एवं उसके बाद वन व्यवस्थापन अधिकारियों के लिए जारी दिशा निर्देश यह स्पष्ट संकेत दे रहे है कि वन खण्डों की जांच की औपचारिकता पूरी की जाकर आरक्षित वनों की अधिसूचना जारी किए

जाने के ही प्रयास वन विभाग करना चाहता है और इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर को औपचारिकताएं पूरी किए जाने के लिए जिम्मेदार बना रहा है।

प्रावधानों की टकराहट :

1952 में भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय वन नीति के बाद वनों को लेकर व्यवस्था में आए परिवर्तन की वजह से यह मान लिया गया कि वन विभाग ही वनों का प्रबंधन कर सकता है, समाज एवं ग्रामीणों की जरुरतों की पूर्ति कर सकता है।

स्वामित्वाधिकारों के अन्त का कानून 1950 के तहत राजस्व ग्रामों की समस्त निस्तारी जमीनों पर राज्य सरकार का नियंत्रण कायम हुआ। राज्य सरकार ने समाज की दैनंदिनी आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए निस्तारी जमीनों को लेकर निस्तार अधिकारियों के माध्यम से निस्तार पत्रक बनाए जाने का कार्य प्रारम्भ किया और निस्तार पत्रक बनाए गए।

इन निस्तार पत्रकों में ईंधन, इमारती लकड़ी आदि को लेकर प्रारुप "क" में एवं चराई को लेकर प्रारुप "ख" में प्रावधान किए गए इन्हीं प्रावधानों के तहत इन जमीनों को बड़े झाड़ का जंगल, छोटे झाड़ का जंगल, **झुड़पी** जंगल, सरना, करात जंगल जंगल कला, जंगल खुर्द, बंजर आदि नामों से राजस्व अभिलेखों में नामजद किया जाकर दर्ज किया गया। इन्हीं जमीनों पर गांव के लिए गोठान, खलियान, कब्रस्तान, श्मशान, खाद के गढ्ढे, मवेशियों के चीरने फाड़ने के स्थान पड़ाव, बाजार स्कूल, खेल के मैदान आदि के पूर्व प्रावधानों को ही लागू किया गया।

संरक्षित वन की छायावादी अधिसूचना के कारण उपरोक्त सारी व्यवस्था भी संरक्षित वन के दायरे में आ गई वन विभाग ने सर्वेक्षण सीमांकन हेतु जो निर्देश जारी किए उसके तहत इस व्यवस्थाओं को वन खण्डों से बाहर किया जाकर राजस्व को वापस सौंपे जाने के निर्देश दिए गए। सरगुजा एवं शहडोल जिले की संरक्षित वन भूमि के निर्वनीकरण की जारी की गई अधिसूचनाओं को देखा जाए तो उनमें यह बात स्पष्ट की गई है कि "जमीन छोटे बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है" इसी तरह से वन विहीन ग्रामों की अधिसूचनाओं में भी जमीनों को संरक्षित वन से मुक्त किया गया उनमें भी जमीने बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल आदि नामों से ही दर्ज रही थी।

निर्वनीकरण की अधिसूचनाएं जारी हो जाने के बाद इन जमीनों के नाम परिवर्तित नहीं हुए, निस्तार पत्रक के प्रारुप "क" या "ख" से इन्हें मुक्त नहीं किया गया। भू-राजस्व संहिता की धारा 237 में ही ये पूर्ववत दर्ज रही चूंकि भू-राजस्व संहिता में दखल रहित भूमि को दर्ज किए जाने हेतु इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रावधान नही रहे आज भी नहीं है।

भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 में अधिसूचित आरक्षित वन को राज्य सरकार के द्वारा धारा 27 में अधिसूचना जारी किया जाकर डीनोटीफाईड कर दिया गया। जमीने राजस्व विभाग को सौंप दी गई। उन जमीनों को संहिता के प्रावधानों के तहत ही दर्ज किया गया। राजस्व अभिलेख बनाए गए और प्रारुप क या ख में बड़े झाड़ के जंगल से लेकर चरनाई घांस आदि नाम दिए गए।

इस पूरी स्थिति को न तो कार्यपालिका समझने के लिए तैयार है और न ही व्यवस्थापिका के सामने ही इसे ले जाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं उच्चतम न्यायालय के सामने भी इस स्थिति को लाने की बजाय अधूरी स्थिति को प्रस्तुत किया जाता रहा है इसका प्रमाण अक्टूबर 2002 में दायर की गई समीक्षा याचिका एवं इम्पावर्ड कमेटी के लिए 2001 से अभी तक तैयार करवाई गई जानकारियों के रुप में सामने है।

टी.एन. गोदाबर्मन की सिविल याचिका 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को उच्चतम न्यायालय के द्वारा वन एवं वन भूमि की व्याख्या करते हुए परिभाषा तय की गई। इस परिभाषा के बाद राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा न्यायालयीन आदेश का पालन किए जाने हेतु परिपत्र जारी किए।

वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा अपने अपने स्तर पर छोटे बड़े झाड़ के जंगल मद की जमीनों को लेकर कवायदें की जाने लगी वन विभाग इन जमीनों को फिर से अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करते रहा तो राजस्व विभाग इन जमीनों को वन संरक्षण कानून के दायरें से बचाने की कवायद करने लगा। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद दिनांक 31.10.2001 को प्रमुख सचिव राजस्व एवं वन के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से 12 कालम का एक प्रपत्र प्रेषित कर हर जिले से जानकारियाँ

बुलवाई गई जिसमें राज्य के हर क्षेत्र के छोटे बड़े झाड़ के जंगल मद की जमीनों को राजस्व भूमि मानते हुए ही जानकारियाँ प्रेषित की गई।

दिनांक 18.2.2002 को पुन: 14 कालम का एक परिपत्र वन एवं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया गया। इस परिपत्र को लेकर भी राजस्व विभाग ने छोटे बड़े झाड़ के जंगल मद की जमीनों को लेकर पूर्व में अपनाई गई प्रक्रियाओं की बजाय दस्तावेज में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट प्रेषित की इन्ही रिपोर्ट के आधार पर राज्य शासन के राजस्व विभाग ने अक्टूबर 2002 में उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर कर राज्य में दर्ज छोटे बड़े झाड़ के जंगल मद की समस्त जमीनों को "ईजमेन्ट राईट्स" पर बताते हुए वन संरक्षण कानून के दायरे से मुक्त किए जाने हेतु अनुरोध कर लिया।

एकता परिषद द्वारा भी जमीनों के सच को लेकर इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष 7 जुलाई 2003 को याचिका प्रस्तुत की गई इस याचिका की प्रति मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिवों को प्रेषित की गई। उच्चतम न्यायालय में इन राज्यों के स्थाई अधिवक्ताओं को भी उसकी प्रति उपलब्ध करवाई गई, उपरोक्त याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई के बाद 5 जनवरी 2004 को इम्पावर्ड कमेटी के द्वारा विधिवत सूचना पत्र दोनों ही राज्यों को जारी किए।

13 सितम्बर 2002 से 3 सितम्बर 2003 तक राज्य के मुख्यमंत्री, वन मंत्री, राजस्व मंत्री, मुख्य मंत्री, राजस्व सचिव, वन सचिव एवं अन्य उच्चाधिकारियों के साथ अलग-अलग 11 बैठकों में लगभग 16 घन्टे चर्चाएं हुई। हर चर्चा में इन जमीनों का मामला भी सामने आया। सबसे महत्वपूर्ण बैठक 24 फरवरी 2003 को प्रदेश के मुख्यमंत्री से एवं उनके निर्देश पर 25 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वन व राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ हुई। इन दोनों ही बैठकों का मुख्य आधार 25 जनवरी 1994 को वनविभाग के अतिरिक्त सचिव श्री अशोक मसीह द्वारा राज्य मंत्री मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु बनाई गई संक्षेपिका रही। जिसमें इन जमीनों के हर दृष्टिकोण से स्थितियों को स्पष्ट किया गया था।

इस बैठक के बाद भी दोनों ही विभाग इस सम्पूर्ण विवाद की तह तक जाकर सही स्थिति सामने लाते हुए विवाद के निपटारे की स्पष्ट दिशा तय किए जाने में सफल नहीं हो पाए।

उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई परिभाषा एवं व्याख्या के परिप्रेक्ष्य में, पर्यावरण संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाब के कारण वन विभाग व्यवस्था से हटकर एक नई व्यवस्था को कायम किए जाने के लिए ही प्रयासरत दिखाई दे रहा है यही वजह है कि वह 1950 से प्रारंभ की गई प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं को स्वीकारने के लिए तैयार नही है विभागीय गलतियों चूक एवं प्रक्रियाओं की अनदेखी की जिम्मेदारी को भी स्वीकार नही कर पा रहा है।

यह स्थिति मात्र मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ राज्य तक ही सीमित नही है बल्कि देश के अनेक राज्य भी इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे है, वन विभाग एवं राजस्व विभाग में उत्पन्न टकराहटों का दंश झेल रहे है।

बैतूल जिले पर एक दृष्टि :

सी.पी. एण्ड बरार के एक प्रमुख जिले के रुप में "बैतूल" का नाम आता रहा है बैतूल जिला दिल्ली मद्रास मुख्य रेल्वे लाईन पर राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रमांक 69 पर स्थित है जिले की सीमाएं एक ओर छिन्दवाड़ा जिले से लगी है दूसरी ओर महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर सहित म.प्र. के हरदा, होशंगाबाद से लगी है। ताप्ती नदी का उद्गम भी बैतूल जिले से ही हुआ है।

जिले में तीन तहसील बैतूल, मुलताई एवं भैंसदेही रही जिनमें 1175 मालगुजारी जमींदारी ग्राम थे। इन ग्रामों को लेकर "स्वामित्वाधिकारों के अन्त का कानून 1950 के तहत कार्यवाही की गई। राज्य शासन के आदेशानुसार इन ग्रामों के निस्तार पत्रक बनाए जाने हेतु निस्तार अधिकारी की नियुक्ति की गई। तीनों ही तहसीलों में 92 रैय्यतवारी ग्राम भी थे। कुल 1267 ग्रामों के निस्तार पत्रक बनाए गए रिपोर्ट के अनुसार 3918 वर्ग मील रकबा इस कार्य में शामिल किया गया जिनमें 391431 एकड़ फारेस्ट एरिया बताया, 294570 एकड़ बड़े झाड़ का जंगल, 49379 एकड़ छोटे झाड़ का जंगल, 60105 एकड़ पहाड़ चट्टान बताई जाकर समाज के निस्तारी अधिकारों को तय किया गया।"

संरक्षित वन की घोषणा के बाद वन विभाग के द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 1267 ग्रामों में से 681 ग्रामों का चयन किया जाकर बाकी के ग्रामों को वन विहीन ग्राम घोषित कर दिया। सर्वे में शामिल किए गए ग्रामों की कुल 149470 हेक्टयर जमीन को

शामिल किया गया। इन जमीनों पर 482 वनखण्ड बनाए गए जिसमें 67379 हेक्टयर रकबा धारा 4(1) के तहत अधिसूचित किया गया 82091 हेक्टयर रकबा लेफ्ट आउट घोषित कर दिया गया। लेफ्ट आउट घोषित किए जाने के भी अलग-अलग कारण दिखाए गए। वनखण्डों की लाईन सीधी करने के कारण 11471 हेक्टयर आईसोलेटेड, 41661 हेक्टयर मिसपेचेज, 8928 हेक्टयर अतिक्रमित बताया जाकर 18727 हेक्टयर रकबा लेफ्ट आऊट घोषित किया गया। वन विभाग ने अतिक्रमणकारियों को दिये जाने हेतु ग्रामों के गोठान, खलियान, श्मशान, कब्रिस्तान, बाजार, पहाड़ आदि सभी कार्यों के लिए कुल 25973 हेक्टेयर जमीन राजस्व विभाग को अंतरित की। 2074 हेक्टयर जमीन अन्य विभागों को 1980 तक अंतरित कर दी गई।

वन विभाग वन विहीन माने गये ग्रामों, 1980 के पूर्व राजस्व को अंतरिम जमीनों का आज तक डीनोटीफिकेशन नहीं कर पाया। जो जमीनें लेफ्ट आउट तो घोषित की गई लेकिन वन उपज विदोहन के कारण अंतरित नही की गई उनके लिए उत्तर एवं दक्षिण वन मंडल की अलग-अलग वर्किंग स्कीम बनाई गई। जिले की 691 वर्ग मील भूमि वर्किंग स्कीमों में शामिल की जाकर 78-79 तक क्लीयर फैलिंग किया जाना प्रस्तावित किया गया।

एक ओर तो वन विभाग के द्वारा 1962 में छिन्दवाड़ा में गठित सर्वेक्षण सर्किल के माध्यम से जिले के राजस्व ग्रामों में दर्ज बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, चट्टान को मिलाकर सर्वेक्षण की कार्यवाही प्रारम्भ की वही दूसरी ओर राजस्व विभाग के द्वारा भू-राजस्व संहिता के तहत जिले के ग्रामों के बन्दोबस्त की कार्यवाहियाँ भी प्रारम्भ कर दी गई। दोनों ही कार्यवाही लगभग समानान्तर चलते रही। बन्दोबस्त के दौरान बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, पहाड़, चट्टान जिन्हें 10 जुलाई 1958 को संरक्षित वन घोषित कर वन विभाग द्वारा सर्वे भी प्रारंभ कर दिया गया था, को राजस्व दखल रहित भूमि मानते हुए निस्तारी प्रयोजन हेतु आरक्षित रखे जाने की भी कार्यवाहियाँ की गई।

लेफ्ट आउट घोषित की गई जमीनों में से वन विभाग के द्वारा अधिक अन्न उपजाओं योजना के तहत जमीनें राजस्व विभाग को अंतरिम की। जिन पर काबिजों को लेकर सामूहिक कृषि सहकारी समितियाँ बनाई गई। समितियाँ के संबंध में अध्ययन रिर्पोट अलग से संलग्न है।

भारत सरकार की योजना के तहत पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्ला देश) एवं बर्मा से आए विस्थापितों को आरक्षित वन भूमियों के डीनोटीफिकेशन के आदेश राज्य शासन की ओर से 31 दिसम्बर 1976 को जारी किए गए जिसके बाद मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 11 फरवरी 1977 को पृष्ट क्रमांक 249/250 पर अधिसूचना प्रकाशित हुई। इस अधिसूचना में आमढाना, लोनिया, पूंजी एवं डुल्हारा वन खण्डों की 14809.600 हेक्टयर भूमि जिसे 7 जून 1935 को आरक्षित वन घोषित किया गया था पुर्नवास विभाग को अतंरित कर दी गई।

राज्य शासन के द्वारा राजपत्र में दिनांक 30 सितम्बर 1977 को पृष्ट क्रमांक 957 पर प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार 30 पुनर्वास ग्रामों के राजस्व अभिलेख बनाए जाने, बंदोबस्त किए जाने हेतु केडस्ट्रल सर्वे आफीसर की नियुक्ति की गई। इस सर्वे के दौरान मानचित्र बनाए गए, अधिकार अभिलेख बनाए गए, निस्तार पत्रक बनाए गए जिनके अनुसार 30 ग्रामों में 95 भूखण्डों के छोटे झाड़ के जंगल मद में बताया जाकर 1132.819 हेक्टयर रकबे को चराई के लिए आरक्षित बताया गया। वहीं 422 भूखण्डों में 5367.605 हेक्टयर जमीन को जलाऊ ईंधन, इमारती लकड़ी के लिए आरक्षित बताया गया। कार्यवाहियाँ पूरी की जाकर राज्य शासन ने 1986 में इन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित कर राजस्व विभाग के नियंत्रण में सौंप दिया।

राज्य शासन के द्वारा पुनर्वास क्षेत्र में 30 ग्राम बसाए गए थे लेकिन तत्कालीन पुनर्वास अधिकारी ने अपनी मर्जी से दो ग्राम और बसा कर आदिवासियों के कब्जों की जमीनें इन विस्थापित परिवारों को आवंटित कर दी। वैसे तो यह विवाद अलग तरह का है लेकिन चूंकि बड़े झाड़ के जंगल मद की जमीन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसका उल्लेख यहाँ करना पड़ा।

वन विभाग ने सितम्बर 1996 में पुनः एक आदेश के द्वारा जिले में नारंगी क्षेत्र सर्वेक्षण के आदेश दिए तथा सर्वेक्षण इकाई का गठन किया। इन इकाईयों ने जिले के समस्त 1267 पूर्व मालगुजारी, जमींदारी, रैय्यतवारी ग्रामों एवं 32 पुनर्वास ग्रामों को अपने इस सर्वे में शामिल किया। पटवारी अभिलेख से अधिकार अभिलेख में दर्ज दखल रहित जमीनों की जानकारियाँ बुलवाई गई।

वन विभाग के द्वारा 1299 ग्रामों के 23034 भूखण्डों में दर्ज 139669 हेक्टयर बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, पहाड़ चट्टान को नारंगी क्षेत्र मानते हुए प्रारंभिक सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इन भूमियों में संरक्षित वन खण्ड के रुप

में अधिसूचित कर दी गई जमीनें, अधिक अन्न उपजाओं योजना के तहत सामूहिक कृषि सहकारी समितियों को आवंटित की गई वे जमीनें जो पुन: समिति भंग कर शासन के नाम पर दर्ज कर दी गई, पुनर्वास क्षेत्र में आरक्षित वन से डीनोटीफाईड की जाकर निस्तार पत्रक में निस्तारी उपयोग हेतु दर्ज की गई जमीनें शामिल की गई।

सर्वेक्षण के दौरान 55785 हेक्टयर भूमि वन विभाग के नियंत्रण में तो बताई गई लेकिन उसमें से 17220 हेक्टयर जमीन भूमिहीनों के कब्जे में भी बताई गई तथा राजस्व विभाग के द्वारा 83884 हेक्टयर जमीन अपने नियंत्रण में रखा जाना बताया गया। इन जमीनों मे वे जमीनें भी शामिल है जिन्हें राजस्व अधिकारियों के द्वारा राज्य शासन के आदेशों के बाद भूमिहीनों को पट्टे पर आवंटित किया जाकर बाद में मालिकाना हक पर दे दिया गया।

राज्य मंत्री मंडल द्वारा मई 1987 में लिए गए निर्णय के बाद मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 18.3.88 को प्रकाशित अधिसूचना में बैतूल अनुविभागीय अधिकारी को 37 वनखण्डों में अधिसूचित 3532.025 हेक्टयर जमीन भैंसदेही अनुविभागीय अधिकारी को, 109 वनखण्डों में अधिसूचित 16928.320 हेक्टयर जमीन की जांच हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त किया गया। राजपत्र दिनांक 25.3.88 को प्रकाशित अधिसूचना में बैतूल अनुविभागीय अधिकारी को 159 वनखण्डों में 21077.784 हेक्टयर जमीन, भैंसदेही अनुविभागीय अधिकारी को 124 वनखण्डों में 17549.634 हेक्टयर जमीन एवं मुलताई अनुविभागीय अधिकारी को 51 वन खण्डों में 10279.479 हेक्टयर जमीन की जांच हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त किया गया। इस तरह से जिले के 480 वनखण्डों में 69367.242 हेक्टयर जमीन की जांच किए जाने के आदेश दिए गए। उपरोक्त जांच दिसम्बर 2003 तक नहीं हो पाई जिसकी वजह से वन मुख्यालय द्वारा 2 दिसम्बर 2003 को जारी परिपत्र के अनुसार पुन: धारा 5 से 19 तक की कार्यवाही की जानी है लेकिन इस बीच अनुविभाग आमला एवं शाहपुर राज्य शासन द्वारा बनाए गए जिन्हें लेकर वन व्यवस्थापन कार्य हेतु संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी।

राजस्व विभाग एवं वन विभाग की समानान्तर कार्यवाही डीनोटीफाईड कर दी गई आरक्षित वन भूमि को पुन: संरक्षित वन माने जाने 1965-66 में ही अतिक्रमित मानकर सामूहिक कृषि सहकारी समितियों को आवंटित की गई जमीनों को पुन: सर्वेक्षण में शामिल कर लिए जाने का यह मात्र एक उदाहरण है।

इम्पावर्ड कमेटी के लिए 2000 से ही लगातार राज्य शासन छोटे बड़े झाड़ के जंगल मद की जमीनों को लेकर जानकारियाँ बुलवा रहा है। राजस्व विभाग इन सारी स्थितियों से अनभिज्ञ अभिलेखों में दर्ज इन मदों की समस्त जमीनों को शामिल करते हुए गत तीन वर्षो में चार बार अलग-अलग जानकारी प्रेषित कर चुका है। वन विभाग राजस्व विभाग की इन जानकारियों की पुष्टि भी करते आया है, उधर वन विभाग द्वारा वन मुख्यालय के निर्देश पर सर्वेक्षण, वनखण्ड अंतरित जमीनें, नारंगी क्षेत्र आदि की भी 2003 से अभी तक दो बार जानकारियाँ प्रेषित की जा चुकी है। दोनों ही विभाग एक साथ बैठकर जमीनों के इस सच को स्वीकारते हुए अपने अपने अभिलेखों को दुरूस्त करने के लिए आज भी तैयार नहीं है।

हर पटवारी मानचित्र में संरक्षित वन खण्डों की लाईनें डली हुई है, वन विभाग केवर्किंग प्लान में संरक्षित वन खण्डों में अधिसूचित भूमियों को कम्पार्टमेंट के रुप में शामिल कर लिया गया है लेकिन इन सबके बाद भी जमीनी सच्चाईयों को दोनों ही विभाग स्वीकार नहीं कर पा रहे है यही है "बैतूल जिले की जमीनों का सच।"

निस्तार और चराई का हक

मालगुजारी प्रथा का अंत होने के बाद निस्तार के विषय में कुछ असुविधा गांव में उत्पन्न हो गई। जब एक प्रणाली का अंत होकर दूसरी कायम होती है तब कुछ न कुछ समय तक कष्ट अवश्य होता है परन्तु अंत में इस प्रथा के विनाश का लाभ किसानों को अवश्य मिलेगा, पहला लाभ जो तत्काल मिला वह यह है कि अब किसानों को अपनी काश्तकारी बेचने के लिए किसी से न आज्ञा लेने की जरुरत है और न नजराना देने की। सरकार ने हकशफा और नजराना दोनों प्रथाओं को बंद कर दिया है।

गांव के जंगल में चराई के हक

जब तक दूसरे हुक्म न मिले तब तक चराई के जो हक गांवों के बंजर आदि में जैसे है वैसे ही कायम रखे गये है। यदि गांव के किसान दूसरे गांव में मुफ्त ढोर चराते थे और यदि यह प्रथा वाजिब-उल-अर्ज में दर्ज है तो वह हक आज भी जैसा का वैसा कायम है। यदि यह प्रथा वाजिब-उल-अर्ज में दर्ज नहीं है तो किसानों को चाहिये कि वे जिले के डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त देकर यह प्रथा दर्ज कराने का प्रयत्न करें।

भविष्य के लिए चराई निस्तार किस प्रकार बनाए जावें ताकि वर्तमान असुविधा या झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जावें उसकी जांच करने के लिए और उपाय सुझाने के लिए एक अफसर नियुक्त किया गया है जो थोड़े ही दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा।

सरकारी जंगल में चराई की रियायत

कुछ दिन हुए सरकार ने गरीब किसान, किसानी मजदूर और किसानी कारीगरों को मदद पहुंचाने के लिए हुक्म निकाल दिया है कि ऊपर कहे जिन लोगों के पास चार यूनिट जानवरों से ज्यादा जानवर नहीं है उन्हें चराई का माफी पास दिया जावेगा और जिनके पास चार यूनिट से अधिक परंतु आठ यूनिट से अधिक जानवर नही है तो उन्हें चार यूनिट की चराई का माफी पास मिलेगा और शेष यूनिट जानवरों पर रियायती रेट लगेगा।

दूसरा सुभीता जो किसानों के लाभार्थ किया गया है वह यह है कि जिन चराई के यूनिटों में इतनी गुंजाईश नही है कि गांवों के सभी जानवर दाखिल हो सकें तो पहले किसानी मवेशियों के लिए जिसमें किसान, किसानी मजदूर और किसानी कारीगरों के जानवर शामिल है चराई का पास दिया जावेगा, उसके बाद किसानों के गैर-काश्तकारी जानवरों के लिए पास दिया जावेगा और अगर आखिर में जगह बची तो तिजारती जानवरों को दाखिल किया जा सकेगा।

दूध देने वाले मवेशियों को उत्तेजना देने कि लिए सरकार यह विचार कर रही है कि सरकारी जंगलों में उन्हें चराई के सुभीते क्या और किस तरह दिये जा सकते है।

नोट:- 1. गाय, बैल या 3 वर्ष से कम उम्र का पाड़ा या पड़िया एक यूनिट लेखा जावेगा 3 वर्ष से कम उम्र का बछड़ा या बछिया आधे यूनिट में और 3 वर्ष से ऊपर उम्र की भैंस या बोदा दो यूनिट लेखा जायेगा।

2. यह कायदा उन मालगुजारी जंगलों में भी लागू है जो अब सरकार के ताबे में जा चुके है शर्त यह है कि यदि सरकारी ताबे में आने के पहले चराई की रियायतें ऊपर कही रियायतों से अधिक सुविधाजनक थीं, तो वे अब भी कायम रहेंगी।

गांव के जंगलों में निस्तार के हुक्म

काश्तकार, काश्तकारी-मजदूर और कारीगर गांव के वाजिब-उल-अर्ज की शर्तों के अनुसार निस्तार के लिये तथा बख्खर आदि की मरम्मत अथवा उन्हें बनाने के लिए पटेल की इजाजत से लकड़ी, घास, बक्कल, कांटी इत्यादि जिस तरह पहले पाते थे उसी तरह अब भी पाते रहेंगे, फलदार वृक्ष जैसे आम, इमली आदि के काटने का हुक्म नहीं है।

चरी के विषय में जो एक गांव के काश्तकारों के निस्तार दूसरे गांवों में लगाये गये है और जो वाजिब-उल-अर्ज में दर्ज है वही अभी लागू है जो भी इस विषय में अन्य असुविधाएं है उनके विषय में प्रादेशीय अफसर जो भी सुझाव देंगे, उन पर विचार किया जावेगा।

यदि किसी गांव में निस्तारी तालाब आदि के विषय में किसी प्रकार का कष्ट महसूस होता है उस विषय में जिले के डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त किया जावे ताकि उचित जांच करने के बाद उचित आज्ञा प्रदान की जा सकें।

घरों, खेतों और बंधानों की मरम्मत के लिए काश्तकार मुरम, रेत, कंकड, पत्थर और मिट्टी बे-रोक-टोक ऐसी सभी जगहों से बिना महसूल ला सकते है जिन पर किसी ठेकेदार को कोई ठेका नहीं दिया गया था। जो खदान पी.डब्ल्यू.डी. को नहीं दी गई है सरकारी जंगलों से भी मिट्टी, पत्थर आदि मुफ्त पा सकते है।

कुम्हारों के ईंट, खपरे और मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के हुक्म

कुम्हार ऊपर लिखी चीजों को बनाने के लिए मिट्टी और रेत बिना महसूल के पा सकता है, परंतु यदि कुम्हार वार्षिक 5000 रुपये की कीमत से अधिक की चीजें बनाने अथवा बेचनेवाला है, अर्थात जिसे सेल्स टैक्स देना पड़ता है उसे यह रियायत नही मिल सकती, जिन गांवों में मध्य प्रदेश माल कानून की दफा 218 (7) या दफा 44 (7) बरार माल कानून के अनुसार सरकारी इश्तहार जारी किये जा चुके है वहाँ के कुम्हारों को चाहिये कि वे जिले के डिप्टी कमिश्नर को तुरंत दरख्वास्त कर दे ताकि वे बे-रोक-टोक मिट्टी रेत पा सकें।

पत्थर का कोयला

जिला रायगढ़ के प्रदेश में सम्मिलित होने के पहले भट्टे जलाने के लिए सतह का कोयला खोदने के लिए 11 फरवरी 1952 से दो वर्ष तक पूर्वानुसार सुभीता दे दिया है वन विभाग से प्रति 100 घन फुट 8 रुपये, और एक गाड़ी के लिये 111 रुपये देकर परमिट प्राप्त करने के बाद सतह का कोयला खोदा जा सकता है।

दूसरे गांव में निस्तार के हक

जहां एक गांव के रहने वाले दूसरे गांव से कांटे, लकड़ी या खडिया आदि पुराने समय से मालगुजार से मुफ्त या खरीद लाया करते थे वहां अब भी वैस ही पुराने रिवाज के अनुसार ला सकते है।

दूसरे गांव के वाजिब-उल-अर्ज में यदि रिवाज दर्ज हो तो पटेल को उसके अनुसार काम करना चाहिये, यदि ये वाजिब-उल-अर्ज में दर्ज न हो तो पटेल को रिवाज के मुताबिक काम करना चाहिए परंतु लोगों को इसे दर्ज कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त देने के लिये कहना चाहिये।

फलों का हक

वे गांव के जंगल या आबादी के झाड़ों से महुआ, अचार, गुल्ली या दीगर फल खाने के लिए मुफ्त ला सकते है।

सिंचाई के हक

वाजिब-उल-अर्ज या दस्तूर के मुताबिक काश्तकार तालाबों, कुंओ, नालों इत्यादि से सिंचाई कर सकते है।

पानी पीने, नहाने, धोने या जानवरों के लिए पानी के हक

गांव के रहने वाले दस्तूर के मुताबिक इन हकों का उपभोग कर सकते है यदि कोई तालाब वगैरह मालगुजार के कब्जे में छोड़ दिया गया हो तो उसमें निस्तार पुराने रिवाज के अनुसार कर सकते है।

सन सड़ाई के हक

काश्तकार नदी, नाले या तालाब वगैरह में मुकर्रर जगह पर दस्तूर के मुताबिक सन सड़ा सकते है।

दूसरे निस्तारी हक

काश्तकारों और काश्तकारी नौकरों तथा कारीगरों को आबादी में रहने के लिए नियम के अनुसार मुफ्त जगह दी जायेगी। गांव के रहने वाले मरघट, कब्रस्तान, गोठान, मुर्दा मवेशी चीरने की मुकर्रर जगह मुफ्त में काम में ला सकते है। काश्तकार खलिहान की मुकर्रर जगह मुफ्त में काम में ला सकते है।

निस्तार के हकों के उपयोग में यदि किसी प्रकार की अड़चन हो तो उसके बारे में तहसीलदार के पास दरख्वास्त देना चाहिये। हर जिले में वहां के मेम्बर, जनपद सभापति, म्यूनिसिपल प्रेसीडेन्ट और कोआपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट की एक सलाहकार सभा है, जिसके सामने उस जिले की अड़चने लाई जा सकती है और जो जिला अधिकारियों को इन्हें दूर करने के उपायों के संबंध में सलाह देगी।

सरकारी (रिजर्व) जंगलों में किसानों को सुविधाएं

चरी के निस्बत जो सुविधा दी गई वह पहले लिख चुके है। दूसरी सुविधाएँ निम्नानुसार है।

1. जिन इलाकों में घरेलू मवेशी जंगली हो गये है और फसलों को नुकसान पहँचाते है वहाँ जंगल अफसर से आज्ञा ले लेने के बाद ये मवेशी पकड़े जा सकते है। डिप्टी कमिश्नर को अधिकार दिया गया है कि अधिक से अधिक एक आना सरकारी रायल्टी पकड़ने वालों से लेवें। उन्हें यह भी अधिकार है कि वे यह रायल्टी माफ कर दे।
2. यदि सरकारी जंगलों की सीमा के ऊपर या भीतर मवेशी बहक कर आ गए है तो उन्हें कांजीहाउस नहीं भेजा जावेगा और न यह जुर्म लेखा जावेगा।
3. यदि गांव की बसाहट से सरकारी जंगल की सीमा सटी हुई है तो वहाँ के रहने वालों की दरख्वास्त पर वह सीमा 5 जरीब दूर कर दी जावेगी और यदि कहीं शिकायत है कि खेतों से सीमा लगी रहने के कारण नुकसान होता है तो इसकी शिकायत करने पर मामले की खास जांच की जावेगी और उचित हुक्म दिया जावेगा।
4. घायल किए हुए हिंसक जानवरों का पीछा सरकारी जंगल में आधे मील की दूरी तक किया जा सकता है शर्त यह है कि ऐसा करने के पश्चात् जंगल नाके में जल्द से जल्द सूचना दे दी जावें।

5. पशुओं अथवा मनुष्यों को हानि पहुंचाने वाले हिंसक जानवरों का नाश करने के लिए शिकारियों को दरख्वास्त करने पर तीन माह का परवाना दिया जावेगा।

6. आग के कारण घरों के जल जाने की सूचना मिलने पर सरकारी जंगलों में जो रियायतें दी जाती है वे तुरंत दी जावेगी।

7. गांवों में रहने वालों के निस्तार खर्च के लिए जो टोकनी, सूपे, चटाई आदि बनाने वालों को सरकारी जंगलो से लाए जाने वाले हरे बांसों की कीमत तिजारती या व्यापारी रेट से अभी तक देनी पड़ती थी, अब बसोंड़, बुरुड़, मांग आदि को हर घर पीछे 1500 बांसों की तादाद तक ये निस्तारी रेट याने सस्ते दामों में दिये जावेंगे ताकि घरु धंधे करने वाले बसोंड़ आदि को सहायता मिले।

8. कहीं-कहीं एक ही स्थान पर रहने वालों को दो अलग-अलग रेंजो में निस्तार दिया जाता था। अब ऐसे गांव वासियों को दोनों रेंजो में उनके सुभीते के अनुसार निस्तार मिला करेगा।

9. किसानी औजारों के बनाने या मरम्मत में लगने वाली हरी लकड़ी की डिपों जंगल नाकों पर कायम की जायेगी ताकि किसान उन्हें उचित दामों में सुभीते से पा सकें।

निस्तारी अधिकारों पर एक नजर

1950 भारतीय संविधान आया जिसमें समाज की संस्कृति और परम्पराओं के संरक्षण की गारन्टी भी दी गई।

1950 स्वामित्वाधिकारों के अन्त का कानून लागू हुआ। जिसके तहत वाजिब-उल-अर्ज में दर्ज जमीनों को सरकार ने अपने नियंत्रण में लिए जाने की कार्यवाहियाँ की गई।

1952 राष्ट्रीय वन नीति जिसके आधार पर दिसम्बर 52 में राज्य ने भी इसी नीति को स्वीकार कर लिया।

1952 वाजिब-उल-अर्ज में दर्ज अधिकारों को बनाए रखने के लिए निस्तार पत्रक बनाये जाने की व्यापक पहल हुई। हर तहसील में निस्तार अधिकारी नियुक्त किए गए।

1956 राज्यों का पुनर्गठन हुआ। नवीन मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया जिसमें महाकौशल, सी.पी. एण्ड बरार का इलाका, मध्य भारत, इन्दौर, ग्वालियर, रीवा रियासतें आई।

1957 सभी विलीनीकृत राज्यों में समाज की दैनंदिनी आवश्यकता हेतु वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा अलग-अलग की जाने वाली व्यवस्थाओं को 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के तहत एकीकृत किए जाने वाली और वन विभाग को सौपे जाने की कार्यवाही हुई।

1958 वाजिब-उल-अर्ज में दर्ज रही सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई जमीनों को निस्तार पत्रक बनाए जाने के बाद प्रबंधन हेतु वन विभाग को सौंपे जाने की 10 जुलाई 1958 को अधिसूचना जारी की गई जो राजपत्र में 1 अगस्त 1958 को प्रकाशित हुई।

1959 भू-राजस्व संहिता राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद 2 अक्टूबर को लागू कर दी गई। जिसमें निस्तार पत्रक में दर्ज जमीनों को दखल रहित जमीन के रुप में अध्याय 18 में लिया जाकर उसके लिए कानूनों को लागू किया गया।

1960 वन विभाग द्वारा प्रबंधन के लिए सौंपी गई जमीनों को संरक्षित वन मानते हुए उन पर समाज के अधिकारों, आवश्यकताओं के लिए "संरक्षित वन नियम" बना कर लागू किए।

1964 राजस्व विभाग के द्वारा भू राजस्व संहिता के अध्याय 18 में बताई व्यवस्था के अनुसार निस्तारी व्यवस्था हेतु 1964 में निस्तार नियम बनाकर लागू किए गए।

1974 वन विभाग के द्वारा निस्तार अधिकारों को सुविधाजनक बनाए जाने के बाद उस पर विभागीय नियंत्रण को कसा जाने लगा इसके लिए निस्तार नीति बनाई जाकर उसमें परिवर्तन किया गया।

1977 वन विभाग द्वारा फिर निस्तार नीति में व्यापक बदलाव कर समाज की आवश्यकता पर अपना नियंत्रण कायम करने हेतु संशोधित नीति लागू कर दी।

1980 भारत सरकार द्वारा वनों, वन भूमियों को समवर्ति सूची में शामिल करते हुए वन संरक्षण कानून लागू कर दिया।

1988 भारत सरकार के द्वारा किए गए परिवर्तन के बाद मध्य प्रदेश वन विभाग ने ग्रामीण निस्तार की नीति में व्यापक बदलाव लाते हुए उस पर अपना पूर्ण एकाधिकार और नियंत्रण कायम कर लिया।

1988 भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। जिसमें वनों के महत्व को समुदाय की आवश्यकताओं के साथ जोड़कर समाज की भागीदारी की भी बात कही गई। इसी वर्ष में वन संरक्षण कानून की प्रस्तावना में भी इसी बात को शामिल कर संशोधन किया गया।

1993 संविधान में 73 वां संशोधन किया जाकर पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने के लिए कानून लागू किया जिसमें "जल, जंगल और जमीन" पर ग्राम सभा और पंचायत का अधिकार दायित्व माना गया।

1995 मध्य प्रदेश सरकार ने निस्तारी व्यवस्था को अनुदान के रुप में परिभाषित किया तथा उसे वनों से दूरी के आधार पर लागू करने की नीति लागू कर दी।

1996 उपरोक्त नीति को लोकसभा चुनाव के लिए एक वर्ष हेतु स्थगित किया गया तथा पुनः चुनाव के बाद लागू कर दिया गया।

1996 पंचायत संशोधन के अनुरुप अधिसूचित क्षेत्रों के लिए निस्तार कानून लागू किया। ग्रामसभाओं को "जल, जंगल और जमीन" पर व्यापक अधिकार सौंपे जाने का कानून बनाया।

2001 वनों के संदर्भ में जनभागीदारी की बात करते हुए संयुक्त वन प्रबंधन के लिए नया संकल्प लागू कर समाज के परम्परागत अधिकारों को अनुदान के रुप में परिभाषित किया जाकर समितियों के नियंत्रण में समितियों के सदस्यों तक के लिए सीमित कर दिया गया।

2005 मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा नई वन नीति लागू किए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई।

सतपुड़ा लैण्ड सर्च एण्ड ट्रेनिंग सेंटर
कोठी बाजार, बैतूल (म.प्र.) 07141 - 230329

अध्याय 18.

आबादी तथा दखल रहित भूमि और उसकी उपज में अधिकार

233. दखल रहित भूमि का अभिलेख :

समस्त दखल रहित भूमि का अभिलेख, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार, प्रत्येक ग्राम के लिए तैयार किया जाएगा तथा रखा जाएगा जिसमें -

(क) धारा 237 के अधीन निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए पृथक रखी गई दखल रहित भूमि पृथकत: दर्शाई जाएगी।

(ख) विलोपित।

234. निस्तार पत्रक का तैयार किया जाना :

(1) उपखंड़ अधिकारी इस संहिता तथा इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगति रखते हुये एक निस्तार-पत्रक तैयार करेगा, जिसमें किसी ग्राम में की समस्त दखल रहित भूमि के प्रबंध की स्कीम तथा उससे अनुषांगिक समस्त विषय पर विशिष्टत: धारा 235 में विनिर्दिष्ट विषय सन्निविष्ट होंगे।

(2) निस्तार पत्रक का प्रारुप ग्राम में प्रकाशित किया जायेगा और ग्राम के निवासियों की इच्छाओं को विहित रीति से अभिनिश्चित करने के पश्चात् उसे उपखंड अधिकारी द्वारा रुप दिया जायेगा।

(3) उपखंड अधिकारी ग्राम सभा द्वारा प्रार्थना की जाने पर, या जहां कोई ग्राम सभा न हो, वहां किसी ग्राम के कम से कम एक-चौथाई वयस्क निवासियों के आवेदन पर, या स्वप्रेरणा से निस्तार-पत्रक में की किसी प्रविष्टि को, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो कि वह उचित समझे, किसी भी समय उपान्तरित कर सकेगा।

235. विषय जिसके लिए निस्तार-पत्रक में उपबंध किया जाएगा :

वे विषय जिनके लिए निस्तार-पत्रक में उपबंध किया जाएगा, निम्नलिखित होंगे, अर्थात:-

(क) वे निबंधन तथा शर्तें जिन पर ग्राम में पशुओं को चराने के लिए अनुज्ञा दी जाएगी

(ख) वे निबंधन शर्तें जिन पर तथा वह अधिकतम सीमा जिस तक कोई निवासी -

(1) लकड़ी, इमारती लकड़ी, ईंधन या कोई वन उपज ;

(2) मुरम, कंकड़, रेत, मिट्टी, पत्थर या कोई अन्य गौण खनिज अभिप्राप्त कर सकेगा ;

(ग) साधारणत: पशुओं को चराने का तथा पैरा (ख) में वर्णित वस्तुओं के हटाए जाने का विनियमन करने वाले अनुदेश ;

(घ) कोई अन्य विषय जिसे निस्तार-पत्रक में इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन अभिलिखित किया जाना अपेक्षित हो।

236. निस्तार-पत्रक में कतिपय विषयों के लिए उपबंध:-

धारा 235 में तथा उपबंधित निस्तार-पत्रक तैयार करने में कलेक्टर, यथासंभव निम्नलिखित किया जाना अपेक्षित हो।

(क) कृषि के लिए उपयोग में लाए जाने वालें पशुओं को नि:शुल्क चराने के लिए ;

(ख) ग्राम के निवासियों द्वारा उनके वास्तविक घरेलू उपभोग के लिए -

(1) कम उपज का ;

(2) गौण खनिज का मुफ्त ले जाया जाना ;

(ग) ग्राम के शिल्पकारों को, खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट की गई वस्तुएं; उनकी शिल्पकारी के प्रयोजन हेतु ले जाए जाने के लिए दी जाने वाली रियायतें।

237. निस्तार-अधिकारों के प्रयोग के लिए कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक रखा जाना :-

(1) इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, कलेक्टर दखल रहित भूमि को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए पृथक रख सकेगा। अर्थात :-

(क) इमारती लकड़ी या ईंधन के लिए, आरक्षित क्षेत्र के लिए ;

(ख) चारागाह, घास, बीड़, या चारे के लिए, आरक्षित क्षेत्र के लिए ;

(ग) कब्रिस्तान या श्मशान भूमि के लिए ;

(घ) गोठान के लिए;

(ड) शिविर भूमि के लिए ;

(च) खलिहान के लिए ;

(छ) बाजार के लिए;

(ज) खाल निकालने के स्थान के लिए ;

(झ) खाद के गड्डों के लिए ;

(ण) पाठशालाओं, खेल के मैदानों, उद्यानों, सड़कों, गलियों, नालियों जैसे तथा इसी प्रकार के लोक प्रयोजनों के लिए ;

(ट) किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाएँ।

(2) उपधारा (1) में वर्णित किसी प्रयोजन के लिए विशेष रुप से पृथक रखी गई भूमियाँ, कलेक्टर की मंजूरी से ही व्यपवर्तित की जाएगी, अन्यथा नहीं।

(3) इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए कलेक्टर, ग्राम सभा द्वारा इस प्रभाव का संकल्प पारित कर दिये जाने के आधार पर, ऐसी दखलरहित भूमि को, जो उपधारा (1) के खंड (ख) में वर्णित प्रयोजनों के लिए पृथक रखी गई हो, उक्त प्रयोजनों के लिए उस ग्राम की कृषि भूमि का न्यूनतम दो प्रतिशत क्षेत्र सुरक्षित रखते हुए,आबादी या कृषि प्रयोजनों के लिये व्यपवर्तित कर सकेगा।

238. दूसरे ग्राम की बंजर भूमि में अधिकार -

(1) जहाँ कलेक्टर की यह राय हो कि किसी ग्राम की बंजर भूमि अपर्याप्त है और यह लोकहित में है कि इस धारा के अधीन कार्यवाही की जाए, तो वह ऐसी जाँच के पश्चात् जैसा वह ठीक समझे, यह आदेश दे सकेगा कि दस ग्राम के निवासियों के पड़ोसी ग्राम में यथास्थिति निस्तार का अधिकार या पशु चराने का अधिकार उस सीमा तक होगा जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट है।

(2) किसी ग्राम के निवासी, जिन्हें पड़ोसी ग्राम में पशु चराने का अधिकार उपधारा (1) के अधीन है या सरकारी वन में पशु चराने का अधिकार है, उन अधिकारों का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ अपने मार्गाधिकार को अभिलिखित कराने के लिए कलेक्टर को आवेदन कर सकेगें।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन किए गए आवेदन की जाँच करने पर, कलेक्टर इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ऐसे निवासियों को इस बात के लिए समर्थ बनाने में कि वे अपने पशुओं को किसी अन्य ग्राम में या सरकारी वन में चराने के अधिकार का प्रयोग कर सकें , मार्ग का अधिकार युक्तियुक्त रुप से आवश्यक है, तो वह ऐसे मार्ग के लिए उनके अधिकार की घोषणा करते हुए आदेश पारित करेगा और वे शर्तें कथित करेगा जिन पर कि उस अधिकार का प्रयोग किया जाएगा।

(4) कलेक्टर आने जाने का मार्ग भी अवधारित करेगा और ऐसे मार्ग को ऐसी रीति से निर्धारित करेगा जिससे कि उस ग्राम के, जिसमें से होकर वह मार्ग जाता है, निवासियों को कम से कम असुविधा हों।

(5) कलेक्टर यदि यह ठीक समझे, ऐसे मार्ग को सीमांकित कर सकेगा।

(6) इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निस्तार-पत्रक में अभिलिखित किए जाएँगे।

(7) जहाँ उपधारा (1) में वर्णित ग्राम भिन्न-भिन्न जिलों में आते हों, वहाँ निम्नलिखित उपबंध लागू होगें, अर्थात -

(क) निस्तार का अधिकार या पशु चराने का अधिकार विनिर्दिष्ट करने वाले आदेश उस कलेक्टर द्वारा पारित किये जाएँगे जिसके

कि जिले में वह ग्राम आता है जिस पर कि ऐसे अधिकार का दावा किया गया है ;

(ख) आने जाने के मार्ग के बारे में कोई आदेश उस कलेक्टर द्वारा पारित किए जाएँगे जिसकी अपनी अधिकारिता में वह क्षेत्र आता है, जिस पर से कि मार्ग अनुज्ञात किया गया है ;

(ग) खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसार आदेश पारित करने वाला कलेक्टर संबंधित अन्य कलेक्टर से लिखित में परामर्श करेगा।

239. दखल रहित भूमि, (भाठा भूमि तथा बड़े झाड़/छोटे झाड़ के जंगल) में रोपित फलदार वृक्षों और अन्य वृक्षों में अधिकार-

(1) जहाँ इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी व्यक्ति द्वारा किसी ग्राम की दखल रहित भूमि, (भाठा भूमि तथा बड़े झाड़/छोटे झाड़ के जंगल) में कोई फलदार वृक्ष लगाया हो, और वैसा अभिलिखित हो, वहाँ इस बात के होते हुए भी कि ऐसी भूमि राज्य सरकार के निहित में है, ऐसा व्यक्ति और उसके हित उत्तराधिकारी पीढ़ी ऐसे वृक्षों के कब्जे तथा फलोपभोग के लिए, किसी रायल्टी या अन्य प्रकार का भुगतान किए बिना, हकदार होंगे।

(2) राज्य सरकार या तहसीलदार की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का कोई राजस्व अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को, किसी ग्राम की दखलरहित भूमि, भाठा भूमि तथा बड़े झाड़/छोटे झाड़ के जंगल पर, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाए, रोपित किए जाने और उगाने की अनुज्ञा दे सकेगा, और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र और वृक्ष पट्टे इस धारा के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार मंजूर कर सकेगी/सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन मंजूर किया गया वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र और वृक्ष पट्टा ऐसे प्रारूप में और ऐसे निर्बंधनों और शर्तो के अध्यधीन रहते हुए होगा जो विहित की जाएँ।

(4) इस धारा के अधीन प्रदत्त अधिकार अंतरणीय होगा किंतु अनुज्ञापत्र या

पट्टे के धारक को या उसके हित उत्तराधिकारी को उस भूमि पर, जिस पर ऐसा खड़ा है, इस अधिकार के सिवाय कोई अधिकार नहीं होगा कि वह अनुज्ञापत्र और पट्टे के निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उस भूमि पर वृक्ष उगाए और ऐसे वृक्षों में भोगाधिकारों (युसुफ क्टुयरी राईट्स) का, जिनके ऐसे वृक्षों के कार्य (कार्पस) में अधिकार भी है, उपभोग करे :

परन्तु विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा कोई अंतरण, उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।

(5) यदि वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र या वृक्षपट्टे के निर्बंधनों और शर्तों में से किसी निर्बंधन तथा शर्त का भाग किया जाता है तो वह अनुज्ञापत्र या पट्टा, उसके धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् रद्दकरणीय होगा।

(क) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (1980 का संख्यांक 69) के उपबंध जिस भाठा भूमि पर लागू नहीं होते, उस भूमि पर वृक्षारोपण के लिए स्थाई पट्टा मंजूर किया जा सकेगा।

(ख) बड़े झाड़/छोटे झाड़ के जंगल पर वृक्षारोपण हेतु करार निष्पादित किया जा सकेगा। करार धारक या उसके उत्तराधिकारियों को बड़े झाड़/छोटे झाड़ के जंगल की भूमि पर तथा उक्त भूमि पर रोपित वृक्षों पर कोई भूमि स्वामी अधिकार उद्भूत नहीं होगा। करार धारक या उसके उत्तराधिकारी वृक्षों के भोगाधिकार के हकदार होंगे।

(6) राज्य सरकार, इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

240. कतिपय वृक्षों के काटे जाने का प्रतिषेध –

(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किन्हीं वृक्षों का काटा जाना लोकहित के लिए अपायकर है या मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कतिपय वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन करना

आवश्यक है तो वह ऐसे वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा कर सकेगी, चाहे ऐसे वृक्ष भूमिस्वामी की भूमि पर खड़े हों या राज्य सरकार की भूमि पर।

(2) उपधारा (1) अधीन नियम बनाने में, राज्य सरकार यह उपबंध कर सकेगी कि ऐसे समस्त नियम या कोई भी नियम केवल ऐसे क्षेत्र को लागू होंगे जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(3) राज्य सरकार, उन भूमियों पर के, जो कि राज्य सरकार की हों, वनोत्पादों के नियंत्रण, प्रबंध, काटकर गिराये जाने या हटाये जाने का विनियमन करने वाले नियम बना सकेगी।

241. सरकारी वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय :-

(1) यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाता है कि किसी सरकारी वन से इमारती लकड़ी की चोरी को रोकने के लिए, लोकहित में यह आवश्यक है कि ऐसे वनों से लगे हुए किसी क्षेत्र में समाविष्ट ग्रामों में इमारती लकड़ी के कांटकर गिराये जाने तथा उसके वहां से हटाये जाने का विनियमन किया जाये, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे क्षेत्र को इस धारा के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित प्रत्येक आदेश, अधिसूचित क्षेत्र में समाविष्ट समस्त ग्रामों में विहित रीति में उद्घोषित किया जाएगा।

(3) धारा 179 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किन्तु उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए जब कोई आदेश उपधारा (2) के अधीन किस ग्राम में उद्घोषित कर दिया गया हो तो किसी भी व्यक्ति, विक्रय के किसी संव्यवहार के अनुसरण में या व्यापार या कारोबार के प्रयोजनों के लिए, ऐसे ग्राम के किसी खाते में से इमारती लकड़ी के किसी वृक्ष को ऐसे नियमों के अनुसार ही काटकर गिरायेगा या किसी ऐसे वृक्ष के कार्य (कापर्स) को किसी ऐसे खाते से ऐसे नियमों के अनुसार ही हटाएगा जो कि इस संबंध में बनाएं जाएं, अन्यथा नहीं।

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (3) के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को उल्लघंन करेगा या उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा या उनके उल्लघंन का दुष्प्रेषण करेगा, किसी अन्य कार्यवाही पर, जो कि उसके विरूद्ध की जा सकती हो प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर के लिखित आदेश पर, (पाँच हजार रुपए) से अधिक ऐसी शास्ति का, जो कि उसके द्वारा अधिरोपित की जाए, भुगतान करने का दायी होगा और कलेक्टर यह आदेश दे सकेगा कि इमारती लकड़ी के किन्हीं भी ऐसे वृक्षों का अधिग्रहण कर लिया जाए जो कि इस उपधारा के उपबंधों के उल्लघंन में काटकर गिराये गए हैं।

(5) उपधारा (3) तथा (4) की कोई भी बात, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर के इमारती लकड़ी के वृक्षों को अपने वास्तविक कृषक प्रयोजनों या घरेलू प्रयोजनों के लिए काटकर गिराये जाने या हटाये जाने पर लागू नहीं होगी, यदि ऐसा काटकर गिराया जाना या हटाया जाना अन्यथा इस संहिता के अन्य उपबंधों के अनुसार हो।

(तथापि ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सक्षम अधिकारी द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन करायें और ऐसे वृक्षों को काटकर गिराये जाने या हटाये जाने के कम से कम दस दिन पूर्व क्षेत्राधिकारिता रखने वाले राजस्व अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी को लिखित सूचना दें।)

242. वाजिब - उल - अर्ज

(1) संहिता के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उपखण्ड अधिकारी किसी ऐसी भूमि या जल में, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण का न हो या जो उसके द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित न हो।

(क) सिंचाई के अधिकार या मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार ;

(ख) मछली पकड़ने के अधिकार ; की बाबत् प्रत्येक ग्राम की रुढ़ियों को विहित रीति में अभिनिश्चित तथा अभिलिखित करेगा और ऐसा अभिलेख ग्राम के वाजिब - उल - अर्ज के नाम से जाना जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसरण में तैयार किया गया अभिलेख, उपखण्ड अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा जो विहित की जाए।

(3) ऐसी अभिलेख में की गई किसी प्रविष्टि से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रविष्टि को रद्द या उपान्तरित कराने के लिए सिविल न्यायालय में वाद, ऐसी अभिलेख के उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर संस्थित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया अभिलेख, उपधारा (3) के अधीन संस्थित किए गए वाद में सिविल न्यायालय के विनिश्चय के अधीन रहते हुए, अंतिम और निश्चायक होगा।

(5) उपखंड अधिकारी उसमें हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, निम्नलिखित किन्हीं भी आधारों पर वाजिब-उल-अर्ज में भी किसी प्रविष्टि को उपान्तरित कर सकेगा या उसमें कोई नवीन प्रविष्टि अंत:स्थापित कर सकेगा :-

(क) यह कि ऐसी प्रविष्टि में हितबद्ध समस्त व्यक्ति उसे उपान्तरित करना चाहते हैं ; या

(ख) यह कि किसी सिविल न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश पर या किसी राजस्व अधिकारी के आदेश पर आधारित होते हुए भी वह ऐसी डिक्री या आदेश के अनुसार नहीं है ; या

(ग) यह कि किसी सिविल न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश पर या किसी राजस्व अधिकारी के आदेश पर आधारित होते हुए भी वह ऐसी डिक्री या आदेश के अनुसार नहीं है ; या

(घ) यह कि इस प्रकार आधारित होते हुए भी, बाद में ऐसी डिक्री या ऐसे आदेश को अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में फेरफारित कर दिया गया है ; या

(ड) यह कि सिविल न्यायालय ने, डिक्री द्वारा, ग्राम में विद्यमान किसी रूढ़ि का पर्यवसान कर दिया है।

243. आबादी -

(1) जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ वह ग्राम की दखलरहित भूमि में से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे।

(2) जहाँ आबादी के प्रयोजनों के लिए दखलरहित भूमि उपलब्ध न हो, वहाँ राज्य सरकार आबादी के विस्तारण के लिए कोई भी भूमि अर्जित कर सकेगी।

(3) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का संख्यांक 1) के उपबंध ऐसे अर्जन को लागू होंगे और ऐसी भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकार उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार देय होगा।

244. आबादी स्थलों का निपटारा -

इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत या जहाँ कोई ग्राम पंचायत गठित न की गई हो। वहाँ तहसीलदार आबादी क्षेत्र में से स्थलों का निपटारा करेगा।

245. भू-राजस्व दिए बिना गृहस्थल धारण करने का अधिकार -

आबादी में स्थित ऐसा भवन-स्थल, जो युक्तियुक्त माप (डायमेन्शन) का है, भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन नहीं होगा, यदि ऐसा स्थल किसी कोटवार के या किसी ऐसे व्यक्ति के दखल में है जो कि ऐसे ग्राम में, या उस ग्राम जिसमें कि सामान्यत: ऐसे ग्राम से खेती की जाती है, भूमि धारण करता है या कृषि शिल्पी या कृषि श्रमिक, के रुप में कार्य करता है।

246. आबादी में गृह-स्थल धारण करने वाले व्यक्तियों का अधिकार -

धारा 244 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय आबादी में गृह-स्थल के रुप में कोई भूमि विधिपूर्वक धारण करता है या जो इसके पश्चात् ऐसी भूमि को विधिपूर्वक अर्जित कर ले, ऐसी भूमि के संबंध में भूमिस्वामी होगा।

परंतु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 1973 के प्रारंभ

होने पर या उसके पश्चात् किसी भूमिहीन व्यक्ति को ग्रामीण आवास योजना के अधीन गृह-स्थल का आवंटन निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा :-

(1) यह कि आवंटन की तारीख से पाँच वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि पर गृह का निर्माण करेगा।

(2) यह कि आवंटन की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के भीतर उस भूमि का, जो कि उसे आवंटित की गई हो, या उसमें के हित का अंतरण नहीं करेगा।

(3) यह कि उपयुक्त शर्तो में से किसी भी शर्त के भंग होने की दशा में वह भूमि भंग की तारीख से सरकार में निहित हो जाएगी।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए ग्रामीण आवास-विकास योजना से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-स्थलों की व्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम जिसके अधीन राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में के भूमिहीन कर्मकारों के कुटुम्बों के लिए, जिनके कि स्वामित्व में पहले से ही कोई गृह-स्थल न हों या जिसके स्वामित्व में पहले से ही अपनी स्वयं की भूमि पर कोई निर्मित गृह या कोई झोपड़ी न हो, नि:शुल्क गृह-स्थलों की व्यवस्था, भारत सरकार से 100 प्रतिशत सहायता के आधार पर करनी है।

247. खनिजों के संबंध में सरकार का हक -

(1) जब तक कि सरकार द्वारा दिए गए किसी अनुदान के निर्बंधनों द्वारा अभिव्यक्त रुप से अन्यथा उपबंधित न किया जाए, समस्त खनिजों, खानों तथा खदानों का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा जिसे ऐसी समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो कि ऐसे अधिकारों के समुचित उपयोग के लिए आवश्यक हो।

(2) समस्त खानों तथा खदानों के अधिकार के अंतर्गत आता है खनन तथा खदान क्रिया से प्रयोजन के लिए भूमि तक पहुँचने का अधिकार तथा ऐसी अन्य भूमि को दखल में लेने का अधिकार जो कि उससे (खनन तथा खदान क्रिया से) समानुषंगी उन प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं जिनके अंतर्गत कार्यालयों का, कर्मकारों के निवासगृहों का परिनिर्माण तथा मशीनरी का प्रतिष्ठापन, खनिजों का ढ़ेर लगना तथा कूड़ा-करकट इकट्ठा करना,

सड़कों, रेल पथों या ट्राम पथों का सन्निर्माण और कोई ऐसे अन्य प्रयोजन भी है जिन्हें राज्य सरकार खनन तथा खदान-क्रिया से समनुषंगी होना घोषित करें।

(3) यदि सरकार ने किन्हीं खनिजों, खानों या खदानों पर का अपना अधिकार किसी व्यक्ति को समानुदेशित कर दिया हो, और यदि ऐसे अधिकार के समुचित उपभोग के लिए आवश्यक हो कि उपधारा (1) तथा (2) में विनिर्दिष्ट की गई समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए तो कलेक्टर, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी शक्तियाँ, ऐसी शर्तो तथा आरक्षणों के अधीन रखते हुए, जो कि वह विनिर्दिष्ट करे, उस व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा जिसे कि वह अधिकार समानुदेशित किया गया हो :

परंतु कोई भी ऐसा प्रत्यायोजन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे समस्त व्यक्तियों पर, जो प्रभावित हुई भूमि में अधिकार रखते हों, सूचना की सम्यक् रुप से तामील न कर दी गई हो, और उनकी आपत्तियों को सुन न लिया गया हो और उन पर विचार कर लिया गया हो।

(4) यदि, इसमें निर्दिष्ट किए गए अधिकार का, किसी भूमि का प्रयोग करने में, ऐसी भूमि की सतह को दखल में लेने के कारण या उस पर होने वाली हलचल के कारण किन्हीं व्यक्तियों के अधिकारों का अतिलंघन होता हो, तो राज्य सरकार या उसका समनुदेशिती ऐसे अतिलंघन के लिए ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान करेगा और ऐसे प्रतिकर रकम की संगणना उपखंड अधिकारी द्वारा, या यदि उसका अधिनिर्णय स्वीकार न किया जाए, तो सिविल न्यायालय द्वारा, यथाशक्य, भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का संख्यांक 1) के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(5) सरकार का कोई भी समानुदेशिती कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना, और तब तक जब तक कि प्रतिकर अवधारित न कर दिया गया हो तथा उन व्यक्तियों को, जिनके कि अधिकारों का अतिलंघन होता हो, निविदत न कर दिया गया हो, किसी भूमि की सतह पर न तो प्रवेश करेगा न ही उसे दखल में लेगा।

(6) यदि राज्य सरकार का कोई समानुदेशिती, उपधारा (4) में यथा उपंधित प्रतिकर का भुगतान नहीं करता है, तो कलेक्टर उससे ऐसा प्रतिकर उन व्यक्तियों की ओर से, जो कि उसके हकदार हों, इस प्रकार वसूल कर सकेगा मानो वह भी भू-राजस्व का बकाया हो।

(7) कोई भी व्यक्ति, जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी ऐसी खान या खदान से, जिसका कि अधिकार सरकार में निहित है तथा सरकार द्वारा समानुदेशित नहीं किया गया हैं, खनिजों को निकालेगा या हटाएगा तो वह, किसी अन्य कार्यवाही पर, जो कि उसके विरूद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर के लिखित आदेश पर, ऐसी शास्ती का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा जो इस प्रकार निकाले गए या हटाए गए खनिजों के बाजार मूल्य के दुगने के हिसाब से संगणित राशि से अधिक नहीं होगी :

(8) उपधारा (7) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर किसी ऐसी खान या खदान से, जिसका कि अधिकार सरकार में निहित है और सरकार द्वारा समनुदेशित नही किया गया है, निकाले गए या हटाए गए किसी खनिज का अभिग्रहण तथा अधिहरण कर सकेगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा में "खनिज" के अतंर्गत कोई ऐसी रेत या चिकनी मिट्टी है जिसके संबंध में राज्य सरकार यह घोषित करे कि यह वाणिज्यिक महत्व की है या वह किसी लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

248. अप्राधिकृत रुप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिए शास्ति -

(1) कोई भी व्यक्ति, जो कि अप्राधिकृत रुप से दखलरहित भूमि, आबादी, सेवा भूमि या किसी ऐसी अन्य भूमि पर, जो धारा 237 के अधीन किसी विशेष प्रयोजन के लिए पृथक् रखी गई हो, या किसी ऐसी भूमि पर, जो शासन की संपत्ति हो, कब्जा कर लेते हैं या उस पर कब्जा बनाए रखता है, तहसीलदार के आदेश द्वारा संक्षिप्तत: बेदखल किया जा सकेगा और कोई फसल जो कि भूमि पर खड़ी हो तथा कोई भी भवन या अन्य निर्माण कार्य, जो उसने उस पर निर्मित किया हो, यदि ऐसे समय के भीतर, जैसा कि तहसीलदार नियत करे, उसके द्वारा नहीं हटाया जाता है, तो अधिरहिता किया जा सकेगा। इस प्रकार अधिरहित की गई किसी भी संपत्ति का तहसीलदार के निर्देशानुसार

निपटारा किया जाएगा और किसी भी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्य को हटाने का तथा भूमि को उसकी मूल स्थिति में लाने के लिए आवश्यक समस्त कार्यों का खर्चा उससे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल होगा। ऐसा व्यक्ति, तहसीलदार के विवेकानुसार, अप्राधिकृत दखल की कालावधि के लिए भूमि का लगान उस स्थान में ऐसी भूमि के लिए स्वीकार्य दर की दुगुनी दर से चुकाने के तथा ऐसे जुर्माने के, जो पाँच हजार रुपए तक हो सकता है, तथा ऐसे और जुर्माने के, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसको ऐसा अप्राधिकृत दखल या कब्जा प्रथम बेदखली के दिनाँक के पश्चात् चालू रहे, बीस रुपए तक हो सकता है, के लिए भी दायित्वाधीन होगा। तहसीलदार संपूर्ण जुर्माने या उसके किसी भाग को ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर देने के लिए उपयोग में ला सकेगा जिन्हें उसकी राय में अधिक्रमण से हानि या क्षति हुई हो।

परन्तु तहसीलदार -

(1) महाकौशल क्षेत्रों में -

(क) विलीन राज्यों से भिन्न क्षेत्रों में सितम्बर सन् 1917 के प्रथम दिन के पूर्व ;

(ख) विलीन राज्यों में अप्रैल सन् 1950 के तृतीय दिन के पूर्व ;

(2) मध्यभारत क्षेत्र में अगस्त सन् 1950 के पन्द्रहवें दिन के पूर्व ;

(3) विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में अप्रैल सन् 1955 के प्रथम दिन के पूर्व ;

(4) भोपाल क्षेत्र में नवम्बर सन् 1933 के आठवें दिन के पूर्व ; और

(5) सिरोंच क्षेत्र में जुलाई 1958 के प्रथम दिन के पूर्व ; निर्मित भवनों या निर्माण कार्यों द्वारा किए गए अधिक्रमण के संबंध में इस उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में नहीं लाएगा।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए शब्द "विलीन राज्यों" का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश मर्जड स्टेट्स (स्टेट) लॉज एक्ट, 1950 (क्रमांक 12 सन् 1950) में उसके लिए दिया गया है।

(1) किसी अप्राधिकृत कब्जे के संबंध मे ग्राम पंचायत द्वारा किसी संकल्प के सम्यक् रुप से पारित किये जाने पर तहसीलदार, ऐसे संकल्प की सूचना प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर इस धारा के अधीन कार्यवाहियों को प्रारंभ करेगा तथा पूर्ण करेगा और उसके द्वारा की गई कार्यवाही ग्राम पंचायत को संसूचित करेगा।

(2) तहसीलदार इस बात के लिए सक्षम नहीं होगा कि वह एक हजार पाँच सौ रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित करे, किन्तु यदि किसी मामले में वह यह समझता है कि मामले की परिस्थितियाँ अधिक जुर्माने के अधिरोपण के लिए समुचित आधार है, तो वह मामला उप जिला पदाधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा जो तब, संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, जुर्माने के संबंध में ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह उचित समझे।

(2-ए) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन बेदखली के आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिन से अधिक दिनों तक भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा चालू रखे तो ऐसे जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कि उक्त उपधारा के अधीन अधिरोपित किया जा सकता हो, उपखंड अधिकारी उस व्यक्ति को पकड़वाएगा और उसे प्रथम बेदखली की दशा में पन्द्रह दिन की कालावधि के लिए या दूसरी या पश्चात्वर्ती बेदखली की दशा में तीन मास की कालावधि के लिए सिविल कारागार में परिरूद्ध किया जाने के लिए वारन्ट के साथ भेजेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी कार्यवाही -

(1) तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी सूचना जारी न की गई हो जिसमें कि ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई हो कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए दिन उपखंड अधिकारी के समक्ष उपसंजात हो तथा यह कारण दर्शाए कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए ;

(2) ऐसी सरकारी तथा नजूल भूमियों पर किए गए अधिक्रमणों के संबंध में नहीं की जाएगी जिनके कि बंदोबस्त के लिए सरकार ने समय-समय पर आदेश जारी किए गए हो :

परन्तु, यह और भी, कि उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, वारंट में वर्णित कालावधि का अवसान होने के पूर्व भी निरोध से निर्मुक्त किए जाने का

आदेश दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि अप्राधिकृत कब्जा छोड़ा जा चुका है :

परन्तु यह भी कि कोई भी स्त्री इस उपधारा के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं की जाएगी।

(2-बी) राज्य सरकार उपधारा (2-ए) के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकेगी।

(3) विलोपित।

(4) विलोपित।

249. मछली पकड़ने आखेट करने आदि का विनियमन -

(1) राज्य सरकार निम्नलिखित का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी :-

(क) सरकारी तालाबों में मछली पकड़ना ;

(ख) ग्रामों में जीव-जन्तु को पकड़ना, उनका आखेट करना या उनको गोली मारना ; और

(ग) राज्य सरकार की भूमियों से किन्हीं पदार्थो को हटाना।

(2) ऐसे नियमों में, अनुज्ञा-पत्र देने के लिए, ऐसे अनुज्ञा-पत्रों से संलग्न की जाने वाली शर्तो के लिए तथा अनुज्ञा-पत्रों के लिए फीस के अधिरोपण हेतु एवं अन्य आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे।

250. अनुचित रुप से बेकब्जा किए गए भूमिस्वामी का पुन:स्थापन -

(1) इस धारा और धारा 250 के प्रयोजन के लिए, भूमिस्वामी के अन्तर्गत मौसमी कृषक और सरकारी पट्टेदार आएंगे।

(क) यदि किसी भूमि स्वामी को भूमि से विधि के सम्यक् अनुक्रम में बेकब्जा न करके अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया हो, या यदि कोई व्यक्ति भूमिस्वामी की किसी ऐसी भूमि पर, जिसके कि उपयोग के लिए ऐसा व्यक्ति इस कोड के किसी उपबंध के अधीन हकदार न रह गया हो, अप्राधिकृत रुप से कब्जा किए रहे, तो भूमिस्वामी या उसका

हित-उत्तराधिकारी,

(ख) किसी ऐसे भूमिस्वामी की दशा में जो कि ऐसी जनजाति को हो जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो,

(1) अप्राधिकृत बेकब्जा के उन मामलों में जो कि 1 जुलाई सन् 1976 के पूर्व के हों, 1 जुलाई सन् 1978 के पूर्व, और

(2) किन्हीं अन्य मामलों में, यथा स्थिति बेकब्जा किए जाने की तारीख से जिसको कि ऐसे व्यक्ति का कब्जा अप्राधिकृत हो जाए, पाँच वर्ष के भीतर;

(बी) खंड (ए) के अंतर्गत न आने वाले किसी भूमिस्वामी की दशा में, यथास्थिति बेकब्जा किए जाने की तारीख से या उस तारीख से, जिसको कि ऐसे व्यक्ति का कब्जा अप्राधिकृत हो जाए, दो वर्ष के भीतर, तहसीलदार को यह आवेदन कर सकेगा कि उसे कब्जा वापस दिलाया जाए।

(1 ख) तहसीलदार, यह ज्ञात होने पर कि किसी भूमिस्वामी को उसकी भूमि से विधि के सम्यक् अनुक्रम में बेकब्जा न करके अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया है, इस धारा के अधीन कार्यवाहियाँ स्वप्रेरणा से आंरभ करेगा।

(2) तहसीलदार, पक्षकारों से संबंधित उनके दावों की जाँच करने के पश्चात् आवेदन को विनिश्चित करेगा और जब वह भूमिस्वामी को कब्जा वापस दिए जाने का आदेश दे देता है,तो फिर वह उसे भूमि का कब्जा दिलाएगा भी।

(क) इस धारा के अधीन आंरभ की गई कार्यवाहियाँ, दूसरे पक्षकार से उत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात् दिन-प्रतिदिन तब तक चालू रहेगी, जब तक कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से दीर्घकालिक स्थगन आवश्यक नहीं समझा जाता है और उस दशा में उस आदेश-पत्रक (आर्डर शीट) की, जिसमें ऐसे स्थगन के लिए कारण अंतर्विष्ट हों, एक प्रति कलेक्टर को भेजी जाएगी।

(3) तहसीलदार, जाँच के किसी भी प्रक्रम पर, यथास्थिति भूमिस्वामी, मौसमी कृषक या सरकारी पट्टेदार की भूमि का कब्जा दिए जाने के लिए अंतरिम

आदेश पारित कर सकेगा, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उसे इस धारा के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने या स्वप्रेरणा से कार्यवाहियाँ प्रारंभ की जाने के पूर्व के छः मास के भीतर विरोधी पक्षकार द्वारा बेकब्जा कर दिया गया था। ऐसे किसी मामले में विरोधी पक्षकार को, यदि आवश्यक हो, तहसीलदार के आदेशों के अधीन बेदखल कर दिया जाएगा।

(4) जब उपधारा (3) के अधीन कोई अन्तरिम आदेश पारित कर दिया गया हो, तो तहसीलदार द्वारा विरोधी पक्षकार से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित किये जाने तक उस भूमि पर कब्जा लेने से विरत रहने के लिए ऐसी राशि का, जैसी कि तहसीलदार उचित समझे, बंधपत्र निष्पादित कर सकेगा।

(5) यदि यह पाया जाए कि बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति ने बंधपत्र के उल्लंखन में उस भूमि में प्रवेश किया है या उसका कब्जा ले लिया है, तो तहसीलदार बंधपत्र को पूर्णतः या भागतः समपहृत कर सकेगा और ऐसी रकम एक भू-राजस्व के बकाया तौर पर वसूल कर सकेगा।

(6) यदि उपधारा (2) के अधीन पारित किया गया आदेश आवेदक के पक्ष में हो तो तहसीलदार विरोधी पक्षकार द्वारा आवेदक को संदत्त किया जाने वाला प्रतिकर भी अधिनिर्णीत करेगा जो उस दर पर होगा जो दो सौ पचास रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के अनुपातिक हो।

(7) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत किया गया प्रतिकर भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा।

(8) जब उपधारा (2) के अधीन, भूमि स्वामी को पुनः कब्जा दिलाए जाने के लिए आदेश दे दिया गया हो, तो तहसीलदार विरोधी पक्षकार को इस बात के लिए अपेक्षित कर सकेगा कि वह आदेश के उल्लंखन में भूमि का कब्जा लेने से विरत रहने के लिए ऐसी राशि का, जैसा कि तहसीलदार उचित समझे, बंधनामा निष्पादित करे।

(9) जहां उपधारा (2) के अधीन, भूमिस्वामी को पुनः कब्जा दिलाए जाने के लिए आदेश दे दिया गया हो, वहाँ विरोधी पक्षकार जुर्माने के, जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, लिए भी दायित्वाधीन रहेगा :

परन्तु तहसीलदार इस बात के लिए सक्षम नहीं होगा कि वह एक हजार पाँच सौ रुपए से अधिक का जुर्माने के अधिरोपण के लिए समुचित आधार है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी को निर्देशित कर सकेगा जो संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् जुर्माने के संबंध में ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह उचित समझे।

250-क. धारा 250 के अधीन कब्जा वापस न दिया जाने पर सिविल कारागार में परिरोध :-

(1) यदि कोई व्यक्ति, धारा 250 के अधीन कब्जा वापस दे दिए जाने के आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिन से अधिक कालावधि तक किसी भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा किए रहता है, तो उक्त धारा की उपधारा (6) के अधीन देय प्रतिकर या उपधारा (9) के अधीन जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे भूमि स्वामी को कब्जा वापस दिया जाने के लिए किए गए प्रथम आदेश की दशा में, उपखंड अधिकारी उसे गिरफ्तार करवाएगा और पंद्रह दिन की कालावधि के लिए परिरुद्ध किया जाने के लिए, उसे वारण्ट के साथ सिविल कारागार में भेजेगा, तथा ऐसे भूमि स्वामी को कब्जा वापस दिया जाने के लिए किए गए द्वितीय या पश्चा्वर्ती आदेश की दशा में, उपखंड अधिकारी उसे गिरफ्तार करवाएगा और तीस मास की कालावधि के लिए परिरुद्ध किया जाने के लिए, उसे वारण्ट के साथ सिविल कारागार में भेजेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली सूचना जारी न कर दी गई हो कि वह उपखंड अधिकारी के समक्ष ऐसी तारीख को, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाएगी, उपसंजात हो और इस संबंध के कारण दर्शाए कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए।

परन्तु यह और भी कि उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, वारण्ट में उल्लेखित कालावधि का अवसान होने के पूर्व, निरोध से छोड़े जाने का आदेश दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अप्राधिकृत कब्जा छोड़ दिया गया है।

परन्तु यह भी कि इस धारा के अधीन किसी स्त्री को गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं

किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

250-ख भूमि के आवंटिती के पक्ष में भूमि खाली न करना अपराध होगा :-

(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार की कार्यपालिक शक्ति के अधीन भूमि के वितरण या व्ययन या आवंटन की किसी स्कीम के, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अंगीकृत या प्रायोजित की जाए या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित के अधीन किसी ऐसी स्कीम के अनुसार दिए गए किसी पट्टे के अधीन कोई भूमि भूमिस्वामी अधिकार में या सरकार पट्टेदार की हैसियत में आवंटित की गई है और ऐसा व्यक्ति उसे इस प्रकार आवंटित भूमि का वास्तविक कब्जा लेने में असमर्थ रहा है तो वह उस भूमि का वास्तविक कब्जा उसे दिलाए जाने के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा जो उसे दिए गए पट्टे के अधीन उसे आवंटित की गई है।

(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार लिखित आदेश द्वारा :-

(क) उस भूमि के कब्जाधारी व्यक्ति को यह निर्देश देगा कि वह उसे तत्काल खाली कर दे ; या

(ख) उस दशा में जबकि कब्जा लिए जाने या कब्जा परिदत्त किए जाने में किसी व्यक्ति द्वारा बाधा डाली जाती है, ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश देगा कि वह ऐसी बाधा हटा ले जिससे कि कब्जे का परिदान हो सके, और वह उसके द्वारा भूमि खाली कर दिए जाने पर या बाधा हटा ली जाने पर उसका वास्तविक कब्जा पट्टे के अधीन भूमि धारण करने के लिए हकदार यथास्थिति भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदार को परिदत्त करेगा।

(3) तहसीलदार यदि आवश्यक हो, पुलिस बल को सम्मिलित करते हुए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो आवंटिती को भूमि का वास्तविक कब्जा दिलाए जाने के लिए आवश्यक हो।

(4) यदि वह व्यक्ति, जिसे उपधारा (2) के अधीन निर्देश दिया जाता है, निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि

तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, या दोनों से, और जहाँ निर्देश का ऐसा अनुपालन चालू रहने वाला अनुपालन है, वहाँ ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम अनुपालन के पश्चात् के प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसे अनुपालन का चालू रहना साबित हो जाता है, एक सौ रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

(5) इस धारा के अंतर्गत अपराध संत्रेय और अजमानतीय होगा।

251. तालाबों का राज्य सरकार में निहित होना -

(1) ऐसे समस्त तालाब, जो संबंधित क्षेत्रों में मध्यवर्तियों के अधिकारों की समाप्ति का उपबंध करने वाले अधिनियम के प्रावृत्त होने की तारीख को या उसके पूर्व दखलरहित भूमि पर स्थित हों जिन पर ऐसी तारीख के ठीक पूर्व ग्राम समुदाय के सदस्य सिंचाई या निस्तार के अधिकारों का प्रयोग करते हों यदि वे राज्य सरकार में पूर्व से निहित न हुए हों, तो 6 अप्रैल, 1959 से राज्य सरकार में पूर्णरूपेण निहित हो जाएंगे :

परन्तु इस धारा की किसी भी बात के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह तालाब में निहित होने की तारीख को विद्यमान पट्टे के अधीन तालाब में पट्टेदार के किसी ऐसे अधिकार पर प्रभाव डालती है जो पट्टे में विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा उसमें विनिर्दिष्ट किए गए निर्बंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग किया जा सकेगा :

परन्तु यह और भी कि कोई भी तालाब राज्य सरकार में तब तक निहित नहीं होगा जब तक कि :-

(1) कलेक्टर का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझें, यह समाधान न हो जाए कि तालाब इस उपधारा में अधिकथित की गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(2) किसी भी ऐसे तालाब, या सिंचाई या निस्तार के अधिकार से भिन्न किसी हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन निहित होने की तारीख से चार वर्ष की कालावधि के भीतर, अपने हित

के संबंध में प्रतिकर के लिए कलेक्टर को विहित प्रारुप में आवेदन कर सकेगा।

(क) धारा 239 के उपबंध उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार में निहित तालाब के तटबंधों पर खड़े हुए वृक्षों को उसी प्रकार लागू होंगें जिस प्रकार कि वे दखलरहित भूमि पर लगाए गए वृक्षों को लागू होते हों।

(3) ऐसा प्रतिकर उस भू-राजस्व का, जो कि तालाब में समाविष्ट भूमि पर निर्धारणीय है, पंद्रह गुना होगा और निर्धारण के प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि को उसी प्रकार की माना जाएगा जैसी कि इससे लगी हुई भूमि है।

(4) उपधारा (3) के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर का भुगतान कलेक्टर द्वारा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को किया जाएगा जिनके संबंध में उसके समाधानप्रद रुप में यह सिद्ध हो जाए कि वे संबंधित तालाब में हित रखते है।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रतिकर का भुगतान करने से राज्य सरकार का उन समस्त दायित्वों से पूर्ण उन्मोचन हो जाएगा जो कि संबंधित तालाब की बाबत राज्य सरकार के हों किन्तु उससे तालाब संबंधी उन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति विधि के सम्यक् प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के विरूद्ध प्रवर्तित कराने का हकदार हो जिसको या जिनको पूर्वात्तर रुप में प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है।

(6) राज्य सरकार, ऐसे तालाबों से जल उपयोग के विनियमन के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन किसी तालाब के निहित हो जाने से, ऐसे तालाब में के सिंचाई तथा निस्तार के उन अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनके कि लिए कोई व्यक्ति निहित होने की तारीख के ठीक पूर्व हकदार हो।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, तालाब के अंतर्गत उस तालाब के तटबंधों पर खड़े वृक्ष हैं किंतु उसके तटबंधों पर स्थित भवन, मंदिर या अन्य सन्निर्माण नहीं है।

252.

(1) ग्राम सभा का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ग्राम लोकोपयोगी निर्माण कार्यों का अनुरक्षण करे तथा उन्हें समुचित अवस्था में रखें।

(2) इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रखते हुए, ग्राम सभा, लिखित आदेश द्वारा, ग्राम में निवास करने वाले वयस्क पुरूषों (उन पुरूषों को छोड़कर जो वृद्ध तथा अशक्त हैं या किसी शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त हैं) को ऐसा श्रम करने के लिए अपेक्षित कर सकेगी जैसा कि वह ग्राम के ऐसे लोकोपयोगी निर्माण कार्यों को, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में अधिसूचित किए जाएँ, समुचित अवस्था में रखने के लिए उस आदेश में विनिर्दिष्ट करे।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि वे निर्माण कार्य लोकोपयोगी न हों तथा उनसे साधारणत: उन व्यक्तियों को, जिनके लिए आदेश पारित किया जा रहा हो,फायदा पहुँचने की संभावना न हो।

(4) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन श्रम करने के लिए अपेक्षित किया गया व्यक्ति, ऐसा श्रम अपनी ओर से किसी अन्य से करवा सकेगा या उसके किए जाने के लिए ऐसी दर से, जो कि तहसीलदार द्वारा अवधारित की जाए, भुगतान कर सकेगा।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट किया गया श्रम करने में उपेक्षा करेगा या वैसा श्रम करने से इंकार करेगा या श्रम किए जाने के लिए उपधारा (4) में उपबंधित किए गए अनुसार भुगतान नहीं करेगा, तहसीलदार के आदेश पर, उतनी रकम का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा जो उपधारा (4) के अधीन तहसीलदार द्वारा अवधारित की गई दरों के हिसाब से संगणित किए गए उस श्रम के मूल्य के बराबर हो, जैसा ऐसी रकम भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जा सकेगी।

253. उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड

(1) इस संहिता में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति जो इस अध्याय के या इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में

कार्य करेगा, या जो किन्हीं नियमों या वाजिव-उल-अर्ज में दर्ज की गई किसी रुढ़ि का उल्लंघन करेगा या उनका अनुपालन नहीं करेगा या निस्तार-पत्रक में की गई किसी प्रविष्टि को भंग करेगा, एक हजार रुपए से अधिक ऐसी शास्ति का उत्तरदायी होगा जैसी कि उपखंड़ अधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उचित समझे, तथा उपखंड़ अधिकारी किसी भी ऐसी इमारती लकड़ी, वन उपज, या किसी अन्य उपज के अधिहरण का भी आदेश दे सकेगा जिसका कि ऐसे व्यक्ति ने राज्य सरकार की भूमियों में से लेकर उपयोग कर लिया हो या जिसे कि उसने वहाँ से हटा लिया हो।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई उल्लंघन, भंग या अनुपालन ग्राम सभा द्वारा किया गया हो, वहाँ ग्राम सभा का प्रत्येक पदाधिकारी उस उपधारा के अधीन तब तकदायी होगा जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि वह उल्लंघन, भंग या अनुपालन को रोकने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(3) जहाँ उपखंड़ अधिकारी इस धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित करते हुए कोई आदेश पारित करता है, वहाँ वह यह निर्देश दे सकेगा कि संपूर्ण शास्ति या उसके किसी भाग का उपयोजन ऐसे उपायों के जो कि ऐसे उल्लंघन, भंग या अनुपालन के कारण जनता को होने वाली हानि या क्षति को रोकने के लिए आवश्यक हों, खर्च की पूर्ति करने के लिए किया जा सकेगा।

254. ग्राम सभा के कर्त्तव्यों का पटेल द्वारा पालन किया जाना -

इस अध्याय के अधीन ग्राम सभा को सौंपे गए किसी भी कृत्य का पालन उस समय तक पटेल द्वारा किया जाएगा जब तक कि धारा 232 के अधीन ग्राम सभा सम्यक् रुप से गठित न हो।

जीने का आधार : निस्तार हक

अनिल कर्णे

ये जल,
ये जंगल,
ये जमीन,
पेड़, पौधे, फूल, पत्ती,
पत्थर, पहाड़, मिट्टी,
परंपरा से,
पुरखों की धरोहरे,
जीवनाधार
हमारी विरासत है।

लेकिन क्या ?
मानव सभ्यता,
शासन तंत्र के,
विकास के साथ
जीने का आधार,
बदल जाता है ?
अपने पराये हो जाते है ?
मिट्टी की गंध,
फूलों की खुशबू
चिड़ियों की चहचहाहट,
पेड़ों की शीतलता,
फलों की मिठास
बदल जाती है ?

कहते है लोकतंत्र में
सब हमारा है,
फिर क्यों ?
प्रकृति की विरासत,
परंपरागत अधिकार,
साधारण निस्तार के लिए
अपने अधिकार, अपने हक की
लड़ाई लड़नी पड़ती है ?

जीवन बचाओ

वृक्षमित्र

गडचिरोली/चंद्रपुर